खण्ड-189, अंक-4
गुरूवार, 21 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(12 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
लखनऊ जेल में बाहर के डाक्टर द्वारा डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३५६–३५७
जिला बोर्ड, नैनीताल के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन न मिलने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित) ..	३५७–३५८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	३५८
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया) ..	३५८
लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया) ..	३५८
उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	३५८–३८०
उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचार जारी)	३८०–३९४
विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना ..	३९४
कार्य-क्रम में परिवर्तन	३९४–३९५
नत्थियां	३९६–४१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १२ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधानसभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आतमाराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
असगर अली खा, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह , श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह , श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री

भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवचनराव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, सिंह श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १२ दिसम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वाराणसी में सोशलिस्ट आन्दोलन के समय विक्टोरिया की मूर्ति टूटने पर पुलिस कर्मचारियों को सजा

**१—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी बनारस में सोशलिस्ट आन्दोलन के सम्बन्ध में जो विक्टोरिया की मूर्ति टूटी थी उस सम्बन्ध में पुलिस के कितने कर्मचारी मुअत्तल हुये और कितनों का तबादला हुआ ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---पांच पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को मुअत्तल किया गया था। तबादला इस सिलसिले में किसी का नहीं किया गया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ५ पुलिस सब-इंसपेक्टर जो मुअत्तल किये गये उनका अपराध क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुअत्तल किया था उनको डी० आई० जी० ने और यह समझ कर कि जिस काम के लिये वे वहाँ तैनात किये गये थे, वह ठीक तरह से नहीं कर सके।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके सदन को सूचित कर सकती है कि किस काम के लिये वे वहां तैनात किये गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विक्टोरिया की मूर्ति की रक्षा करने के लिये, जिसे तोड़ने के लिये वहां कुछ लोग इकट्ठा हुए थे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकार को कोई सूचना है कि मूर्ति को तोड़ने के लिये वहां कौन लोग एकत्रित हुए थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, कुछ लोग वहां एकत्र हुए थे, जिनकी बाद में फिर गिरफ्तारी वगैरह भी हुई।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस मूर्ति को जिसकी रक्षा के लिये पुलिस के सिपाही तैनात किये गये थे, कोई क्षति भी पहुंची थी ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह मूर्ति तो टूट ही गयी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जो कर्मचारी मुअत्तल किये गये थे, अब उनकी क्या हैसियत है ? मुअत्तल हैं या उनको सर्विस में ले लिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वे पुनः अपने स्थानों पर नियुक्त कर दिये गये हैं।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में नहर, बन्ध, ट्यूबवेल, सड़क आदि निर्माण-कार्यों में ली गयी जमीन की मालगुजारी की वसूली के खिलाफ शिकायतें

*१---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किसानों की इस प्रकार की शिकायतें उनके पास आई हैं कि नहर, बन्ध, ट्यूबवेल, सड़क आदि निर्माण-कार्य में ली गई भूमि की मालगुजारी किसानों से ही वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

माल उप-मंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)---सूचना एकत्रित की जा रही है, उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह शिकायतें उनके पास कब आयी थीं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---ये शिकायतें तो प्रायः आती ही रहती हैं। मैं भी जब दौरे पर गया था तब कुछ लोगों ने जबानी भी मुझसे कहा था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बतलायेंगे कि यह किस महीने के दौरे की बात है, किस महीने में उन्हें शिकायतें मिलीं और यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—यह प्रश्न काफी बड़ा है, इसका संबंध अनेक मुहकमों से है। तो इससे जाहिर है कि हर एक मुहकमे से यह पता लगाना पड़ेगा कि कितनी-कितनी जमीन किसके-किसके कब्जे में आयी, इसलिये इसमें कुछ समय तो लगेगा ही, क्योंकि कई विभाग इसमें इनवाल्ब्ड हैं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में परिगणित जाति के कर्मचारी

*२—**श्री रामसूरत प्रसाद** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय, लखनऊ में कुल कितने अपर डिवीजन तथा कुल कितने लोअर डिवीजन सहायक काम कर रहे हैं और उनमें से कुल कितने अपर डिवीजन व कितने लोअर डिवीजन सहायक पदों पर परिगणित जाति के लोग काम कर रहे हैं और उनका प्रतिशत क्या है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—१ दिसम्बर, १९५७ को सचिवालय में कुल ८२१ अपर डिवीजन सहायक थे जिनमें से २४ परिगणित जाति के हैं, और कुल ७९५ लोअर डिवीजन सहायक हैं, जिनमें १८ परिगणित जाति के हैं। परिगणित जाति के सहायकों का प्रतिशत अपर और लोअर डिवीजन में क्रमशः २.९ और २.२ उक्त तिथि को था।

*३—**श्री रामसूरतप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिगणित जाति के अपर डिवीजन व लोअर डिवीजन सहायकों में से कितने को उच्च पदस्थ किया गया है जो अधीक्षक व सहायक अधीक्षक हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—परिगणित जाति के सहायकों में से एक सहायक अधीक्षक है।

श्री रामसूरतप्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जब राज्य आदेश के अनुसार १८ प्रतिशत संरक्षण हरिजनों का है तो परिगणित जाति के लोगों का प्रतिशत क्यों पूरा नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो लोग कि अपर डिवीजन के लिये हैं उनकी नियुक्ति २ प्रकार से होती है, एक तो वह प्रोमोशन से जाते हैं और उसके लिये कोई प्रतिशत किसी विभाग में भी, कहीं भी बंधा हुआ नहीं है और जो लोग सीधे रिक्रूट हो कर आते हैं उन के लिये यह नियम है कि १८ प्रतिशत जगहें परिगणित जातियों के लिये दी जायं। पी० एस० सी० से वह चुनाव होते हैं और ऐसा मानना चाहिये कि जो लोग दरख्वास्त वहां देते होंगे उनका कमीशन वहां पर जरूर ध्यान रखता होगा। जहां तक लोअर डिवीजन की बात है वहां भी इसी प्रकार चुनाव होता है, १८ प्रतिशत का नियम है कितने लोग दरख्वास्त देते हैं और उन में से कितने लोग योग्यता रखते हैं यह तो हर मौके की बात होती है।

श्री रामसूरतप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिगणित जाति के सहायकों का प्रतिशत जो कम है, उन स्थानों की पूर्ति के लिये क्या सरकार कोई उचित कार्यवाही करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई अलग कार्यवाही नहीं हो सकती। हर जगह सर्विस के जो नियम हैं वही चलेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि परिगणित जाति के साथ एक क्लास अनुसूचित जाति की भी है और यदि है तो उसके उस में कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं यही पूछ रहा हूं कि अनुसूचित जाति और परिगणित जाति में क्या अन्तर है और यदि अन्तर है तो अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे तो इस वक्त श्रीमन्, ठीक पता नहीं कि परिगणित जाति और अनुसूचित जाति में क्या अन्तर है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि परिगणित जाति के मानी वह जाति हैं जिनके हाथ का लोटा और पानी छूते हैं जैसे कहार हैं कुर्मी हैं।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—(श्री शिवप्रसाद नागर से)आप अपनी व्याख्या प्रश्न में डाल रहे हैं, वह वैधानिक व्याख्या नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह संख्या अस्थायी और स्थायी सब क्लर्कों की है या केवल स्थायी की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थायी और अस्थायी दोनों की है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना या शिकायत आई है कि परिगणित जाति के लिये जो कोटा फिक्स है उसकी सेलेक्शन करने वाले पाबन्दी नहीं करते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आमतौर से तो हम यह देख रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन पर अटूट श्रद्धा दिखलाई गई है, इसी से मानना चाहिये कि जरूर पाबन्दी की होगी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जितनी नौकरियां इस समय हो रही हैं उन सब के लिये १८ फीसदी कोटा फिक्स है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो जगहें डायरेक्ट रेक्रूटमेंट से भरी जाती हैं उनके लिये १८ फीसदी है, लेकिन प्रोमोशन के लिये कोई कोटा फिक्स नहीं है ।

बस्ती जिले के मनवापुर एन० ई० एस० ब्लाक में अपूर्ण कार्य

*४—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है "इटवा" छाया खंड (बस्ती) का पश्चिमी मार्ग मनवापुर N. E. S. ब्लाक में पहले शामिल था और उसके अधूरे काम अब भी पड़ हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। छाया खंड इटवा के पश्चिमी भाग के कुछ गांव मनवापुर एन०ई०एस० ब्लाक में पहले शामिल थे। अधूरे काम पूरे किये जा रहे हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिपूर्ति में व्यय

*५—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रेवेन्यू मैनुअल उत्तर प्रदेश के अनुसार १३६२ फसली से अब तक कौन-कौन सी प्राकृतिक आपदायें प्रदेश में आयी हैं और वह किस श्रेणी की थीं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—रेवेन्यू मैनुअल, उत्तर प्रदेश के अनुसार राज्य में १३६२ फसली से १३६४ फसली तक बाढ़ व पानी का जमाव, सूखा, अग्नि, उपल वृष्टि, प्राकृतिक आपदायें आई जो श्रेणी २ की थीं व नदी की धारा के बदलने से जमीन का कटना व बालू रेत का एकत्र होना जैसी आपदायें आईं जो श्रेणी १ की थीं ।

*६—श्री गेंदासिंह—उक्त प्रत्येक आपदा द्वारा किस प्रकार की क्षति कितने धन और जन की हुई और इन आपदाओं से रक्षा करने में तथा पुनर्वासित करने में कितना धन व्यय किया गया ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—प्रत्येक फसल में प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि का विवरण संलग्न सूची नम्बर १ में दिखा दिया गया है तथा विविध सहायता कार्यों के लिये व पुनर्वासित करने के लिये व्यय किये गये धन का विवरण संलग्न सूची नं० २ में दिखा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९६-३९७ पर)

*७—श्री गेंदासिंह—इस वर्ष की रबी की फसल की बरबादी को किस श्रेणी की प्राकृतिक आपदा माना गया है और किस जिले में किस-किस प्रकार की क्षति कितने की आंकी गई है और किस प्रकार के क्या सहायता कार्य सरकार द्वारा किये जा रहे हैं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—इस वर्ष की रबी की फसल के नुक्सान आदि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि.यह फसल अभी तो बोई ही गई है।

श्री गेंदासिंह—जिन श्रेणियों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है इन श्रेणियों का कब पता सरकार को हुआ कि इस श्रेणी की आपदायें यह हैं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—यह तो मैनुअल में दिया हुआ है कि कौन आपदा इस श्रेणी की है। उसमें कोई अधिक जानकारी नयी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गेंदासिंह—मेरा मतलब यही है कि उस मैनुअल के मुताबिक इस श्रेणी की आपदा है यह पता सरकार को किस समय हुआ ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—सरकार को जब पता हुआ तब जनाब ने सवाल किया। लकिन अफसरों को जब पता हुआ तब उन्होंने इंस्पेक्शन किया।

श्री गेंदासिंह—४ लाख ४८ हजार जो मकान ध्वस्त हुये, उनका दो लाख से कुछ ऊपर पुनर्वासन करने के लिये रुपया दिया गया, मंत्री जी को पता है कि इस का बटवारा कैसे हुआ है ?

श्री चरणसिंह—मकानों का नुक्सान, जिलाधीशों की रिपोर्ट के मुताबिक जितना हमको यहां मालूम हुआ, वह रुपया हमने उनके सुपुर्द कर दिया और कुछ शर्त लगा दी कि इससे ज्यादा रुपया नहीं दे सकोगे। बाकी जिलाधीशों ने तकसीम किया। यहां से बटवारा नहीं हुआ।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—क्या मालमंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ४ लाख ४८ हजार २ सौ ८ मकानों में से कितने ऐसे मकान हैं जिनकी मरम्मत हो चुकी है या फिर से बन चुके हैं ?

श्री चरणसिंह—जी, कितने मकानों की मरम्मत हुई है, कितनों का पुनर्निर्माण हो चुका है, इस तरह की सूचना गवर्नमेंट नहीं मंगाती, न कोई जरूरत हो सकती है और न आगे मंगाने का विचार है।

श्री गेंदासिंह—क्या इसकी भी सरकार को खबर है कि इन ४ लाख ४८ हजार मकानों में से, जो गिरे हैं, कितने मकानों की मरम्मत हो पायी है या बन पाये हैं ?

श्री चरणसिंह—इसका इल्म नहीं है। लेकिन मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं, जो माननीय मित्र इंसीनुएशन कर रहे हैं कि नहीं बने हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतायेगी कि सरकार के पास क्या आधार है जिसकी बुनियाद पर सरकार कह सकती है कि काफ़ी तादाद में मकान बन चुके ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने कहा नहीं।

श्री राजनारायण--तो क्या सरकार इस बात को सूचना मान कर कोई जांच करायेगी कि जो मकान गिरे हैं उनमें से अधिकांश मकान गरीबों के अभी नहीं बन पाये हैं और उनको बनवाने का कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री चरणसिंह--जी, कोई सूचना मंगाने का विचार नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ४ लाख ४८ हजार मकानों में से कितनों की मरम्मत हुई और कितने बनाये जा चुके ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दे दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी जानकारी है कि इस वर्ष रबी की बोवाई खेतों में नमी न होने के कारण पीछे हुई है और फसल जो है पूरी खेतों में उग नहीं पायी है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, मुझे यह मालूम है कि कमी रह गई है बोवाई में, पूरा क्षेत्रफल जो रबी का है वह नहीं बोया गया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां पर फसल रबी को ओले से नुक्सान हुआ है और जो छूट दी गई थी, वह क्यों वसूल की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--रबी के बारे में पूछ रहे हैं आप पहले यह तो पूछें कि रबी को ओले से बरबादी हुई या नहीं। वह तो कहते हैं कि अभी तो बोयी गई है। पिछले वर्ष की आप पूछ रहे हैं तो वह सवाल नहीं उठता। आप प्रश्न ५ से संबंधित प्रश्न पूछिये फिर सवाल कीजिये।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो रबी की फसल को ओले से क्षति पहुंची थी और वहां पर छूट दी गई थी वह पुनः क्यों वसूल की जा रही है ?

श्री चरणसिंह--अगर छूट दे दी गई होगी तो वसूल की ही नहीं गई होगी। हुआ यह होगा कि उन्होंने सस्पेंड की होगी वसूली और बाद में तहकीकात की होगी तो मालूम हुआ होगा कि इतना नुकसान नहीं हुआ जो छूट के लिये क्वालीफ़ाई कर सकें, तब वसूली हुई होगी।

श्री गेंदासिंह--१३६४ की रबी की फसल की कितनी मालगुजारी की छूट हुई है और उसको कितनी आपदा मानते हैं अब तक ?

श्री अध्यक्ष--उसका तो जवाब दिया गया है।

श्री गेंदासिंह--जवाब तो अध्यक्ष महोदय, यह मिला है कि नहीं। कहीं शायद "इस" शब्द मैंने लिख दिया था उसका फायदा उठा लिया गया कि इस वर्ष की रबी नहीं बोयी गई। तो अब मैं १३६४ फसली की बात पूछ रहा हूं।

श्री चरणसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। फिर आप यह पूछेंगे कि देवरिया में क्या हुआ, तो इतना कोई तैयार होकर नहीं आता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जो रबी की फसल कीड़ों से बरबाद हुई है उसकी क्षति कितनी है ?

श्री अध्यक्ष---अलग-अलग कारणों की हानि नहीं पूछी जा सकती ।

श्री गेंदासिंह---मंत्री जी फिर अपने उत्तर को दोहराने की मेहरबानी करेंगे जिसमें उन्होंने १३६४ की रबी का फ़सल का जवाब दिया है और उसी के अनुसार मैंने पूछा कि १३६४ फसली की रबी में कितनी मालगुजारी उन्होंने माफ़ की थी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने १३६२-१३६४ तक का इकट्ठा उत्तर दे दिया। अलग-अलग वह कहते हैं उनको मालूम नहीं ?

श्री चरणसिंह---जो आपको लिस्ट दे रखी है उसमें अलग-अलग भी दे रखा है, वह मौजूद है। टोटल भी मौजूद है, तीनों का अलग-अलग मौजूद है, फिर सवाल उठता कहां है ? आपने पूछा टोटल और मेरे दफ्तर वालों ने मेहरबानी की और अलग-अलग दे दिया। जब अलग-अलग मौजूद है तो सवाल उठता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि नदियों के कटान से कितनी क्षति हुई है ?

श्री अध्यक्ष---लिस्ट तो दी हुई है।

श्री गौरीशंकर राय---लिस्ट में नदियों के कटान की चर्चा है, लेकिन कटान से जो कई प्रकार की क्षति हुई है भूमि की, घर वगैरह की उसकी चर्चा नहीं है ?

श्री चरणसिंह---सूची नम्बर १ है उसमें पहले किस्म की कटेगरी से जितना नुकसान हुआ है वह सब दिया हुआ है। आपने पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं फरमाई।

श्री अध्यक्ष---इसमें नदियों के कटाव से जो भूमि प्रभावित हुई है उसका विवरण दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बगैर पढ़े हुये प्रश्न करते आ रहे हैं।

सामान्य विकास केन्द्र, मरदह, जिला गाजीपुर के अन्तर्गत कार्य

*८---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सामान्य विकास केंद्र मरदह, गाजीपुर के अन्तर्गत कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उन कर्मचारियों को कुल प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---कर्मचारियों की संख्या २३ है, और उन्हें वेतन के रूप में कुल २,५८५ रुपया मासिक दिया जा रहा है।

*९---श्री यमुनासिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त विकास केंद्र के अन्तर्गत जब से वह केंद्र स्थापित हुआ है तब से जुलाई, १९५७ तक कितना और कौन-कौन सा निर्माण कार्य हो चुका है ? क्या उसकी तालिका सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वांछित विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ३९८ पर)

*१०---श्री यमुनासिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त विकास केंद्र के अन्तर्गत उसमें नियुक्त कर्मचारियों के रहने के लिये एवं कार्यालय के लिये नया भवन बनाने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त भवन के कब तक बनने की आशा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कार्यलय के लिये भवन निर्माण का प्राविधान इस वित्तीय वर्ष में कर दिया गया है। कर्मचारियों के रहने के लिये इमारत बनवाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि इन २३ कर्मचारियों में से रात्रि प्रौढ़ पाठशाला के अध्यापक भी हैं? यदि हैं, तो उनको क्या मासिक वेतन है और दिया जाता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उनमें १ तो क्षेत्र विकास अधिकारी है, और ४ सहायक विकास अधिकारी १० ग्राम सेवक, १ एकाउन्टेंट, १ टाइपिस्ट क्लर्क, १ स्टोरकीपर, १ ड्राइवर, ३ संदेश-वाहक और १ अर्दली।

श्री यमुनासिंह--- क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि इन २३ कर्मचारियों में से कितने हरिजन कर्मचारी और कितने पिछड़ी जाति के कर्मचारी हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

आगरा जिले की किरावली तहसील में रेही जमीन का लगान मुआफ करने की प्रार्थना

*११---**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**---क्या सरकार को पता है कि जिला आगरा की तहसील किरावली में उपजाऊ भूमि का काफी रकबा रेह से मारा गया है? यदि हां, तो ऐसा रकबा कितना है? क्या ऐसे रकबे का लगान सरकार उस वक्त तक माफ कर देगी जब तक कि वह भूमि उपजाऊ न बन जाय और ऐसी भूमि को उपजाऊ बनाने में सरकार की क्या योजना होगी?

श्री परमात्मानन्दसिंह---जी नहीं। कागजात देही में रेह से प्रभावित भूमि के आंकड़े नहीं लिखे जाते हैं, परन्तु अनुमान यह है कि किरावली तहसील में जोत के क्षेत्रफल में से केवल १८०० एकड़ भूमि रेह से प्रभावित हुई है। जहां जोत का कुछ भाग रेह से प्रभावित हो जाता है और उसकी पैदावार कम हो जाती है तो प्रार्थना-पत्र देने पर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार नियमावली के नियम २९२-ए के अनुसार मालगुजारी में छूट दी जा सकती है। रेह से प्रभावित भूमि को उपजाऊ बनाने के संबंध में सरकार की कोई योजना नहीं है, अभी तो केवल अनुसंधान हो रहे हैं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---सरकार को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि आंकड़े १,८०० एकड़ हैं जब कि आंकड़े देखे नहीं जाते?

श्री चरणसिंह---जिलाधीश ने अपने मातहत कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी और उन्होंने अनुमान अपना लगाया है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---मैं सरकार का ध्यान जिलाधीश के पत्र दिनांक २६ अक्तू-बर की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने मुझे मेरे पत्र के जवाब में यह उत्तर दिया कि अभी तक रेह के कारण कृषि योग्य भूमि में कोई विशेष हानि की सूचना नहीं है, अगर आवश्यकता होगी तो उचित कार्यवाही की जायगी, तो किस आधार पर उन्होंने यह जवाब दिया?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न तो आप को सरकार के पास भेज देना चाहिये था। वैसे अचानक अगर आप पूछेंगे तो जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी जिलाधीश को ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो नुक्सान खेतों में रेह पड़ जाने से हुआ है उनकी मालगुजारी माफ कर दें?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। नियम यह है कि जिन किसानों की जोत के अन्दर रेह हो गई है वह दरख्वास्त दें। फिर तहकीकात होगी कि उससे पैदावार पर असर पड़ा है या नहीं। यदि असर पड़ा है तो बेशक मालगुजारी कम कर दी जायगी।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की किरावली तहसील में रेह से मारे जाने वाले रकबे में एक्सटेंशन हो रहा है?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। रेह का एक्सटेंशन नहीं हुआ करता है और सूबे भर में कहीं नहीं हो रहा है। ३० लाख एकड़ कुल रकबा रेह का है, इतना ही है और शायद कहीं नई पैदा होती हो।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि लेखपालों की ड्युटी थी कि रेह वगैरह की इस तरह की जो आपदायें आयें उनकी वह रिपोर्ट किया करें? क्या अब वह ड्यूटी हटा ली गई है कि वह रिपोर्ट न दें?

श्री चरणसिंह---लेखपालों की ड्यूटी कभी भी नहीं थी। अगर माननीय मित्र बतलायेंगे कि फलां नियम के मुताल्लिक थी तो मैं देखने की कोशिश करूंगा कि रेह कहां हो गई है इसकी रिपोर्ट करें।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बराबंकी)---क्या माननीय मत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लेखपाल जब दौरा करते हैं तो सभी जिन्स देखते हैं तो जो रेह पैदा हो जाती उसको नहीं देखा जा सकता है?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं। यह आप का सजेशन हो सकता है, प्रश्न नहीं।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब लेखपाल जांच-पड़ताल करता है तो क्या उसके लिये यह लाजमी नहीं है कि वह खेत की खराब हालत को देख कर रिपोर्ट करे?

श्री चरणसिंह---पड़ताल तो केवल काबिज और जिन्स की ही की जाती है। जमीन की किस्म के मुताल्लिक लेखपाल को आज तक देखने का अख्तियार नहीं था।

वाराणसी कमिश्नरी से ग्राम-सेवकों का चुनाव

*१२---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कमिश्नरी के प्रत्येक जिले से सन् १९५७ में कितने ग्राम सेवकों का चुनाव किया गया है? इन में परिगणित जाति के कितने उम्मीदवार हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९९ पर)

जौनपुर जिले में अधिवासियों के मुकदमे

*१३---श्री माताप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में पृथक-पृथक अधिवासी के कितने मुकदमें विचाराधीन हैं?

श्री चरणसिंह---जौनपुर जिले की सदर तहसील में ३,०१८, मंडियाहू में १४,७२४, मछलीशहर में १,०४८, शाहगंज में १२,२२१ तथा केराकत में ६,५०७ अधिवासी के मुकदमें विचाराधीन हैं।

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में पांच वर्ष से अधिक अवधि के कर्मचारी

*१४---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में महराजगंज तहसील में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका गत पांच वर्षों से अधिक हुए स्थानान्तरण नहीं किया गया है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---गोरखपुर जिले में महराजगंज तहसील का केवल एक कर्मचारी ऐसा है जिसका गत ५ वर्षों से अधिक हुए स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

श्री अमरनाथ---क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी जैसा कि मुझे पता है कि और भी कर्मचारी पांच साल से अधिक वहां पड़े हुये हैं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---सरकार के पास जो सूचना थी वह दी गई है । अगर माननीय सदस्य कोई लिखित सूचना दफ्तर में देने की कृपा करेंगे तो जांच करा ली जायगी ?

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माल विभाग के कर्मचारियों को एक जिले में कितने दिन तक रहने का अधिकार है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---अधिकार के बारे में कोई नियम नहीं है। प्रायः सरकार की ओर से ऐसा प्रबन्ध होता है कि तीन साल के लगभग इधर-उधर कर देते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो अधिकारी वहां ५ साल से अधिक हैं वह किस पद पर हैं ?

श्री चरणसिंह---जमींदारी अबालीशन कम्पेंसेशन क्लर्क है जिसको जुलाई, १९५७ या अगस्त, १९५७ को पांच साल हुये हैं। अभी तीन-चार महीने ही ज्यादा हुये हैं।

श्री राजनारायण---क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि जब साधारणतया तीन वर्ष तक एक सरकारी कर्मचारी एक स्थान पर रहता है तो क्या कारण है कि उक्त व्यक्ति ५ वर्ष से अधिक समय तक वहां पर रहा ?

श्री चरणसिंह---सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये ऐसा नियम नहीं है। जो इन्फ़ीरियर सर्वेन्ट्स हैं, जैसे चपरासी वगैरह, वे सारी उम्र एक ही स्थान पर रह सकते हैं और जो मिनिस्टीरियल सर्विसेज में हैं उनके लिये ५ साल का नियम है और तहसीलदार वगैरह का आमतौर पर तीन साल है। यह कर्मचारी मिनिस्टीरियल सर्विसेज का है और टेम्पोरेरी है। उसको कुछ ही महीने हुये वहां पांच साल हुए। तो उसका ट्रान्सफर अफसरान के जेरेगौर है।

टेहरी-गढ़वाल जिलान्तर्गत पट्टी बडियारगढ़ में अतिवृष्टि से हानि

*१५---श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ७ व ८ जुलाई, १९५७ की अतिवृष्टि के कारण टेहरी-गढ़वाल के पट्टी बडियारगढ़ में कितनी भूमि व मकान बहे ?

श्री चरणसिंह---पट्टी बडियार गढ़ में गत ७-८ जुलाई की अतिवृष्टि से ८ गांवों की २० प्रतिशत भूमि तथा फसल नष्ट हो गई। २२ और गांवों में भी मामूली क्षति पहुंची। वर्षा के कारण ३ मकान भी गिरे।

*१६---श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)--- इस वृष्टि से कुल कितना नुक्सान हुआ और सरकार ने नुक्सान-पीड़ित किसानों के लिये क्या इमदाद प्रदान की ?

श्री चरणसिंह--इस अति वृष्टि से पट्टी बड़ियारगढ़ व भरदार पट्टियों में कुल मिलाकर ८४ एकड़ भूमि तथा ६ मकान बह गये तथा लगभग २४ मकान तथा ३ छानों (पशु-शालाओं) को क्षति पहुंची। हानि का कुल अनुमानित मूल्य लगभग ५,४२,१२० रु० है। क्षति-ग्रस्त लोगों के सहायतार्थ सरकार ने निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की :-

	रु०
१--अहेतुक सहायता	५,०००
२--तकावी	१०,०००

इसके अतिरिक्त लोगों को कम्बल, कपड़ा, बिस्कुट, दूध का पाउडर आदि भी बांटा गया, सस्ते अन्न की दूकानें खोली गयीं तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें प्रदान की गईं।

*१७--**श्री सूरतचन्द रमोला** (अनुपस्थित)-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल में १९५६-५७ के बाढ़-पीड़ितों की मदद के लिये जो इमदाद मंजूर की गई थी वह अब तक क्यों नहीं बांटी गई ?

श्री चरणसिंह--वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में टेहरी-गढ़वाल के बाढ़-पीड़ितों की सहायतार्थ सरकार ने तकावी तथा अहेतुक सहायता के लिये क्रमशः ६०,००० रुपया तथा १०,००० रुपया स्वीकृत किये थे। इन धनराशियों में से तकावी की पूरी रकम तथा अहेतुक सहायता की धनराशि में से ७,१३७.४२ रुपया बांट दिया गया था। अहेतुक सहायता की शेष धनराशि को बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसे अब बांटने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुदानों का शेषांश व्यपगत हो जाता है।

मुजफ्फरनगर जिले में अतिवृष्टि से फसल को हानि

*१८--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)-- क्या यह सही है कि इस वर्ष अतिवृष्टि और लगातार वृष्टि के कारण जिला मुजफ्फरनगर में जानसठ, शामली व मुजफ्फरनगर में फसलें बोई नहीं जा सकीं हैं और पहले जो बोई गई थीं वह सब नष्ट हो चुकी हैं ?

श्री चरणसिंह--इस वर्ष अति वृष्टि तथा लगातार वृष्टि के कारण जानसठ में कुछ निचले भागों में फसल नहीं बोयी जा सकी तथा बोयी गयी फसल को कुछ हानि हुई है।

परगना शामली (तहसील कैराना) के अन्तर्गत कुछ छितरे हुये खेतों के अतिरिक्त कोई भी संपुट क्षेत्रफल ऐसा नहीं है जिसमें फसल न बोई जा सकी हो अथवा बोई गई फसल को हानि पहुंची हो।

मुजफ्फरनगर तहसील में कुछ ऐसी भूमि है जिसमें बोई गई फसल को हानि पहुंची है परन्तु बुवाई के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

सरेनी क्षेत्र के अन्तर्गत दकपुरा ग्राम में बंजर भूमि

*१९--**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरेनी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा हेलोली के ग्राम दकपुरा में बंजर भूमि कितनी है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--बंजर भूमि दस (१०) एकड़ है।

श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस मौजे में हरिजन और बैकवर्ड के सिवाय और कोई नहीं रहता और दूसरे गांव के आदमियों ने इस बंजर भूमि पर कब्जा कर रखा है और पेड़ लगा लिये हैं ?

श्री चरणसिंह---ऐसा कोई इल्म सरकार को नहीं है।

श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार तहसीलदार को लिख कर के इसकी जानकारी प्राप्त करने का कष्ट करेगी ?

श्री चरणसिंह---अगर माननीय मित्र तफसील के साथ इत्तला देने की मेहरबानी करेंगे तो।

आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, लालगंज की इमारतों के लिए रघुनाथ किसान को भूमि का मुआवजा न मिलना

*२०---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में लालगंज राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की इमारतें जिस चार बीघे भूमि पर बनी हुई हैं वह रघुनाथ नामक एक किसान की है जिसे प्रतिकर के रूप में एक पैसा भी सरकार ने नहीं दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड लालगंज, जिला आजमगढ़ की इमारतें जिस भूमि पर बनी हुई हैं, वह श्री रघुनाथ किसान की थी जिसने उक्त सेवा-खण्ड की इमारतों के लिये उसे स्वेच्छापूर्वक प्रदान कर दिया था। श्री रघुनाथ को इस प्रसंग में प्रतिकर (Compensation) के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि तहसीलदार ने नियमानुसार नियत कर दी है। वह धनराशि श्री रघुनाथ को उपलब्ध हो जाए इस बात की कार्यवाही हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि रघुनाथ किसान के पास केवल ५ बीघे सब जमीन थी और उसमें से ४ बीघे जमीन तहसीलदार लालगंज ने धोखे से दान-पत्र लिखवा कर हासिल कर लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसकी सरकार को कोई इत्तला नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय मेरी इस बात को सूचना मान कर इस बात की जांच करायेंगे कि तहसीलदार ने वह दान-पत्र धोखा दे कर लिखा लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगर माननीय सदस्य यह लिख कर देंगे तो इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ढाई वर्ष हुये जब यह जमीन ली गयी लेकिन आज तक सरकार ने उसका कम्पेन्सेशन क्यों नहीं दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अब तो उसकी सब कार्यवाही हो गयी और वह दिया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रघुनाथ ने जिलाधीश, आजमगढ़ के पास इस बात की दरख्वास्त दी थी कि उसे प्रतिकर दिया जाय तो उससे यह कहा गया कि चूंकि जमीन स्वेच्छा से दी गयी है इसलिये कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, यह बात गलत है। मेरे पास तो यह भी सूचना है कि उनके लिये ९८ रुपया ८ आना ३ पाई प्रतिकर, तय कर दिया गया और तहसीलदार ने इसको नियत भी कर दिया है। अभी उनके पास यह धन पहुंचा नहीं है।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खेसरहा, जिला बस्ती में विकास कार्यों पर व्यय

*२१—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खेसरहा, जिला बस्ती में अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और कौन-कौन से विकास कार्य अब तक हुए हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खेसरहा ब्लाक में ३१ जुलाई, १९५७ तक ९३, ४८३ रुपया खर्च हुए हैं। इस अवधि में किए गए विकास कार्यों का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०० पर)

बस्ती जिले की सर्किल उस्का बाजार में बाढ़ व सखा के कारण क्षतिपूर्ति

*२२—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल उस्का बाजार के किन-किन गांवों में विगत बाढ़ व सूखे से नुकसान हुआ ?

श्री चरण सिंह—ग्रामों की सूची संलग्न है।

*२३—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कानूनगो की सर्किल के प्रत्येक गांव में सरकार द्वारा हर किस्म की कितनी-कितनी सहायता किस-किस प्रकार की दी गई और किन-किन गांवों में लगान में कितनी-कितनी छूट हुई और कितना-कितना कर्जा या तकावी दी गई ?

श्री चरणसिंह—सूचना उक्त सूची में दिखा दी गई है।

झांसी जिले में स्थित मध्य प्रदेश के कथित ग्राम

*२४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार मध्य प्रदेश के उन गांवों की नाम सहित झांसी जिले की तहसीलवार एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जो झांसी जिले की सीमा में स्थित है ?

श्री चरणसिंह—मध्य प्रदेश का कोई गांव झांसी जिले की सीमा में स्थित नहीं है।

झांसी जिले के सीमान्त क्षेत्र से गुजरने वाली बसों को मध्य प्रदेश से कथित परमिट

*२५—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश की बसों के मालिकों का झांसी जिले की सीमा में स्थित मध्य प्रदेश के ग्रामों तथा उनकी सीमा में से गुजरने के कारण मध्य प्रदेश से भी परमिट की फीस अदा करके परमिट लेने पड़ते हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील से लगान की वसूलयाबी

*२६—श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (जिला गारखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १३६४ फसली का तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर का लगान (Land revenue) कितना था और १५ जुलाई, १९५७ तक कितना वसूल हुआ ?

---

†सूची छापी नहीं गयी।

श्री परमात्मानन्दसिंह—तहसील फरेंदा जिला गोरखपुर की १३६४ फसली की संशोधित मांग जिसमें स्थगित तथा छट दी गई मालगुजारी शामिल नहीं है ५,७३,०६४ रु० ८२ नये पैसे थी और १५ जुलाई, १९५७ तक ५,४७,२०३ रु० ७ नये पैसे वसूल हुआ था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस साल कुल कितना रुपया स्थगित हुआ और कितना छूट का हुआ ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—फीगर्स हैं मेरे पास। भवन का कुछ समय लगेगा। अगर माननीय सदस्य दफ्तर में आकर देखने की कृपा करें तो मैं दिखा दूंगा।

फैजाबाद चकबन्दी विभाग में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*२७—**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद चकबन्दी विभाग में कुल कितने अमीन व चपरासी काम कर रहे है ? इनमें से कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जाति के कर्मचारी हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—फैजाबाद में चकबन्दी योजना में कुल २६६ चकबन्दी लेखपाल (अमीन) और १३५ चपरासी काम कर रहे हैं। इनमें ३ हरिजन और १४ पिछड़ी जातियों के लेखपाल हैं तथा २३ हरिजन और ३७ पिछड़ी जातियों के चपरासी हैं।

श्री सुखरामदास—क्या सरकार बतायेगी कि फैजाबाद जिले में अमीन तथा लेखपालों के लिये हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री चरण सिंह— इस की सूचना नहीं है। लेखपालों में वही लोग लिये गये जो पहले लेखपाल रह चुके थे और जिन्हों ने इस्तीफा दे दिया था और ट्रेन्ड थे। जिनको तजुर्बा था वही लिये गये। इसलिये उनमें हरिजन नहीं होंगे या कम होंगे।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चपरासियों में हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

गोरखपुर जिलान्तर्गत चरगावां राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड पर व्यय

*२८—**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर के चरगावां N. E. S. ब्लाक में अब तक कुल कितना धन जनहितकारी निर्माण में अलग-अलग खर्च हो चुका है और हर वर्ष अलग-अलग कार्यों के लिये कुल कितना धन सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ४०१–४०२ पर)

*२९—**श्री केशव पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस क्षेत्र में कोई गृह-उद्योग शुरू हुआ है ? यदि हां तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस क्षेत्र में कोई गृह उद्योग शुरू नहीं हुआ है।

*३०—**श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी)—[२४ दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालयों को फीस माफी के लिए सहायता

*३१—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों ने सन् १९५६ में फीस माफी के लिये सरकार से कुल कितने रुपयों की मांग की है और सरकार ने उन्हें कितना रुपया दे दिया है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—बलिया जिले से १९५६-५७ में फीस माफी से हुई हानि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में कुल ३,८६,२४० रुपये की मांग सरकार को प्राप्त हुई तथा कुल मांग स्वीकृत की जा चुकी है।

*३२—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि सरकार ने अपने आदेश में फीस माफ करके धन की मांग पेश करने को कहा था ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—जी नहीं। आदेश जारी करते समय जिलाधीशों को कुछ रुपये की स्वीकृति भी दी गई थी और उनसे यह कह दिया गया था कि अगर यह रुपया और अहेतुक सहायता की बचत का रुपया मिला कर भी कमी पड़े तो और रुपया मांगे।

*३३—श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि उक्त फीस माफ होने के कारण और सरकार से उक्त रकम मिलने के अभाव में अध्यापकों की तनख्वाहें रुकी हैं?

श्री परमात्मानन्दसिंह—जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि उन लोगों के रुपया मांग करने के बाद भी पिछले महीने में इस प्रश्न के पूछने पर रकम की अदायगी हुई है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, यह बात कुछ हद तक सही है लेकिन प्रश्न करने का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। कारण और था। कारण यह था कि तीन बार रुपया मांगा और तीनों बार रुपया फौरन दिया गया। फिर उन्होंने रुपया मांगा जब कि वित्तीय वर्ष खत्म हो चुका और वोट आन अकाउन्ट हो चुका। इसलिये वह रुपया उस वक्त नहीं दिया जा सका। जब वह बजट पास हुआ तब १ लाख ८६ हजार की रकम हमने फौरन ९ सितम्बर को भेज दी।

श्री जंगबहादुर—जिन विद्यार्थियों की फीस वसूल करली गई तो क्या बाद में फीस माफी का रुपया देकर वह फीस वापस कर दी जायगी ?

श्री चरणसिंह—फीस माफ की गई किसी विद्यार्थी की और मैनेजमेंट ने वसूल कर लिया, यह विद्यार्थी और मैनेजमेंट के बीच की बात है। गवर्नमेंट से इसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय माल मंत्री इस बात का पता लगायेंगे कि अध्यापकों की तनख्वाह पिछले महीने से अब तक बिना मिले रुकी रही ?

श्री चरणसिंह—पता लगाने की जरूरत नहीं है। यह जो जवाब दिया गया आखिरी सवाल का, यह पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता, मैं इस बात को तसलीम करता हूं। अब वह रुपया दिया गया है, उनको तनख्वाह मिल गई होगी। तहक़ीकात करने की जरूरत नहीं है।

कासिमाबाद-मुहम्मदाबाद सड़क पर रोडवेज की गाड़ियां चलाने का विचार

*३४—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार मरदह से कासिमाबाद व कासिमाबाद से मुहम्मदाबाद होते हुये गाजीपुर के लिये रोडवेज की गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर विचार करने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५८-५९ में कासिमाबाद से मुहम्मदाबाद होते हुये गाजीपुर मार्ग पर रोडवेज की गाड़ियां चलाने का विचार है ।

कासिमाबाद से मरदह तक सड़क बहुत खराब है । यदि सड़क का यह भाग उस समय तक ठीक हो गया तो उस पर भी रोडवेज की बसें चलायी जा सकेंगी ।

श्री यमुनासिंह—क्या सरकार इसको सूचना समझ कर मरदह से कासिमाबाद तक जो पक्की सड़क है इस हालत में उस पर रोडवेज चलाने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा नहीं है । कुछ हिस्से में पक्की सड़क है । लेकिन बाकी कंकड़ की सड़क है वह ज्यादा अच्छी नहीं है और इस समय वहां रोडवेज चलाने का विचार नहीं है।

रोडवेज की गाड़ियों पर 'लाकर-व्यवस्था' से लाभ

*३५—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज की गाड़ियों पर " लाकर व्यवस्था " कायम करने से सरकार का क्या लाभ हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—रोडवेज की बसों पर " लाकर व्यवस्था" कायम करने से सरकार को निम्नप्रकार लाभ हो रहा है :

(१) बसों में कंडक्टरों द्वारा यात्रियों को बगैर टिकट लेजाने की सम्भावना कम हो गई है और आय में वृद्धि हो रही है ।

(२) इस व्यवस्था से यात्रियों द्वारा गाड़ी पर चढ़ने के पूर्व टिकट लेने के नियम "pay and board" का पालन भी हो जाता है ।

(३) यदि बस कंडक्टर किसी को बस में बिला टिकट ले जाना चाहे तो 'लाकर व्यवस्था' की वजह से चेकिंग अधिकारी उसे तुरन्त पकड़ सकता है । इस प्रकार बिला टिकट बसों में यात्रा करने वालों की एक हद तक कमी हो गई है ।

विकास खण्ड दोहरीघाट द्वारा दोहरीघाट टाउन एरिया में विकास-कार्य

*३६—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड दोहरी घाट द्वारा दोहरीघाट टाउन एरिया में कौन-कौन से विकास कार्य हुये हैं और किन-किन कार्यों को टाउन एरिया और विकास खंड के अन्तर्गत अन्य गांवों में आरम्भ करने की योजना विचाराधीन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—दोहरीघाट टाउन एरिया में दोहरीघाट विकास खंड के तत्वावधान में एक पानी पीने के कुएं का निर्माण हो चुका है । इसके अतिरिक्त गन्दे पानी के निकास के लिये १,५०० फिट लम्बी एक नाली बनायी जा रही है और शीघ्र ही गलियों में खड़न्जे लगाने का कार्य प्रारम्भ होने वाला है । प्रस्तावित कार्य जो प्रसंगगत टाउन एरिया और विकास खंड के अन्य गांवों में किये जांयगे, उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी ' च' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि जिन विकास खंडों के अन्तर्गत कोई टाउन एरिया पड़ता है तो क्या इस में कोई ऐसा नियम है कि उस विकास खंड क कुल धन का कितना प्रतिशत इस टाउन एरिया में व्यय होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा नहीं है ।

वाराणसी जिले की भदोही तहसील में जमींदारी विनाश ऐक्ट के अन्तर्गत ली गयी भूमि का मुआवजा

*३७---श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वाराणसी जिले की भदोही तहसील में कितने जमींदारों की जमींदारी सरकार द्वारा जमींदारी विनाश ऐक्ट के अन्दर ली गई ?

श्री चरणसिंह---वाराणसी जिले की भदोही तहसील में ५,२८७ जमींदारों की जमींदारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ली गई ।

*३८---श्री बेचनराम गप्त (अनुपस्थित)---सरकार को कुल कितना रुपया इन जमींदारों को मुआवजे का देना है ?

श्री चरणसिंह---सरकार द्वारा उपर्युक्त जमींदारों को कुल २,१५,०३५ रु० ७६ नये पैसे प्रतिकर के रूप में देय था जिसमें से ८९,१०१ रु० ६५ नये पैसे का भुगतान करने के पश्चात १,२५,९३४ रु० ११ नये पैसे देना बाकी है ।

गोरखपुर जिले में चन्दन छप्पी ग्राम की चरागाही जमीन के सम्बन्ध में मुकदमेबाजी

*३९---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि ३-१२-१९५५ के गजट में घोषित गोरखपुर की तहसील महराजगंज में स्थित चन्दन छप्पी चरागाह पर कतिपय व्यक्ति गैरकानूनी तौर पर कब्जा करना चाहते हैं ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---मौजा चन्दन छप्पी गांव में कोई जमीन चरागाह के लिये गजट में घोषित नहीं की गई और न इस प्रकार के गजट में घोषित करने की किसी नियम या अधिनियम में आवश्यकता ही है । इस गांव समाज ने अपनी कुछ जमीन पट्टे पर उठायी थी, उस जमीन के बारे में माल तथा फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं ।

*४०---श्री झारखंडेराय---यदि हां, तो सरकार की ओर से इसकी रोकथाम के लिये क्या किया गया है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि फौजदारी के मुकदमें किन लोगों पर चल रहे हैं और किन कारणों से ?

श्री परमात्मानन्दसिंह---फौजदारी के मुकदमें प्रायः लोगों में आपस में चल रहे हैं कुछ जमीन के ऊपर जी सरकार के देखने में नाजायज मालूम हुई थी, अमलदरामद में सरकार ने भी ऐतराज किया है ।

श्री झारखंडेराय---जब यह जमीन चरागाह के रूप में इस्तेमाल हुआ करती थी तो गांव समाज ने इसे पट्टे पर क्यों उठाया ?

श्री चरणसिंह---यह जमीन चरागाह की थी या नहीं, यह भी विवाद का प्रश्न है उसमें ।

*४१---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---[१६ दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सीतापुर जिलान्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों पर व्यय

*४२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत ३० जुलाई, १९५७ ई० तक किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड (क्षेत्र) तथा राष्ट्रीय प्रगाढ़ सेवा खंड (क्षेत्र) कायम किये जा चुके हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सीतापुर जिले में ३० जुलाई, १९५७ तक निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोले गये :--

(१) हरगांव, (२) बेहटा, (३) सिधौली, (४) मिसरिख, (५) बिस्वां।

२--इनमें से उक्त तिथि तक हरगांव तथा बेहटा प्रगाढ़ सेवा खंड में परिवर्तित कर दिये गये।

*४३--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त समस्त राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय प्रगाढ़ सेवा खंडों के हेतु जब से वे कायम हुये प्रत्येक वर्ष खर्च के हेतु कितने-कितने रुपये सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९५७ तक दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४०४ पर)

*४४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यय के हेतु दिये गये धन को निर्धारित अवधि के अन्दर प्रत्येक प्रसार सेवा क्षेत्र (खंड) तथा राष्ट्रीय प्रगाढ़ सेवा खंड (क्षेत्र) के अधिकारियों ने खर्च कर दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्राय: ऐसा होता है कि अमुक वर्ष के लिये स्वीकृत किये गये प्रविधान का सम्पूर्णांश उसी वर्ष खर्च नहीं हो पाता। खर्च-आवश्यकतामात्र के अनुसार नियमित मितव्ययिता को दृष्टिकोण में रखते हुये किया जाता है।

२--प्रसंगगत खंडों में भी प्रतिवर्ष कुछ न कुछ बचत होती ही रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--प्रत्येक खंड में प्रतिवर्ष क्या बचत हुई, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ये आपको नहीं मिले हैं क्या ? कुछ दिये तो थे आपको हर वर्ष के। मुझे पता नहीं है कि आपके पास पहुंचे हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष--आपने जो जवाब दिये हैं वे उनके पास पहुंचे हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह बहुत लम्बी है, मैं उनको भेज दूंगा।

बलिया-आजमगढ़ व बलिया-बेलथरा सड़कों पर बसों के किराये में अन्तर

*४५--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया-आजमगढ़ रोड तथा बलिया-सिकन्दरपुर-बेलथरा रोड पर चलने वाली गवर्नमेंट रोडवेज की बसों के किराये की दरों में अन्तर का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--बलिया आजमगढ़ रोड पर चलने वाली गवर्नमेंट रोड-वेज की बसों की केवल मध्यम श्रेणी के टिकटों में २ पाई प्रति मील प्रति यात्री की कमी है, जिसका कारण यह है कि उपरोक्त रोड रेलवे के समानान्तर है। इस मार्ग पर यात्री दूर-दूर गांवों से पैदल आते हैं, परन्तु प्राय: रेल न मिलने के कारण अथवा रेल का समय अनुकूल

न होने से उन्हें दूसरी रेल आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट रोडवेज की मध्यम श्रेणी के टिकटों के अधिक दाम होने के कारण यात्री बसों में नहीं बैठते थे। इस प्रकार वे दूसरी रेल का इन्तजार करते थे। इस असुविधा को दूर करने के लिये यह उचित समझा गया कि बलिया-आजमगढ़ रोड पर चलने वाली बसों के मध्यम श्रेणी के टिकटों के दामों में कमी कर दी जाय।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी कारण है कि बलिया-सिकन्दरपुर रोड पर प्राइवेट बसों से भी कम्पटीशन है, इसलिये भी किराया कम रखा हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस पर तो वही किराया लिया जाता है जो आम तौर से है, ९ पाई प्रथम श्रेणी का और साढ़े सात पाई मध्यम श्रेणी का। वहां कम नहीं लिया जाता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार इस प्रकार की नीति अख्तियार कर रही है कि जहां रेलों का मुकाबला हो वहां बसों का किराया कम लें ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी नीति नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार को मालूम है कि देवरिया गोरखपुर का रेल का किराया बस से ज्यादा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना की आवश्यकता है।

रायबरेली जिलान्तर्गत बरारा बुजुर्ग ग्राम में भूमिहीनों को पट्टे

*४६---श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज बरारा बुजुर्ग, तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली, में कितनी बंजर भूमि है ?

श्री चरणसिंह---४८० एकड़ बंजर भूमि है।

*४७---श्री रामप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम के भूमिहीनों को कितने पट्टे कितनी-कितनी भूमि के जनवरी सन् १९५६ ई० से मार्च सन् १९५७ ई० तक दिये गये ?

श्री चरणसिंह---दो पट्टे २.१८ एकड़ भूमि के, दो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ग्राम समाज द्वारा दिये गये।

*४८---श्री रामप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जो पट्टे दिये गये हैं उन भूमिहीनों को अधिकार मिला या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---एक पट्टेदार को अधिकार मिल गया। दूसरे पट्टेदार श्री सुखदीन को अधिकार नहीं मिल पाया। इसका कारण यह है कि श्री बलभद्र नारायण ने धारा १४५ जाब्ता फौजदारी का वाद श्री सुखदीन के विरुद्ध दायर कर दिया था जिसका निर्णय श्री बलभद्र नारायण के पक्ष में हुआ है और दुरुस्ती कागजात की कार्यवाही अभी चल रही है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत रायबरेली जिले में होने वाले कार्य

*४९---श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---क्या सरकार एक सूची देने की कृपा करेगी जिससे पता चल सके कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला रायबरेली में कौन-कौन से कार्य किन-किन स्थानों में सरकार करने का इरादा रखती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वांछित सूचना संलग्न †द्वितीय पंच-वर्षीय जिला योजना रायबरेली नामक पुस्तिका में दी हुई है और मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४०५–४०८ पर)

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, को सरकारी फार्मों के अनुवाद के लिये अनुदान

*५०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ समय पूर्व सरकार ने नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, को कुछ सरकारी फार्मों इत्यादि का अनुवाद करने के लिये कितनी आर्थिक सहायता दी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९४८–४९ में नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, को ६,००० रु० का एक अनावर्त्तक अनुदान दिया गया था । यह अनुदान इन कार्यों के लिये दिया गया था :

(क) हिन्दी में विधिक कोष का निर्माण,

(ख) केवल सचिवालय में ही काम आने वाले अधिनियमों और मैनुअलों को छोड़कर अन्य प्रचलित अधिनियमों और मैनुअलों का अनुवाद, और

(ग) केवल सचिवालय में ही काम आने वाले फार्मों को छोड़कर विभिन्न कार्यालयों में प्रयुक्त अन्य फार्मों का अनुवाद ।

अभिप्राय यह था कि इस अनुदान की सहायता से बताये हुये कामों के लिये सभा अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करे और उससे संबंधित प्रासंगिक व्यय (incidental expenditure) करे। इसके अतिरिक्त इस काम के लिये सभा को कोई अनुदान नहीं दिया गया।

*५१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उन्हीं फार्मों के अनुवाद के लिये राज्य सरकार ने सचिवालय में एक विशेषाधिकारी को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो उन पर कुल कितना सरकार को व्यय करना पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५५–५६ में सचिवालय में, हिन्दी की प्रगति के सम्बन्ध में, लगभग चार महीने के लिये एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति की गई थी । उसको विशेषकर सचिवालय के फार्मों और विभागाध्यक्षों के फार्मों के हिन्दी रूपान्तर का काम दिया गया था । सभा द्वारा अनुदित फार्म भी, जो सभा ने सचिवालय में भेजे थे, इस विशेष अधिकारी द्वारा परिमार्जित किये गये और उनको अन्तिम रूप देकर उनके मुद्रण की व्यवस्था की गई । इस अधिकारी के वेतन पर लगभग २,००० रु० व्यय हुआ और एक आशुलिपिक पर, जो एक माह के लिये नियुक्त हुआ था, लगभग २०० रु० व्यय हुआ ।

पीलीभीत जिले में ग्राम सभा, नौगमिया, के सभापति को प्लानिंग डिपार्टमेंट की चेक का भुगतान न मिलना

*५२—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की चेक नम्बरी ८३/१२३२, तारीख ८–३–५६, सभापति, ग्रामसभा, नौगमिया, जिला पीलीभीत, के नाम कैश हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चेक नम्बर ८३/१२३२ दिनांक ८–३–५६ को ग्राम सभापति नोगमियां, जिला पीलीभीत, के नाम जारी किया गया । उसका भुगतान खजाने से प्राप्त किया जा चुका है । किसके नाम उक्त चेक कैश हुआ, इसकी पूछताछ चल रही है ।

---

† छापी नहीं गई।

*५३—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सभापति ने प्रार्थना-पत्र द्वारा जो प्लानिंग आफिसर, पीलीभीत, को ऐसी किसी चेक पर हस्ताक्षर करने से तथा उसका रुपया प्राप्त करने से इनकार किया है उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य-वाही की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त सभापति ने १०-९-५६ को जिला नियोजन अधिकारी, पीलीभीत, के दफ्तर में एक प्रार्थना-पत्र दिया कि रुपया उनको नहीं मिला है इस पर विभागीय जांच की गई और साथ-साथ महालिक इलाहाबाद को लिखा गया कि वे कृपया बतावें कि उक्त चेक का रुपया वास्तव में कौन पाने वाला है ताकि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। उनके नाम ११ जून, १९५७ तथा अगस्त २०, १९५७ को अनुबोधक पत्र भी भेजे गये। उत्तर आ जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

गोंडा जिले के चांदपुर ग्राम में भूमिधरी तथा सीरदारी खातों पर नाजायज कब्जा

*५४—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चांदपुर तथा सोतिया, परगना बूढ़ापार, जिला गोंडा, के भूतपूर्व जमींदारान ने वहां के काश्तकारों के भूमिधरी तथा सीरदारी के खातों पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या इस पर सरकार कोई जांच का आदेश जारी करेगी ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—जी हां। भूतपूर्व जमींदार इन खातों पर तीन वर्ष से अधिक समय से काबिज हैं, अतः जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २१० के अन्तर्गत उनको अधिकार प्राप्त हो गये हैं, फिर भी उनके विरुद्ध धारा २११ की बेदखली की कार्रवाई के बारे में जांच के आदेश सरकार जारी करेगी।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चान्दपुर में जिन खातों पर वहां के भूतपूर्व जमींदारों ने कब्जा किया है उनका रकबा क्या है और किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

श्री चरणसिंह—यह कोई सवा अड़तीस एकड़ है और असर ९३ काश्तकारों पर पड़ा है।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—अब तक कोई कार्यवाही न होने के कारण अब भी वहां के जमींदारान उन खातों पर कब्जा करने जा रहे हैं तो उसके लिये कोई रोकथाम करने के आदेश सरकार जारी करेगी ?

श्री चरणसिंह—अगर कोई किसान अपने हक की हिफाजत करने के लिये तैयार नहीं है, न खेत पर और न अदालत में जाकर तो गवर्नमेन्ट उसकी कहां तक मदद कर सकती है ?

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को मालूम है कि इन काश्तकारों से और भूतपूर्व जमींदारों में दस वर्ष से मुकदमेबाजी चल रही है ? जमींदारों ने मिल्कियत को अपने नाम करा लिया है लेकिन अभी तक कब्जा काश्तकारों का ही है ; क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—इन दो गांवों का जहां तक ताल्लुक है, तीन वर्ष से ज्यादा का कब्जा जमींदारों का दर्ज है। काश्तकारों को इत्तला दी गयी कि जमींदारों का कब्जा है और जमींदारों ने अदालत के जरिये डिग्री हासिल कर ली और इन काश्तकारों ने कोई परवाह नहीं की सिवाय १-२ काश्तकार के। डिग्री जमींदारों के हक में हो गयी है। इसमें गवर्नमेन्ट की ओर से या उसके कर्मचारियों की तरफ से कोई गफलत नहीं की गयी। उन लोगों को सीरदारी के अधिका रहासिल हो चुके हैं। अब गांव समाज को अधिकार है कि वह धारा २११ की उपधारा (१) के मातहत उनके खिलाफ कार्यवाही करे। गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम गांव समाज से कहेंगे कि वह कार्यवाही करे।

बस्ती जिले के करीं ग्राम में बंजर भूमि को भूमिहीन हरिजनों को देने की सिफारिश

*५५--श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)--क्या सरकार जिला बस्ती तहसील खलीलाबाद ग्राम करीं की गैरमजरुआ बंजर भूमि को करीं ग्राम के भूमिहीन हरिजन मजदूरों में वितरण कर देने के लिये सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--ग्राम करीं का कुल क्षेत्रफल ३५५ एकड़ है। कुल बंजर भूमि १६ एकड़ है। चूंकि बंजर भूमि गांव के कुल क्षेत्रफल के १० फीसदी से कम है, उसे नियमानुसार वितरण नहीं किया जा सकता है ।

इटावा जिले में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के मुकदमें

*५६--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के मुकदमे सन् १९५६ से जून सन् १९५७ तक कितने चले ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--जिला इटावा में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के ११,१५८ मुकदमें जनवरी सन् १९५६ से जून सन् १९५७ तक चले ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो मुकदमे चले उनमें कितने गांव पंचायतों के पक्ष में और कितने विपक्ष में फैसल हुये ?

श्री चरणसिंह--पन्द्रह महीने में लगभग ११ हजार मुकदमे चले हैं और दो हजार इसके पहले के थे। इस प्रकार से १३,२११ मुकदमे हुये । उनमें से १०,९९५ फैसल हुये हैं, इनमें से ९,७२८ गांव समाज के हक में फैसल हुये।

अतारांकित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता

१--श्री चन्द्रसिंह रावत--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में राज्य सरकार को कृषि, राष्ट्रीय प्रसार, सिंचाई, विद्युत्उद्योग, यातायात, समाज सेवायें तथा अन्य विविध द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया था और उसमें से कुल कितनी सहायता ऋण तथा अनुदान के रूप में प्राप्त हो सकी ?

२--क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से अन्य किन-किन विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कुल कितनी धनराशि ऋण तथा अनुदान के रूप में प्राप्त हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में भारत सरकार ने राज्य सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि, राष्ट्रीय प्रसार, सिंचाई, विद्युत्, उद्योग, यातायात, समाज सेवायें तथा अन्य विविध मदों के लिये लगभग २३.०० करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता

[श्री सम्पूर्णानंद]

का आश्वासन दिया था। इस राशि में कुछ ऐसी योजनाओं के लिये भी सहायता सम्मिलित थी जो इस प्रदेश की द्वितीय पंच वर्षीय योजना का अंग नहीं थीं तथा कुछ ऐसी योजनाओं के लिये, जो इस प्रदेश की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित थी, भारत सरकार से प्राप्त सहायता इसमें शामिल नहीं की गई थी। महालेखापाल से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में इस राज्य सरकार को भारत सरकार से वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में लगभग १३.५४ करोड़ रु० ऋण तथा १·७५ करोड़ रु० अनुदान प्राप्त हुआ।

महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार की द्वितीय पंच-वर्षीय योजना से भिन्न विकास योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में लगभग ५.३७ करोड़ रुपये ऋण तथा ०.६० करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ। इन योजनाओं की सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

---

१२ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न ३ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

माल उपमन्त्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि सदन की १२-९-५७ की बैठक में प्रश्नोत्तरों के समय श्री देवनारायण भारतीय के एक प्रश्न का मैंने जो उत्तर दिया था उसमें कुछ भूल हो गयी थी। मैं उसका संशोधन कर देना चाहता हूं। मैंने कहा था कि निधासन में १२,८०२ रुपये, मुहम्मदी में १,१९,३८३ रुपये और लखीमपुर में ८१,२१८ रुपये की छूट दी गयी। वस्तुतः अभी छूट के आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं हुए हैं। इतने रुपये की छूट की सिफारिश जिलाधीश ने की है, परन्तु सरकार के पास सिफारिश अभी तक माल बोर्ड की राय के साथ नहीं आयी है। बोर्ड की राय मालूम हो जाने पर, जिलाधीश की सिफारिश पर सरकार उचित आदेश जारी करेगी। इन रकमों की वसूली फिलहाल स्थगित है।

इसके अतिरिक्त मैंने तकाबी रकम १,५९,००० रुपये बताया था, परन्तु सही रकम १,०५,००० रुपये हैं। १२-९-५७ की कार्यवाही की रिपोर्ट में इसी तरह संशोधन कर लिया जाय।

समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा श्री अध्यक्ष की व्यवस्था के विरोध में नारे लगाते हुए सदन-त्याग के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब एक विशेषधिकार का प्रश्न श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने मेरे पास भेजा था। कल उन्होंने नोटिस दिया था कि वे इसको उपस्थित करेंगे और उसी विषय पर श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी जी ने आज यह दिया है। कल जो मैंने एक विषय के सम्बन्ध में व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था के बाद हमारे समाजवादी सदस्य प्रोटेस्ट करते हुए और नारे लगाते हुए बाहर चले गये। इस सिलसिले में सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और यहां के कार्यक्रम में भी थोड़ी सी बाधा हुई और इसके अलावा मेरा जो फैसला हुआ, उसके उपर थोड़ी सी आलोचना प्रोटेस्ट के रूप में हुई, इन्हीं बातों के विषय पर यह प्रश्न उठाया गया है।

मेरे सामने प्रश्न यह है कि मैं नियम ४४ के अन्तर्गत इसकी अनुज्ञा दूं या न दूं। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति में अध्यक्ष का जो निर्णय होता है, उसके ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिये, क्योंकि अध्यक्ष तो एक प्रतीक है पूरे सदन के कार्य को चलाने के लिये, सदन की इज्जत का और प्रतिष्ठा का। अगर उसके निर्णय के ऊपर कोई नुक्ताचीनी होती है तो उससे सदन की व्यवस्था में या कार्य शान्तिपूर्वक चलाने में बाधा हो सकती है। लेकिन कुछ अर्से से कई दफा वाकआउट हुए और कभी-कभी उसमें कुछ सदस्य प्रोटेस्ट में चले जाते हैं और इसका जिक्र भी जाते हुए किया गया। अगर एक आध दफा ऐसा हो जाता है तो जो दवाई इस बीमारी के लिये की जा सकती है, अगर उसका उपयोग किया जाय तो कभी-कभी दवाई भी नुकसान पैदा कर सकती है उस बीमारी के बढ़ाने में, इसलिये मैंने उसके ऊपर ज्यादा तवज्जह नहीं दी थी। यद्यपि इसमें कोई शक नहीं कि विशेषाधिकार तथा व्यवस्था की इसमें अवहेलना है, लेकिन विशेषाधिकार को कायम रखना और सदन की प्रतिष्ठा कायम रखना, यह परिस्थिति के अनुसार ही अध्यक्ष को करना पड़ता है और इसी दृष्टि से कई दफा मैंने यह कहा था कि अगर माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक चले जाते हैं कुछ नाराजगी जाहिर करके, तो उसमें उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये और उसमें यह नहीं समझना चाहिये कि जान बूझकर वे सदन का अपमान करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी-कभी मतभेद हो जाता है और गर्मी पैदा हो जाती है और अगर शान्तिपूर्वक सदन का त्याग कुछ सदस्य करते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई आवाज निकालते हुए जाना, इसमें कोई शक नहीं कि उससे कल कुछ थोड़ी सी अधिकता या ज्यादती हो गयी और उसके ऊपर मैं प्रश्न उठाने की इजाजत दे भी सकता हूं, लेकिन इस वक्त मैं यह उचित नहीं समझता कि मैं इजाजत दूं। इसका कारण यह है कि मैं एक बार सचेत कर देना चाहता हूं सदन के आदरणीय सदस्यों को कि आगे इसके ऊपर कार्यवाही होगी, क्योंकि ऐसा करने से विशेषाधिकार की अवहेलना अवश्य होती है। अगर ऐसा प्रश्न आगे मेरे सामने आयेगा तो मैं आइन्दा ऐसे प्रश्न के लिये इजाजत दे दूंगा और अगर शान्तिमय तरीके से कुछ सदस्य चले गये, तो कोई प्रश्न उठने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उससे सदन की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं होती है एक तो शान्तिमय तरीके से जाना और दूसरे कोई अध्यक्ष के निर्णय पर टीका-टिप्पणी करते हुये न जान, ये दोनों बातें आवश्यक हैं "प्रोटेस्ट करता हूं" मैं इन शब्दों को इतना महत्व नहीं देता हूं, यद्यपि ये वाक्य भी पार्लियामेंटरी पद्धति जहां-जहां हैं वहां सदन के अपमानसूचक समझे गये हैं। "मैं प्रोटेस्ट करता हूं आप के फैसले पर" ऐसा कहते हुये जाना भी अवहेलना की बात है। लेकिन जैसा कि मैं ने कहा परिस्थितियों के अनुसार मैंने यह उचित समझा कि वे शब्द अपशब्द न होने की वजह से मैं इस वक्त कोई कार्यवाही नहीं करूंगा, लेकिन अगर भविष्य में प्रोटेस्ट शब्द के साथ-साथ यह कहा जाय कि "अध्यक्ष अन्याय कर रहे हैं" या कोई ऐसे शब्द कहे कि "हम अध्यक्ष के निर्णय पर प्राटेस्ट करते हैं" तो उस पर कार्यवाही हो सकती है, दूसरे, शोर करते हुये नहीं जाना चाहिये क्योंकि यह सदन नारों के लिये नहीं है। यहां तो शान्तिमय ढंग से ही कार्यवाही हो सकती है। एजीटेशन का स्थान बाहर है। इतनी ही सूचना मैं देता हूं इस सम्बन्ध में कि इस वक्त मैं इस प्रश्न के उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं यद्यपि नियम ४४ के अनुसार विशेषाधिकार का प्राइमाफेसी केस दिखाई देता है कि अवहेलना हुई है।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—अब इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं हो सकती।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, आगे के लिये ऐसा सवाल न उठे इस....

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें, यहां आप बैठें। मैं तो शान्ति चाहता हूं।

श्री राजनारायण---वही तो मैं भी चाहता हूं, हम से ज्यादा शान्त कौन है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आपने जो शब्द कहे हैं उन पर ही आप अमल करते रहें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से दो शब्द मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---नहीं, इस सम्बन्ध में अब कुछ नहीं कहिये।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---इसी तरह का एक दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्री जगदीशशरण अग्रवाल ने भेजा है। वह ११ १/२ बजे मुझे मिला है इस लिए वह नियमानुकुल नहीं है। अतः मैं उस पर विचार नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---वह किस के विरुद्ध है ?

श्री अध्यक्ष---वह भी उसी प्रकार का है, जब आप बोले हैं तो आप को खुद ही अपनी बात का खयाल है।

श्री राजनारायण---मैं तो प्रमाण देने को तैयार हूं कि दूसरे लोग ज्यादा विशेषाधिकार की अवहेलना करते हैं। जब हम वाक-आउट करके चलते हैं तो "भाग-जाओ-भाग जाओ" कहा जाता है...

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना †(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---श्री भीखालाल जी ने और श्री पद्माकर लाल जी ने एक कामरो को प्रस्ताव दिया था। मैंने श्री भीखालाल जी का प्रस्ताव सुनाया था कि "नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, के छात्र गत २१ दिनों से अपनी प्रमुख मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल कर रहे हैं और पिछले तीन दिनों से उक्त कालेज के छात्र श्री वी० एम० नागपाल आमरण अनशन कर रहे हैं जिनका स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया है। अनशन में एक छात्र आज और शामिल हुआ। इस परिस्थिति से उत्पन्न असंतोष पर विचार करने के निमित्त सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैंने इसमें पूछा था कि सरकार का इस में कहां सम्बन्ध आता है और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने उत्तर में कहा था कि बोर्ड इसमें काम करता है। वही यह निर्णय करता है कि क्या करीक्युलम होगा और डिग्री या डिप्लोमा देना भी वही तय करता है। मैंने अधिनियम को देखा। यह बात सही है कि बोर्ड सब चीजें करता है, लेकिन उसमें मैंने दो दफायें यह भी देखी---दो दफायें ये हैं---दफा ४९ में यह है---

"An appeal shall lie to the State Government from every decision of the Board under this Act, except a decision made by the Board as an appellate authority."

---

†११ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही से

इसके ऊपर अपील गवर्नमेंट के पास आयेगी। एक तो मुझे मालूम नहीं कि अपील हुई या नहीं हुई है। दूसरी दफा इस में ५३ यह भी है—

"If at any time it shall appear to the State Government that the Board has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess, or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Board...."

उसमें अगर बोर्ड अपने कर्तव्य न करे तो क्या कार्यवाही हो, यह दिया हुआ है। मतलब यह कि सरकार बोर्ड की अपील भी सुन सकती है और अगर बोर्ड ने कोई ज्यादती की हो, कोई गलती की हो, तो उसकी दुरुस्ती के लिए कोई कार्यवाही कर सकती है। यह बात स्पष्ट है। और माननीय मन्त्री जी ने कल कहा था कि हड़ताल के कुछ विद्यार्थी उनके पास आये थे। तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि उनका सम्पर्क या सम्बन्ध नहीं कायम हो गया, या बिलकुल ही कायम नहीं हुआ। ऐसी चीज नहीं है। टेकिनकली चाहे न कायम हो, अपील नहीं की गयी हो या रिप्रेजेन्टेशन न दिया हो लेकिन सम्पर्क हो गया है। मैं यह जानना चाहूंगा उन्होंने दफा ५३ का उपयोग कर के या वैसे मामूली तौर से क्या कार्यवाही की। उसके बाद मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन) —माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था स्टेट बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन के तत्वावधान में इस नेशनल कालेज का इन्तजाम एक मैनेजमेंट बोर्ड के जरिये से होता है। जहां तक अपील का सम्बन्ध है, कोई फार्मल अपील सरकार के सामने नहीं आयी। विद्यार्थियों ने स्ट्राइक की। मुझसे वह दो तीन मर्तबा मिले। उन की पांच मांगें थीं। पहली मांग थी कि हास्पिटल में इन्डोर बेड्स का इन्तजाम होना चाहिए। पैथोलाजिकल और फिजियालोजिकल लेबोरेटरीज का प्रबन्ध होना चाहिए, और सार्टिफिकेट आफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस एग्जामिनेशन का अन्त होना चाहिए। चौथी मांग थी डिप्लोमा के बजाय डिग्री उनको दी जाय और पांचवीं मांग थी कि लखनऊ युनिवर्सिटी से उनका कालेज अफिलियेट कर दिया जाय।

इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी न होते हुए, क्योंकि धारा ५३ में जब तक यह स्पष्ट न हो जाय कि बोर्ड अपनी स्टैटुटरी ड्यूटीज को अन्जाम देने से कासिर रहा है तब तक कोई कार्यवाही कायदे से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मामलात को सुलझाने की गरज से मैं ने यह प्रयास किया और बोर्ड से कह कर के मैंने इन्डोर बेड्स का इन्तजाम शुरू करा दिया। वह इसी महीने के अन्त तक, दो रोज इधर या दो रोज उधर, प्रबन्ध हो जायगा। उसके साथ-साथ पैथोलाजिकल और फिजियोलोजिकल लेबोरेटरीज का भी काम मैंने बोर्ड से शुरू करवा दिया है। वह भी काम जारी है। वह भी इसी महीने के अन्त तक, दो-चार दिन इधर या उधर, लग जायगी।

जहां तक कि सार्टिफिकेट आफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस एग्जामिनेशन का सम्बन्ध है, होम्योपैथिक ऐक्ट के अन्तर्गत रेगुलेशन्स कुछ बनाये हैं बोर्ड ने और उन के जरिये से वह परीक्षाएं इस वक्त हो रही हैं। इस वक्त होमियोपैथिक ऐक्ट का प्रथम भाग लागू है, द्वितीय भाग अभी लागू नहीं है। पहले भाग के लागू हो जाने के दो वर्ष बाद वह लागू किया जा सकता है। अब काफी अर्सा हो चुका है, मैं भी इस विचार का हूं कि जो परीक्षा का सिस्टम है वह हमें ठीक नहीं जंचता। मैं ने बोर्ड के चेयरमैन को मश्विरा दिया है कि आप इसको रिव्यू करें और अपने रेगुलेशन्स के अन्तर्गत उसके अनुसार इस बात की चेष्टा करें कि इस इम्तहान का खात्मा कर दिया जाय। बोर्ड ने अपनी एमरजेंट मीटिंग भी बुलायी, बाहर के तमाम आदमी इस बोर्ड के सदस्य हैं, कम से कम १०, ५ रोज का वक्त होना चाहिए ताकि मीटिंग कर सकें। इसके साथ-साथ बोर्ड से मैंने यह भी रिक्वेस्ट की है कि जो उन की मौजूदा करीकुलम है, जो कोर्स

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

है उसको फिर देखें और देख कर के यह तय करें और इस बात की सिफारिश करें कि इस कोर्स में क्या इजाफा किया जाय, कौन सा कोर्स रखा जाय ताकि डिग्री के लिए विद्यार्थी ऐडमिट किये जा सकें। इस प्रश्न पर भी वह विचार कर रहे हैं, अपनी एमरजेंट मीटिंग में विचार करेंगे। यह ४ मांगें थीं, उन के मुताल्लिक मैंने यह कार्यवाही की।

पांचवीं मांग के मुताल्लिक जो लखनऊ युनिवर्सिटी से अफिलियेट कराने की है, यह काम लखनऊ युनिवर्सिटी का है। मैं उसमें कोई दस्तन्दाजी कर नहीं सकता। केवल प्रार्थना की जाती है। आज के मौके पर विद्यार्थियों की मांगों को देखते हुए यह अन्दाजा लगता है कि यह कालेज अभी इस स्टैन्डर्ड को नहीं पहुंचा है कि उसके लिए यह कहा जाय युनिवर्सिटी से कि इसे एफिलियेट कर लो। इन सब बातों को, कोर्स वगैरह की, डिग्री की कन्डीशन्स को, तय करेंगे, लेबोरेटरी की स्थापना हो जाने के बाद, इन्डोर बेड हो जाने के बाद, इन पर अमल करने के बाद जब कालेज का स्टैन्डर्ड कुछ ऊंचा हो उस वक्त मौका हो सकता है कि युनिवर्सिटी से अफिलियेट कराने की प्रार्थना की जा सके। इसके लिए समय चाहिए; जब तक समय काफी न मिले तब तक इस पर कोई निर्णय लेना मुश्किल सी बात मालूम होती है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी हमारी दिक्कतों को महसूस करेंगे। यह, अध्यक्ष महोदय, आपकी इत्तला के लिए तथा सदन की इत्तला के लिए मैंने अर्ज कर दिया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि आप कोई फैसला करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

यह खुशी की बात है कि मन्त्री महोदय ने अधिकार न होते हुए भी अपने असर के इस्तेमाल से कुछ सहूलियतें वहां के विद्यार्थियों को हासिल करा दीं। मैं यह जानना चाहूंगा मन्त्री जी से कि कोई लिखित दरख्वास्त, वह अपील न हो, जैसा कि किसी धारा में लिखा है अथवा कोई रिप्रेजेन्टेशन उन के पास विद्यार्थियों की ओर से आया है, जिसमें यह बात कही गयी है कि प्रास्पेक्टस में कहा गया था दाखिले के वक्त कि डिग्री दी जायगी। छपा हुआ प्रास्पेक्टस मेरे पास मौजूद है और उसके बाद बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन ने कहा कि डिग्री के बजाय डिप्लोमा देंगे। क्या इस सम्बन्ध में कोई रिप्रेजेन्टेशन या अपील मन्त्री जी के पास आयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे अपील की बात पूछी गयी थी, उसके बारे में बता दिया कि अपील मेरे पास कोई नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष---माननीय नेता विरोधी दल ने निश्चित प्रश्न किया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---विद्यार्थियों ने दरख्वास्त दी थी।

श्री अध्यक्ष---डिग्री की बात करीक्युलम में थी?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जो पांच मांगें मैंने बतलायी हैं, वही थीं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बाकायदा रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया तिस पर भी माननीय मन्त्री नें इस बात को स्वीकार किया कि वे मांगे आयीं और जो कार्यवाही उन्होंने की वह सदन को बतला दी। अधिनियम की दफा ५३ के अनुसार सरकार ने एक स्पेशल मीटिंग बोर्ड की बुलायी जाय, यह आज्ञा दी हुई है। बोर्ड ने कोई ज्यादती की हो या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता। सरकार ने बोर्ड से रिप्रेजेन्टेशन के ऊपर गौर करने के लिए लिख दिया है। जो ऐक्शन लेना चाहिए था, चूंकि वह लिया जा चुका है, मैं समझता हूं कि फिर उस के ऊपर कन्ट्रोवर्सी खड़ी करना और डिस्कशन करना उचित बात नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना है। पहला प्रश्न तो आप के निर्णय के लिए यह था कि यह प्रश्न वैध है या नहीं और आप उसकी

अनुज्ञा देंगे या नहीं। इस पर कृपा कर के आपने अपनी अधिकारी सहमति दे दी। अब केवल यह बात रह गयी कि मेरिट्स पर बहस की आवश्यकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, यह बात नहीं है। यह मैंने नहीं कहा। मैं ने तो इसलिए प्रश्न पूछा था कि मैं यह जनाना चाहता था कि कहीं सरकार अकर्मण्य तो नहीं रही है। यह प्रश्न महत्व का होने के कारण जिस में अनशन हो रहा हो और सरकार अकर्मण्य बैठी रहे तब तो मैं यह कहता कि कुछ कार्यवाही होनी चाहिए और बहस करके इसको सुलझाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने खुद स्टेप ले लिया हो तो मैं यह पसन्द नहीं करूंगा कि जिस चीज को हम दुरुस्त करना चाहते हैं उस पर बहस कर के उस में बिगाड़ पैदा किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मेरा कहना यह है कि जब सरकार ने सम्बन्ध होते हुए या न होते हुए इतने कर्तव्य का पालन किया और उन्होंने यह बतला दिया कि हमने इतना-इतना किया है, तो बहस का विषय यही है कि सरकार ने जितना किया है और जितना वह कर सकती है किसी नाते या सम्बन्ध से या बिना सम्बन्ध के वह काफी है या नहीं। इसी बात पर बहस की आवश्यकता है और उसकी इजाजत आपको देनी चाहिए।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमान् जी, पालीवाल जी ने जो निवेदन किया है आपसे उनके निवेदन में मैं भी सहमत हूं और मैं आपकी सेवा में यह रखना चाहता हूं कि अक्तूबर के महीने से यह ऐप्लिकेशन माननीय मन्त्री जी की सेवा में है। अब आप देखें कि दिसम्बर चल रहा है। जब-जब विद्यार्थी माननीय हुकुम सिंह की सेवा में आये हैं उस सबका विवरण ब्योरेवार और तारीखवार मेरे पास है। जब प्रश्न उठा तो उन के सेक्रेटरी मेरे पास आये और रात के दो बजे फोन भी किया कि पुलिस उन्हें मारने जा रही है . . .

श्री अध्यक्ष---वैधानिक प्रश्न पर आइये।

श्री राजनारायण---उसी पर आ रहा हूं। अक्तूबर और नवम्बर का महीना बीत गया। २५ नवम्बर को माननीय हुकुम सिंह के पास गये, ३ दिसम्बर, को उन के पास गये, और अब आप देखें कि ४ दिसम्बर को फिर डेपुटेशन में गये और फिर उस के बाद ७ दिसम्बर को आमरण अनशन करने का निश्चय किया। ये तमाम बातें हैं और दो महीने से यह प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मन्त्री की सेवा में है। जो शब्द उन्होंने कहे हैं उनको मुझे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि मुझे बयान देने की क्या जरूरत है, सारा समझौता हो गया। विद्यार्थियों ने कहा कि जो समझौता आपने कर लिया है कृपया इसका बयान अखबार में दे दीजिये, तो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मेरा हुक्म चलता है, मेरा नाम ही काफी है, मैं बयान नहीं दिया करता।

श्री अध्यक्ष---यह डिस्कशन में नहीं है।

श्री राजनारायण---हम आप की सेवा में भेज सकते हैं। इस समय बड़ा अहम प्रश्न उठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जाइये (श्री झारखंडे राय के खड़े होने पर) क्या आप कोई वैधानिक प्रश्न कहना चाहते हैं?

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---इसी के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री झारखंडेराय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब विद्यार्थी मन्त्री जी से मिल चुके हैं और यदि उन्होंने अपील नहीं की तो दरख्वास्त तो दी है और माननीय मन्त्री जी ने कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जो यहां पर उन्होंने वर्णन किया

[श्री झारखंडे राय]

है और जब स्थिति काफी गम्भीर हो गयी है और आगे बढ़ रही है तो मैं समझता हूं कि सरकार का यही नहीं कि सम्बन्ध है बल्कि उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसने अपने रवैये से परिस्थिति को इतना बिगाड़ा है। मैं अर्ज करूंगा, श्रीमन्, कि इसको ध्यान में रखते हुए आप निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। यह जो कामरोको प्रस्ताव यहां पर आया है उसमें लिखा हुआ है कि वह असफल हुए लेकिन क्या सरकार ने किया और क्या नहीं किया, इसका कोई जिक्र नहीं था और किसी भी माननीय सदस्य ने अभी तक नहीं कहा और न सवाल उठाकर सरकार के पास रिप्रेजेन्टेशन भेजा या उससे सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की।

मैंने एक्ट देखने की कोशिश की जो इसी सदन का बनाया हुआ है, उसमें एक दफा दी हुई है कि अगर सरकार को मालूम हो जाय कि बोर्ड द्वारा ज्यादती हुई तो सरकार ऐक्शन ले सकती है। ज्यादती के बारे में कोई बात सिद्ध हो गयी हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। विद्यार्थियों की तरफ से हड़ताल हुई और वह मंत्री जी के पास पहुंचे। इसलिए उन्होंने ऐक्शन ले लिया। इसी दफा को थोड़ा सा विस्तृत करके, वैसे इस दफा में इतनी शिकायत पर ऐक्शन लेने की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मिनिस्टर की हैसियत से सोचा कि आगे यह चीज बढ़ेगी, इसलिए कार्यवाही की। जब ऐसी चीज है और कानून के हिसाब से कोई चीज उनके सामने नहीं आयी तो मैं इस कामरोको प्रस्ताव को तुरन्त ही अवैध करार दे देता, लेकिन मैंने उचित समझा कि महत्व का प्रश्न होने के कारण उनके जरिये से सदन को मालूमात मिल सकें कि क्या-क्या कार्यवाही हो रही है। अगर इस प्रश्न को उठाना है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसके बारे में उनके पास जाकर चर्चा कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और असफल होने पर कोई चीज हो सकती है तो वह बाद में भी हो सकती है। माननीय सदस्यों ने भी कानून के अनुसार इस प्रश्न को उनके समक्ष उठाया नहीं और अगर तिस पर भी मंत्री जी ने ऐक्शन ले लिया तो उनका शुक्रिया अदा होना चाहिए। कामरोको प्रस्ताव लाकर खाली बहस होगी। मैंने देखा है कि हर एक मांग पर उनकी हमदर्दी है और बोर्ड को उनके द्वारा एक इशारा है कि उन पर पुनः विचार किया जायगा। डिग्री देने के बारे में भी इशारा है कि विचार किया जायगा। जब सब चीजें उनकी आज्ञा में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं इस कामरोको प्रस्ताव को उठाने की इजाजत न दूं क्योंकि यह वैधानिक नहीं है और महत्व के हिसाब से इस वक्त इसका इतना महत्व नहीं रह जाता है जब कि कार्यवाही चल रही है और उल्टे कार्य में बिगाड़ होने की आशंका मुझे मालूम होती है। इसलिए मैं इजाजत नहीं देता कि कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

लखनऊ जेल में बाहर के डाक्टर, द्वारा डाक्टर लोहिया के स्वास्थ्य की परीक्षा की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी नें जो कल कामरोको प्रस्ताव दिया था वह आज भी उन्होंने उपस्थित किया है। मैंने कल उस पर विचार नहीं किया था। मैं उसको पढ़कर सुनाये देता हूं।

"गत दो नवम्बर से डा० राम मनोहर लोहिया लखनऊ जेल में बन्द हैं। डा० लोहिया हृदयरोग तथा रक्तचाप से बराबर पीड़ित रहते हैं। मैंने सरकार से लगातार निवेदन किया कि डा० लोहिया को जेल में चलने पर बाध्य न किया जाय, बल्कि उनसे मिलने तथा उनकी डाक्टरी परीक्षा उन के बाहर के डाक्टरों द्वारा कराने की अनुमति दी जाय। सरकार यह जानते

हुए भी कि जब-जब लोहिया जी जेल में इस सूबे में या बाहर के सूबों में गये हैं बराबर उनसे मिलने आदि की सुविधा, जहां वह रखे जाते रहे हैं वहां रही है। इतना जानते हुए भी सरकार ने आज तक डा० लोहिया से मिलने की सुविधा नहीं दी। आचार्य कृपलानी, जापान के श्री होशिनों, पी० बी० जी० राजू तथा अन्य लोगों को उन के स्थान पर मिलने नहीं दिया। इस प्रकार डा० लोहिया से न तो कोई डाक्टर,न कोई मित्र न वकील (हाई कोर्ट के आदेश को छोड़ कर) आज तक मिल पाया।

चूंकि डाक्टर लोहिया इधर उत्तर प्रदेश के गृह मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के सम्बन्ध में बहुत सी गोपनीय बातों को प्रकाश में लाये हैं, इस लिए डा० लोहिया के साथ बदला चुकाने की भावना से प्रेरित होकर सरकार जिस ढंग पर उन के साथ जेल में व्यवहार कर रही है उससे उनके जीवन पर गम्भीर खतरा है।

डा० लोहिया के जीवन पर गम्भीर खतरे की आशंका से सारा देश तथा प्रदेश चिंतित है और एक गम्भीर विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है।

अतः यह सदन उपर्युक्त गम्भीर विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में कई प्रश्नोत्तर यहां हो चुके हैं। इसमें कई प्रश्न एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इसके बारे में मैं कह भी चुका हूं कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर ठीक न मिला हो तो आध घंटे का डिस्कशन आप मांग सकते हैं। इसके अलावा जब बहुत से प्रश्नों का सम्बन्ध हो, जैसे इसमें हैबियस कारपस भी प्रश्न है, दूसरे मैंने एक रिट के बारे म भी कल या परसों फैसला दिया था कि वह भी उस के साथ कनेक्टेड हो गया, उसका अभी शायद आज फैसला होने वाला है, उस के ऊपर बहस करने देने की इजाजत देना अनुचित होगा। वह वैध नहीं है क्योंकि मामला सब-जुडिस भी है।

एक चीज और भी है कि इस में सरकार के लिए बदला चुकाने वगैरह, ऐसे शब्द आये हैं। मैं किसी प्रस्ताव को जिस में कि नीयत पर हमला हो कभी वैध करार नहीं देता हूं जब तक कि वह अविश्वास के प्रस्ताव का एक उद्देश्य न बनाया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—वह तो २३ तारीख को आयेगा, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—मैं यह कह रहा हूं कि ये शब्द इसमें नहीं आने चाहिए। उस प्रस्ताव में भी तो नीति के बारे में प्रश्न है, इसके बारे में नहीं है। तो इसलिए भी यह अवैध मालूम होता है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

जिला बोर्ड, नैनीताल के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह का है जो इस प्रकार है:—

"जिला नैनीताल के समस्त जिला बोर्ड के ऊपर प्राइमरी स्कूलों के एक हजार से भी अधिक अध्यापकों को जुलाई, १९५७ से आजतक सरकार द्वारा वेतन न दिये जाने के कारण उन की आर्थिक दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी है और उन के बाल बच्चे भूख से पीड़ित हैं, इसी चिन्ता से ग्रसित हो कर कई गरीब अध्यापकों को टी० बी० के बीमार होकर गेठिया और भवाली सैनी-टोरियम की शरण लेनी पड़ी है। एक हजार से भी अधिक अल्प वेतन भोक्ता अध्यापकों के ऊपर भुखमरी के बादल मंडरा रहे हैं और उनकी दशा

[श्री अध्यक्ष]

दिन पर दिन, शोचनीय होती जा रही है। इसी कारण जिले के अध्यापकों और नागरिकों में घोर असन्तोष फैला हुआ है। इस उपस्थित विषम परिस्थिति पर विचार करने हेतु आज यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

तो यह घटना "रिसेंट अकरेंस" की चीज नहीं है। जुलाई से यह बहस हो रही है ऐसा वह खुद कह रहे हैं और सितम्बर में भी हम लोग यहां पर मौजूद थे, उस समय यह प्रश्न नहीं उठाया गया। तो यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। बहुत दिनों की बात है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ सितम्बर, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ सितम्बर, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २५ नवम्बर, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का ३२वां अधिनियम बन गया।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---श्रीमन, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Allahabad University (Amendment) Bill, 1957] पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४१०-४१२ पर)

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---श्रीमन, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Lucknow University (Amendment) Bill, 1957] पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४१३-४१५पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि अभी जो यह लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित किया गया है, वह हम लोगों को नहीं मिला है। न हमारी मेज पर ही रखा गया है और न डाक से ही भेजा गया और हमसे कहा जाता है कि दूसरे दिन ही इस पर विवाद कर लें, विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष---यह तो सब को दिया जा चुका है। आप एकत्र करके दोनों को देख लें, पता चल जायगा।

*उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ खंड ३ (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष---श्री चन्द्रजीत यादव का संशोधन उपस्थित किया जा चुका था। (श्री चरण सिंह से) यदि आप को जवाब देना हो तो दीजिय।

---

* ९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

† ११ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही से।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के विषय में मैं यह अर्ज कर चुका था कि एक साल से अधिक समय के लिये किरायेदार को उस आराजी को खाली रखने की इजाजत देना क्षेत्रपति के अधिकारों पर ऐसा इन्क्रोचमेंट हो जायगा कि जो मुमकिन है कि अनकांस्टीट्यूशनल हो जाय, इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध के अन्त में शब्द "या अन्य प्रकार से उस भूमि पर कब्जा रखा जायगा" जोड़ दिये जायं ।

मेरे संशोधन का मतलब यह है कि जो यह साल भर की अवधि है उसमें उस भूमि पर चाहे किसी प्रकार से उसका कब्जा हो, उसका कब्जा माना जायगा । यह बहुत सीधा-सादा संशोधन है । चाहे उस मकान की मरम्मत करे और चाहे वह उस जमीन की हदबन्दी कर दे या मकान बनाने का सामान उस जमीन पर रख दे या किसी भी प्रकार से उस जमीन पर उस आदमी का कब्जा हो सिवाय इसके कि वह मकान की शक्ल में न हो तब भी उसका कब्जा माना जायगा । बस, यही मेरे संशोधन का आशय है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री चरण सिंह---इसका अर्थ कुछ मैं समझ नहीं पाया । जितना समझा हूं वह इतना समझा हूं कि यह बिलकुल गैर जरूरी है । उसमें यह कहां लिखा है कि वह उस पर छान डाले या तम्बू डाले तभी उसका कब्जा रहेगा । वह मकान बना लेता है तब भी उसका कब्जा रहेगा और अगर वह साल भर तक पड़ा रहता है तब भी उसका कब्जा रहता है । कब्जा तो उसका था ही उसमें क्या अन्तर पड़ता है ? इस बिल का केवल सीमित मन्शा है कि साल भर के अन्दर या अगर मियाद की तौसीह कर दे तो किरायेदार को यह अधिकार होगा कि उतने समय में वह मकान की मरम्मत कर ले या अजसरेनौ उस मकान को बना ले बिला लिहाज इसके कि उनके इक़रारनामे में कोई प्रतिबन्ध है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---आपने इसका अर्थ समझा है कि इससे क्या मतलब निकलता है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, यह समझा हूं कि यह बिलकुल गैरजरूरी है ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं समझता हूं जब कोई रास्ता माननीय ब्रजनारायण जी को नहीं मिला है तो इस तरह से उहोंने अपनी बात कही । बाढ़ के जमाने में जिसका मकान गिर जाय और अगर एक वर्ष के भीतर इस अधिनियम के मुताबिक वह मकान नहीं बनाता है तो फिर वह नहीं बना सकता । उस जमीन पर वह अपना मकान नहीं बना पायेगा । इस विधेयक के अनुसार अगर वह एक साल तक नहीं बनाता है तो वह उस जमीन से बरी हो जाता है । उस जमीन पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता है । इसलिये हम लोगों का यह यकीन है कि इस प्रतिबन्ध को हटा लिया जाय ताकि उसको आगे भी अधिकार रहे और अगर वह एक वर्ष के भीतर मकान नहीं बनाता है तो बाद में भी वह बना ले । माननीय मन्त्री जी ने इसको स्वीकार नहीं किया । फिर चन्द्रजीत यादव जी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि आप हमेशा के लिये न सही केवल ३ वर्ष के लिये ही इसको मान लें, लेकिन उसको भी माननीय मन्त्री जी ने अस्वीकार कर दिया । तब माननीय ब्रजनारायण जी का यह कहना है कि अगर उस जमीन पर वह किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदासिंह]

कारण से मकान न बना पाये चाहे उस पर वह कोई सामान रखे या और बात हो जाय या खेमा बना लेता है थोड़ा बहुत रुपया खर्च करके तो साल भर के बाद भी यह समझा जाय कि वह निकाला नहीं जायगा । उनके संशोधन का मतलब यही है जितना मैं समझ पाया हूं । अगर मेरे समझाने से चौधरी साहब को कुछ रोशनी मिल सके तो बड़ी मेहरबानी होगी । तीन वर्ष की बात भी खत्म हो गई । अब माननीय मन्त्री जी जैसा चाहते हैं वैसा ही यह पास हो रहा है तो ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि यदि आप कुछ अधिकार उसको देना चाहते हैं तो यदि वह साल भर तक किसी कारण मकान बनाने में असमर्थ रह जाता है, आपने जो उसको साल भर की मियाद दी उसमें वह नहीं बना पाता है तो वह अपने अधिकार को बचाने की गरज से ५०-१०० रुपया खर्चा करके जैसे-तैसे मकान को खड़ा कर लेता है कि उसको खड़ा करने के बाद उसको यह अधिकार बना रहे, यही इसका मतलब है । मैं समझता हूं यह मंत्री जी को स्वीकार होगा । मैं समझता हूं कि इससे आपकी मंशा भी पूरी हो जाती है और इस विधेयक में जो कमी है वह कमी भी पूरी हो जाती है ।

मैंने इससे पहले आपके सामने एक गलत फिगर दे दी कि ४,४८,००० मकान गिरे लेकिन उसमें १० लाख से ज्यादा मकान बाढ़ के सिलसिले में गिरे हैं। तो मैं पूछन चाहता हूं कि इस एक साल में क्या इन १० लाख मकानों की मरम्मत हो जायगी या फिर से बन जायेंगे । जो मकान जिस तरह से गिरे हैं अगर उनके स्थान पर अपनी जान बचाने के लिये अपने शेल्टर के लिये उसने कुछ कर लिया है, शायद वह मकान की परिभाषा में न आये, उस हालत में अगर ऐसा न किया जायगा तो बहुत से लोग गृहहीन हो जायेंगे । सरकार इस विधेयक के जरिये से मदद करने जा रही है । एक महीने के भीतर यह अधिनियम बन जायगा और जिस दिन से यह लागू हो जायगा उसके एक वर्ष के भीतर उन भूमियों पर मकान बनाया जाना जरूरी हो जायगा और अगर नहीं बनाते तो वे अपने उस अधिकार से वंचित हो जायेंगे । लेकिन इस संशोधन के जरिये से हम यह चाहते हैं कि उनको कुछ दिनों तक और काबिज बने रहने का अधिकार मिल जाय। अगर वह अपनी कुछ लकड़ी वगैरा उस स्थान पर रख लेता है और अगर वह गांव छोड़कर नहीं भागता, अपनी जमीन से संबंध स्थापित रखता है, शहर में मजदूरी करता रहता है, लेकिन अगर मकान नहीं बना पाता, रिक्शा खींचता है या अपनी जिन्दगी किसी और तरह से चलाता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह मकान बना सके, तो वैसी हालत में उसको कुछ और मौका दे दिया जाय । यही इस संशोधन का मतलब है । मैं सोचता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उससे मतलब बहुत साफ हो गया होगा और इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत न होगी ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, बड़ी कठिनाई होती है जब हम अपना निवेदन बड़ी नम्रतापूर्वक और सही तरीके पर भी करना चाहते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी उसको समझने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न करते हैं । श्रीमन्, देखा जाय तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है:—

> "प्रतिबंध यह है कि घर एक वर्ष की अवधि, अथवा ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, पुनः निर्मित या पुनः प्रतिरूपित कर लिया जायगा या उसकी मरम्मत कर ली जायगी ।"

इसमें यह शर्त लगी हुई है । अगर उस अवधि में उस जमीन पर मकान नहीं बनेगा या वह उसका जीर्णोद्धार नहीं करता है तो वह बेघर हो जायगा । अगर वह मकान बनाने की हसियत में नहीं है तो सरकार उसकी बाढ़ आने पर मदद करती है क्योंकि वह असहाय होता है । उस अवस्था में उसका मकान नहीं बनेगा । ऐसी अवस्था में अगर वह बांस का टट्टर ही खड़ा कर लेता है या उस जमीन पर मकान बनाने का कोई सामान ही रख लेता है तो उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काबिज माना जाना चाहिये । ऐसी हालत में यह जो एक साल वाला प्रतिबंध है वह उसके अधिकारों को सीमित करता है । इसीलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है कि उसका असहाय अवस्था में कब्जा बना रहे । मुझ आशा है कि इसको स्वीकार करने में मंत्री जी को कोई आपत्ति न होगी, अगर उनकी मंशा गरीबों की भलाई करने की है तो यह संशोधन उसमें और बल देता है ताकि वह किसी भी सूरत में बेदखल न हो सके ।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, यह कह कर किसी स्पीच को शुरू करना कि अगर उनकी यह मंशा है, अगर उनकी मंशा है गरीबों की मदद करने की तो वे ऐसा कर दें, मेरी समझ में नहीं आता कि तकरीर के पहले, बीच में या बाद में यह क्यों कहा जाता है कि अगर उनकी यह मंशा हो तो ? अगर मंशा न होती तो हम यह बिल ही क्यों लाते ? उस जानिब से तो किसी ने इस बात को सुझाया नहीं ।

दूसरी बात यह है कि नीयत पर हमला करना और यह कहना कि गरीबों की हमदर्दी के ठेकेदार वे हैं, दूसरे नहीं है, इसको मैं तकरीर का नामुनासिब अंदाज समझता हूं ।

माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री जी अधिकार देना चाहते हैं लैंडलार्ड को, जमीदार को कि वह एक साल के बाद गरीब आदमियों को बेदखल कर दे । मैं अधिकार देना चाहता हूं ? मैं उनके अधिकार और सीमित कर रहा हूं । अधिकार तो आज भी उसको हैं बेदखल करने के । उन अधिकारों को इस बिल के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है । लिहाज़ा जब किसी कानून के सिलसिले में तकरीर की जाय या कोई बात कही जाय तो नाप-तौल कर कही जाय ।

तीसरी बात यह कि कल भी मैंने हजार बार अर्ज किया कि इस बिल का देहात से कोई वास्ता नहीं है । अगर देहात से कोई वास्ता नहीं है तो फिर १० लाख मकानों की बात क्यों कही जाती है ?

आप लीडर हैं एक पार्टी के और मैं समझता हूं कि जो बात आप कहेंगे, जिम्मेदारी के साथ कहेंगे । क्यों १० लाख मकानों का जिक्र किया गया ? क्या मतलब है इसका ? क्या १० लाख मकानों का जिक्र इसलिए किया गया कि इससे दलील में ज्यादा बल आता है ? महज हजार, दो हजार मकानों के रेफर करने की बात है जो शहरों और कस्बों में गिर गये हैं और उन सबकी लीजों में भी कोई ऐसी शर्त नहीं है । बहुत कम लीज में इस प्रकार की शर्त होती है कि मकान गिरने पर वे नहीं बना सकते हैं । हजार, दो हजार मकानों के लिये यह शर्त हो, ऐसा कोई रेकर्ड नहीं है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है । अगर १० लाख मकानों का जिक्र करने से यह मतलब है कि इससे दलीलों में ज्यादा बल आता है तो यह बिलकुल गलत ख्याल है । एक तरफ से यह भी कहा गया है कि इस तरह से हम कुछ रोशनी देते हैं, लेकिन गलत जजबात से कोई बात कही जाय और मिसरेप्रेजेंट करने की कोशिश करते हुए कोई गलत बात कही जाय तो इससे किसी आदमी को रोशनी नहीं मिलती है ।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, जैसा कि जनाब ने फरमाया कि इन अल्फाज को जोड़ दिया जाय, "दे डोंट मेक सेंस", उनका कुछ मतलब नहीं निकलता है । इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध के अन्त में शब्द "या अन्य प्रकार से उस भूमि पर कब्जा रखा जावेगा" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--५३,

विपक्ष में--१३६ ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं । घंटी बजने पर और सब फाटक तो बन्द थे, लेकिन उधर का फाटक खुला हुआ ही था ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन उधर से कोई घुसा नहीं । वह तो लाबी है, उसके लिये कोई रोक नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

४---इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह-स्थलों पर लागू न होगी जो कन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों ।

*श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं खंड ४ का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि खंड ४ निकाल दिया जाय, क्योंकि यह अनावश्यक है और सरकार जिनकी सहायता करना चाहती है उनको इससे और पीड़ा होगी । अगर पहले ही माननीय मंत्री जी इस पर कुछ रोशनी डाल दिये होते तो मैं सदन का समय न लेता । इसमें क्या लिखा है यह मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत किये देता हूं । इसमें लिखा है कि "इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह-स्थलों पर लागू न होगी जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों ।" इसके माने यह हैं कि जिनके घर पहले से स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी जमीन पर बने हैं और बदकिस्मती से वहां बाढ़ आ गई और वह गिर गये तो वह लोग उजाड़ दिये जायंगे और उनको फिर नहीं बसने दिया जायगा । सरकार उनको किसी तरह का अधिकार नहीं देना चाहती । अगर इसका मतलब यह है कि पूरे बिल में इस बात की गुंजायश की गई है कि जहां बाढ़ आये, शहर में ही सही, दस लाख की बात छोड़ कर मान लें कि १ हजार के ही मकान गिरे, वह सब सरकारी जमीन पर नहीं थे, ज्यादातर जमीन निजी लोगों की थी और उस पर मकान बने थे । कहीं कहीं पर स्थानीय प्राधिकारी की मिलकियत है और उस पर लोगों के मकान बने थे । तो इस पर आप विचार करें कि इस बिल में उन्हीं को अधिकार देने की चेष्टा की गई है ।

बाढ़ में मकान गिरे और वह लोग एक साल के भीतर बना लें, लेकिन अगर सरकारी जमीन में वह गिरते हैं तो वह नहीं बना सकते । यह ठीक है कि सरकारी जमीन थोड़ी होगी लेकिन 'स्थानीय प्राधिकारी' के माने चौधरी साहब को समझने में परेशानी होती है, वह चलते-फिरते नहीं समझ पाते बल्कि उनको गुरु की जरूरत होती है । अगर स्थानीय प्राधिकारी टाऊन एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड को कहते हैं तो जैसा उन्होंने फरमाया कि कहां की बात कर रहे हैं यह तो शहरों के लिये है। अभी उन्होंने हमें डाटा कि यह गांव के लिये नहीं है टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी की बात है और मैं समझता हूं कि वे दोनों ही स्थानीय प्राधिकारी की परिभाषा में आते हैं । अगर उन दोनों को बरी करते हैं तो कानून किसके लिये बन रहा है ? इस तरह से तो उनका सारा बुढ़ापे का परिश्रम ही बेकार हो जाता है---मैं उनको बूढ़ा कहता हूं तो वह बुरा नहीं मानते और अगर उनको एतराज होगा तो मैं इन शब्दों को वापस भी ले सकता हूं .....

श्री अध्यक्ष---क्या कोई अन्तर है उम्र में आपकी और उनकी ?

श्री चरणसिंह---वह तो १६ वर्ष के हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गेंदासिंह---मैं १६ वर्ष का कहां हूं, थोड़ा ही आप से छोटा हूं । मैं यह कह रहा था कि अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका यह सब परिश्रम बेकार जायगा । अगर स्थानीय प्राधिकारी में नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड आ जाते हैं तो इसके माने हैं कि वहां के मकानदारों को इस हक से वंचित किया जा रहा है । मेरी समझ में यह बात मुनासिब नहीं है और मैं चाहता हूं कि यह खंड निकाल दिया जाय ।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, इतनी बारीक बातें कही गई हैं और इतनी दूर की कौड़ी फेंकी गई है कि मैं इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहना चाहता हूं और इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक की जिस धारा पर बहस चल रही है, उसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि अभी हमें यह महसूस हुआ था, जब कि यहां घंटी बजी, तो हम लोग अपने कमरे से दौड़े और जल्दी में दौड़ते हुये हमको सीढ़ियां नहीं मिल पाईं और जब तक हम हाल में पहुंचते, उससे पहले ही दरवाजा बन्द हो गया था । इसलिये यदि इस सदन के पास ही हमें कोई कमरा मिल जाता तो उचित था । इतना ही मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना था ।

श्री अध्यक्ष---यह इस अमेंडमेंट के बारे में तो नहीं है ?

श्री राजनारायण---जी नहीं, हम चाहते हैं कि हमें इस सदन के पास ही कमरा मिल जाय तो अच्छा हो ।

माननीय गेंदासिंह जी का जो संशोधन है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । कहीं माननीय माल मंत्री मेरी बात सुनने के बाद भी यहीं न कह दें कि दूर की कौड़ी फेंकी गई है, जैसा कि उन्होंने अभी कहा है । श्रीमन्, यह देखा जाय कि जो धारा ४ है, वह विधेयक की मुख्य धारा है और मुख्य रूप से उसी पर संशोधन है । सरकार यह चाहती है कि ऐसी जगह पर, जहां पर लोगों के मकान न हों, या वहां मकान गिर गये हों तो वह जमीन जो वहां के आक्यूपेन्ट्स हों, जो वहां के जमींदार हों, उनके कब्जे में न चली जाय क्योंकि ऐसी जगह ऐसी व्यवस्था है, ऐसे नियम हैं, जैसा कि माननीय माल मंत्री जी कहते हैं । ऐसे नियमों में ऐसी हालत में, और ऐसे कानून के मातहत, वह जमीन मालिक के पास चली जायेगी । मगर जो मकान मालिक हैं और वे मकान बनाना चाहते हैं, तो वे मकान नहीं बना सकते हैं । जो विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है, इसका मकसद यही है कि जिसका मकान गिर गया हो और जिसके जमीन की व्यवस्था यदि मकान लगाने के लिये हो, तो उस जमीन में यदि वह साल भर के अन्दर मकान बना सके, तो उस पर मकान बना ले, मकान उसके पास से अलग न हो ।

कल भी एक संशोधन ऐसा आया था और उस संशोधन में आम रिवाज की बात थी, जिसके लिये मैंने माननीय माल मंत्री जी से निवेदन किया था कि साल भर की अवधि नाकाफी है, क्योंकि बहुत से गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है कि वह का साल भर के अन्दर मकान बना सकें । जब तक उनके पास उतने पैसों का प्रबन्ध नहीं हो जाता, तब तक वे मकान कैसे बना सकते हैं ? उस समय श्रीमन्, जब यह बात कही गई, तो इसका समुचित उत्तर नहीं दिया गया कि सरकार की इच्छा क्या है और वह किस तरह से इसको अपनाना चाहती है ।

अब सरकार धारा ४ में यह चाहती है कि इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृहस्थलों पर लागू न होगी जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों । तो अब देखा जाय कि क्यों । सरकार ऐसा क्यों चाहती है ? जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनारायण]

टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज के मातहत मकान हैं, अगर वे मकान गिरे होते हैं, तो उस मकान पर ऐसी कोई अन्य धारा लागू न हो। क्यों ? इसका कोई उत्तर माननीय माल मंत्री जी ने नहीं दिया है। माननीय गेंदा सिंह की बात सुनने के बाद हो सकता है, उन्होंने कुछ कहना ठीक न समझा हो, क्योंकि सरकार के पास जितने आंकड़े होते हैं, विरोधी दल के पास तो उतने आंकड़े होते नहीं हैं। यह अगर मान भी लिया जाय कि सरकार की जानकारी ज्यादा होनी चाहिये, तो सरकार को उसके लिये कुछ करना चाहिये, क्योंकि विरोधी दल के लोग तो इधर-उधर की बात कर भी सकते हैं, मगर सरकार को पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास इतना विशाल विभाग है, इतने सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज अंडर सेक्रेटरीज, और असिस्टेंट सेक्रेटरीज हैं। म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया के मातहत मकान हैं, अगर वह गिर जायंगे तो उनके ऊपर यह धारा क्यों नहीं लागू करेंगे, इस विधेयक के अन्तर्गत जो सहूलियतें दूसरों को मिल रही हैं वह सहूलियतें उनको क्यों नहीं मिलेंगी, इसकी कोई सफाई नहीं है। केवल यह कह दिया कि माननीय गेंदासिंह को सुनने के बाद मैं कुछ कहना ही सदन के समय का दुरुपयोग समझता हूं।

श्रीमन्, अब मैं अपना यह अंदाज लगा रहा हूं कि माननीय माल मंत्री जी ने शायद म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट, नोटिफाइड एरिया ऐक्ट, टाउन एरिया ऐक्ट को देखा होगा और उन्होंने शायद समझ लिया है कि जहां पर म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया का मकान बनता है वह जमीन वहां के भू-पतियों के कब्जे में नहीं मानी जायगी। शायद ऐसा उन्होंने समझ लिया है। मैं उनको बताऊं। मैं भी एक टाउन एरिया के पास का रहने वाला हूं। वह टाउन एरिया काशी नरेश जिनकी इस सरकार की निगाह में काफी इज्जत है और सभी के निगाह में होनी चाहिए, क्योंकि अब भी महाराज बनारस जब चलते हैं तो हर हर महादेव होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा अपना निजी अनुभव है, वहां पर भी जब मकान गिर जाते हैं, टाउन एरिया के द्वारा बनाये मकान गिरे हैं, उनको भी तहसीलदार ने ले लिया, क्योंकि महाराज बनारस का तहसीलदार वहां रहता है। अब उसकी लड़ाई हो और एक सहूलियत जो यहां मिल पाती थी वह भी न मिल पाये .....

श्री चरणसिंह—क्या उन मकानों की मालिक टाउन एरिया थी ? राजा साहब अगर मालिक थे तो ऐक्ट एप्लाई करता है। वह उस जमीन को एप्लाई नहीं करेगा, टाउन एरिया जिसकी मिल्कियत में हो और उसमें आमतौर पर यह शर्तें होती नहीं।

श्री राजनारायण—माननीय माल मंत्री जी कितने भ्रम में हैं और माननीय गेंदासिंह जी की बात का कैसा उत्तर दे दिया ! ऐसा उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें जो चौथी धारा है इसको कृपया पढ़ें—

"इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह-स्थलों पर लागू न होगी जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों।"

'गृह' और 'स्थल' दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है। गृह किसी दूसरे का हो, गृह-स्थल दूसरे का हो सकता है। यही तो मकसद सरकार का है कि गृह टाउन एरिया कमेटी का था, गृह गिर गया, गृह-स्थल राजा साहब के पास चला गया। श्रीमन्, जरा आप भी ख्याल कर लें। यह चौथी धारा है। इसमें यह है:—

"इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह-स्थलों पर लागू न होगी जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों।"

अगर गृह के अतिरिक्त स्थल की बात कही गयी तो यहां कहने की जरूरत क्या थी ? अगर गृह के अतिरिक्त स्थल के बारे में कह रहे हैं, इसमें गृह नहीं है तो यहां कहने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों सदन के समय का दुरुपयोग किया ? सदन के समय का दुरुपयोग माननीय गेंदा सिंह जी कर रहे हैं या माननीय गेंदा सिंह जी के परम आदरणीय माननीय चरण सिंह, माल मंत्री, कर रहे हैं ? इन दोनों को देखा जाय। हम अभी बीच में हैं। लाजमी है कि इसका मतलब यही लगाया जायगा--कि वह स्थल जिस पर गृह बना हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई स्थल नहीं है। मकान बना हुआ था, टाउन एरिया कमेटी का मकान था। मकान गिरने के बाद काशी नरेश के कब्जे में जमीन गयी। क्यों गयी ? हम चाहते हैं कि जब सरकार ऐसा कानून बना रही है तो टाउन एरिया को भी सम्पन्न करे, म्युनिसिपल कमेटी को भी सम्पन्न करे। और अभी तो श्रीमन्, हमारे आब्जरवेशन्स हो रहे हैं, निर्णय क्या होगा, वह मैं बाद को बताऊंगा। अभी तो माननीय गेंदा सिंह और मंत्री जी की बातों से जो बातें निकलती हैं उनको बता रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष--शायद बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की, शायद गलत-फहमी हो रही है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं तो सदन का समय बचाना चाहता हूं, जिससे ज्यादा विवाद न हो, स्थिति स्पष्ट हो जाय।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने इस बिल की धारा ४ को निकालने का जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सरकार का इस बिल को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य उन पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना है जिनके घर बाढ़ में बरबाद हो चुके हैं और जिन्हें पुनः बसने में, अपने भवन निर्माण आदि में शायद कुछ कानूनी दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़े।

एक तरफ तो सरकार यह करने जा रही है कि जमींदारों अथवा दूसरे लोगों की जमीनों पर जो मकान बने हुए हैं और बाढ़ द्वारा बरबाद हो गये हैं इस बिल के द्वारा सरकार यह अधिकार प्रदान करना चाहती है कि उसके द्वारा प्रकाशित गजट के एक वर्ष के भीतर ही लोग पुनः उस स्थान पर अपना मकान बना सकेंगे और उन्हें उस भूमि का स्वामित्व प्राप्त होगा, लेकिन दूसरी तरफ धारा ४ के अधीन सरकार एक दूसरी बात भी कहती है कि इस अधिनियम में कोई भी बात उन गृह-स्थलों पर लागू न होगी, जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हों। इसका एक पहलू तो यह है कि कई स्थलों पर जहां केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार तथा स्थानीय निकायों की इमारतें बनी हुई हैं उनके लिये यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि नगरों के अन्दर कुछ भूमि ऐसी भी होती है जिसका स्वामित्व केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार तथा स्थानीय निकायों को तो होता है, लेकिन उस पर भवन दूसरों के बने होते हैं। उदाहरण के लिये बड़े-बड़े नगरों में कैंपिंग ग्राउन्ड्स मिलेंगे, जहां कि मिलिट्री आकर ठहरा करती है। उन 'कैंपिंग ग्राउन्ड्स' का स्वामित्व केन्द्रीय सरकार का होता है, लेकिन अधिकांश जगहों पर वे कैंम्पिंग ग्राउन्ड्स जनता को लीज पर दे दिये गये हैं और जनता उस पर एक अधिवासी के रूप में अपना

नोट--श्री राजनारायण २ बजकर १८ मिनट पर उपस्थित नहीं थे। इसलिए उस समय उनका भाषण नहीं हुआ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

मकान या भवन निर्माण किये हुए हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर वह पट्टे की जमीन है और उस जमीन का रूप स्वामित्व केन्द्रीय सरकार को ही होता है। इसी तरह से नजूल लैण्ड्स जो म्युनिसिपल एरियाज के अन्दर होते हैं, उन नजूल लैण्ड्स पर कुछ समय पूर्व नगरपालिकाओं का अधिकार था, लेकिन अब प्रान्तीय सरकारें स्वामी बन गई हैं। नजूल विभाग द्वारा पट्टे कराने के उपरान्त उस स्थान पर भवन निर्माण करने की आज्ञा प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह पट्टे भी स्थायी नहीं होते। इनकी एक मुद्दत होती है, १५ वर्ष के लिये, २० वर्ष के लिये और अधिक से अधिक ३० वर्ष के लिये यह मुद्दत होती है। उन जगहों पर जहां स्वामित्व प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय सरकार का रहता है और जिस व्यक्ति ने वह जमीन पट्टे पर ली है या लीज पर ली है वह उसका अधिवासी तो हो सकता है या पट्टेदार हो सकता है, लेकिन उसका स्वामी नहीं हो सकता है। इसी तरह से स्थानीय निकायों के संबंध में है। हर म्युनिसिपैलिटी में, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरियाज में ऐसी जमीनें हैं जिनको जनता पट्टे पर ले लेती है। इसलिये जब हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं तो वह यह है कि केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार की भूमि पर जो भवन बने हैं उनके गिर जाने की वजह से कानून में छूट देना चाहते हैं, लेकिन यदि यह धारा जैसी है उसे वैसी ही पास कर देते हैं तो आगे चल कर बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है। उन स्थानों पर जहां का स्वामित्व केन्द्रीय सरकार का या प्रान्तीय सरकार का है और दूसरे लोग उनको पट्टे पर या लीज पर लिये हुये हैं और उन्होंने उन पर भवन बना लिये हैं, अगर वह बाढ़ वगैरह के कारण गिर जाते हैं तो उन व्यक्तियों को, अगर इस धारा को बदस्तूर रखेंगे, वह भी अधिकार नहीं मिलेगा कि वह उन जगहों पर भवन निर्माण कर सकें। इस तरह से हम देखते हैं कि जिन लोगों के भवन और सारी सम्पत्ति बरबाद हो गई है उनके सामने दिक्कत आ जायगी और उनके बरबाद हो जाने के बाद उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वह दुबारा मकान बना सकें, अगर इसी तरह से इसको पास कर दिया जाय।

इसकी ऐसी ही मंशा है जैसी कि मैंने शुरू में कही थी कि हम इस कानून के द्वारा उन व्यक्तियों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, सहायता देना चाहते हैं जिनके बाढ़ वगैरह के कारण मकान आदि सब बरबाद हो गये हैं। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ माननीय गेंदा सिंह के संशोधन का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस धारा को निकालने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक बात अर्ज कर दूं कि गेंदा सिंह जी का कोई संशोधन नहीं है। गेंदासिंह जी ने धारा ४ का विरोध किया है। उनका संशोधन नहीं माना जा सकता।

श्री जगन्नाथ लहरी—गेंदा सिंह जी ने जो विरोध किया है मैं उसी का समर्थन करते हुए विरोध कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जो बात कही जा चुकी है उसको दुहराने का कष्ट न करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा ४ को निकाले जाने के लिये जो तर्क उपस्थित किये जा चुके हैं, उनके आगे और कोई तर्क नहीं हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान एक व्यावहारिक कठिनाई की ओर दिलाना चाहता हूं,। मैं ऐसे जिले और शहर से आता हूं जो पूरे का पूरा कटाव की गोद में है, जहां तक देहातों में बसने की कठिनाई का सवाल है उसको मंत्री जी लाये नहीं और यही बड़ी कठिनाई है। शहर वालों के लिये, उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री चरणसिंह—कौन से अब देहातों में जमींदार हैं जो मकान बनाने से रोक सकत हैं?

श्री गौरीशंकर राय---माननीय मंत्री जी को भ्रम हो जाता है। नजूल की जो जमीनें होती हैं वह गांव सभा की होती हैं। मैं अपने जिले की बात बतलाऊं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जिनके बसाने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। हम चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था करें और इसके अलावा जमीन ऐक्वायर करके उनको बसाया जाय। आज भी नदियों के किनारे लोग डोला करते हैं। इसकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दूसरा सवाल है कि शहरों की व्यावहारिक कठिनाई यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष---इसका मतलब शहर की व्यावहारिक कठिनाई से नहीं है। इसका ऐसी जमीन से मतलब है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो। इसी पर आप अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री गौरीशंकर राय---वही मैं आप की सेवा में कह रहा हूं कि शहरों में नगरपालिका और सरकारी जमीन को छोड़ देने के बाद व्यावहारिक स्थिति क्या होगी। माल विभाग के उपमंत्री हमारे जिले के हैं। वे म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे शहर में जो प्राइवेट जमीन थी, पैसे वालों ने बहुत अधिक कीमत दे कर उस पर अपने मकान बनवा लिये हैं। अब और कोई प्राइवेट जमीन नहीं है और जो भी है वह सरकार या म्युनिसिपैलिटी की है। तो जिन लोगों का नगरपालिका पर अधिकार है वे उसकी जमीन पर अपने मकान बना लेते हैं। ऐसे अमीर लोगों को जो नगरपालिका बिला पैसे के जमीन दे देती है उसके ऊपर कोई कानूनी रोक माननीय मंत्री जी ने नहीं लगा रखी है। इसका उदाहरण मैं उनसे मिल कर ही दे दूंगा, यहां बताना ठीक नहीं होगा। इसलिये अगर सरकारी और नगरपालिका की जमीन को छोड़ दिया गया तो और जमीन नहीं मिल पायेगी और यह सवाल जैसे का तैसा बना रहेगा।

श्री चरणसिंह---इस बिल से इसका क्या वास्ता है ?

श्री गौरीशंकर राय---माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इससे क्या वास्ता है। मैं कहता हूं कि अगर धारा ४ को आपने नहीं निकाला तो जिन लोगों के कल्याण के लिये उन्होंने यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया है उनका कल्याण नहीं हो पायेगा, केवल एक आत्मसंतोष मात्र ही हो पायेगा। इसलिये मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस धारा को निकाल दें, इसमें कोई विशेष दिक्कत उनको नहीं होगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धारा ४ का विरोध करता हूं। इस सदन में इतने दिनों के अनुभव के आधार पर एक बात मैं अब तक समझ पाया हूं कि माननीय माल मंत्री जी के पास अगर किसी समय कोई बात कहने को रहती है तो उन्होंने उसको कभी बाकी नहीं रखा। लेकिन जब माननीय गेंदा सिंह जी ने इस धारा का विरोध किया तो उसके तुरन्त ही बाद खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। इसका एक ही अर्थ है और बिलकुल सही है, माननीय मंत्री जी अपना दिल टटोल कर देखें, कि इस बिल में जो वे अपनी सब से बड़ी कमजोरी समझते हैं वह है धारा ४। एक कमजोरी उनकी धारा ३ का प्रतिबन्ध था और दूसरी सब से बड़ी कमजोरी यह धारा है। इसलिये उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। जो मेरे माननीय मित्र बोल रहे हैं वे माननीय मंत्री जी की नीयत पर आक्षेप कर रहे हैं। क्या यह ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो एक मुहाविरे का इस्तेमाल उन्होंने किया। मंत्री जी की नीयत का कोई सवाल नहीं है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---यह तो अभी तक जो मैं समझ पाया हूं उस आधार पर मैं कह रहा हूं, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। यह तो एक विशेषता है उनमें, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं।

तो, मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि एक कमजोरी तो.....

श्री उपाध्यक्ष---आप इस के पक्ष या विपक्ष में बात कहें, कमजोरी की बात अब जाने दीजिये।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---यह धारा ४ जो है इससे माननीय मंत्री जी की मंशा यह है कि शहरों में जो लोग केन्द्रीय सरकार की, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया की भूमि पर बसे हुए हैं और बाढ़ की विपदा के कारण उनके मकान गिर गये हैं उनको उजाड़ कर हटा दें। वह उजड़ कर कहां जायंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है और उसका इंतजाम माल मंत्री जी के हाथ में नहीं है और न उनका कहीं तजकिरा है। एक तरफ तो आप इंडिविजुअल लैंड लार्ड पर रीजनेबिल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि उनकी भूमि पर जो मकान गिर गये हैं उनको वहां का रहने वाला साल भर के अन्दर मरम्मत करा सकता है, बना सकता है, रिमाडेल करा सकता है, लेकिन दूसरी ओर एक तरह की भूमि पर जो लोग अनुमति से या बिना अनुमति बसे हुए हैं उनको वहां से उजाड़ कर हटा देने की व्यवस्था की गई है इस धारा ४ के द्वारा। तो, श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से इंडिविजुअल लैन्ड लार्ड पर रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वही रेस्ट्रिक्शन आप अपनी भूमि पर, सेन्ट्रल गवर्नमेंट तथा स्थानीय निकायों की भूमि के सम्बन्ध में भी लगाइये, तभी आप सही मानों में लोगों को राहत पहुंचा सकेंगे।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लाज इस वक्त विचाराधीन है वह केवल अपने देश के वर्तमान कानून के अंश का समावेश मात्र है। जहां तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का सम्बन्ध है उनकी भूमि, जब किसी संविदा के द्वारा, किसी लीज के द्वारा किसी को दी जाती है तो वह कंट्रैक्ट क्राउन ग्रान्ट्स ऐक्ट से गवर्न होता है। क्राउन ग्रान्ट्स ऐक्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित कानून है, केन्द्रीय कानून के सम्बन्ध में इस सदन में कोई बहस नहीं हो सकती। कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो सकता। तो जहां तक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति का सम्बन्ध है, हम मजबूर हैं। यह कहन अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम जो भी कानून बनायेंगे वह कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किये हुए कानून को प्रभावित नहीं करेगा और न उसका निरसन करेगा। तो इसके ऊपर इतनी बहस क्यों होती है? अंतिम सज्जन जो बोले, उन्होंने कह दिया कि जो आघात एक साधारण व्यक्ति के स्वत्व पर इस विधेयक द्वारा होता है वही सरकार के लिये भी लागू किया जाय हर कानून की एक हद है और उस हद को ध्यान में रखते हुये सरकारी भूमि के सम्बन्ध में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर इस खंड में कुछ किया जा सकता है तो लोकल बाडीज की भमि के सम्बन्ध में किया जा सकता है। बाढ़ पीड़ितों के लिये केवल हृदयों में समवेदना होना केवल विरोधी दल की ही चीज नहीं है। हम भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से, बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों से उतनी ही समवेदना रखते है जितनी कि वे। इन्होंने तो यह समझ लिया है कि ऐसी सहानुभूति उनकी मानोपाली है और इस सदन में खड़े हो कर जब कभी कोई अवसर आया तो अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं और करते हैं और कानून के द्वारा करते हैं। इस खंड में अगर हमने लोकल बाडीज के सम्बन्ध में एक एक्सेप्शन कर दिया है तो वह भी, मैं समझता हूं कि बहुत ही स्वाभाविक और उचित है। म्युनिसिपल बोर्ड हो, टाउन एरिया हो, नोटीफाइड एरिया हो, कोई संस्थान हो, उनमें जितने भी व्यक्ति काम करते हैं वे सब निर्वाचित होते हैं। उनका उत्तरदायित्व भी तमाम जनता के प्रति होता है, उनके भी प्रति जोकि बाढ़ से पीड़ित होते हैं या हो सकते हैं। हमे यह विश्वास है कि एक निर्वाचित संस्था अपने क्षेत्र के निवासी बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों के लिये समवेदना रखेगी

और उनके लिये प्रबन्ध करेगी और उचित प्रबन्ध करेगी। अगर उनके सम्बन्ध में हम अपवाद कर सकते हैं इस आशा से कि वह अपने क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के लिये उचित प्रबन्ध कर देंगे और कानून द्वारा उनकी भूमि में हम हस्तक्षेप न करें, तो इस में क्या बुराई है ? हो सकता है कि कोई म्युनिसिपल बोर्ड एक विशेष स्थान मार्केटिंग परपज के लिये रखे या बाढ़ ग्रस्त स्थान को किसी सार्वजनिक कार्य के लिये वह चाहता हो और वहां के जो निवासी हैं उनको कोई और उचित स्थान दे तो इसमें क्या बुराई है ? हमें कम से कम उन संस्थाओं के ऊपर विश्वास करना चाहिये कि जो जनता की ओर से निर्वाचित होकर वहां के कार्य को सम्भालती हैं। इतनी जो बहस हो रही है और जिसके ऊपर इतनी समवेदना सुनाई जा रही है इस सदन के अन्दर वह प्रचार की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन उससे इस विधेयक का जो मूल्य है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन शब्दों के साथ मैं गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत विरोध का समर्थन करने में असमर्थ हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रजनरायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो विरोध किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके सिलसिले में यह सही है कि बाढ़ पीड़ितों को बसाने के लिय दर्द शायद सभी के दिल में बराबर है, लेकिन एक तरफ जब सरकार की यह मन्शा है कि वह समाजवादी समाज की स्थापना करने जा रही है तो मैं नहीं समझता कि भूमि की मालिक केन्द्रीय सरकार होगी, प्रान्तीय सरकार होगी या लोकल संस्था होगी। व्यक्तिगत स्वामित्व को खत्म करने का उद्देश्य इस सरकार का है। तो इस विधेयक खंड का जो अर्थ है वह तो यही है कि जो हम चाहते हैं, वैसा किया जाय, नहीं तो जिस जमीन पर आप उनको बसाना चाहते हैं चाहे वह केन्द्रीय सरकार की हो या प्रान्तीय सरकार की हो या लोकल बाडीज की हो, आप व्यक्तिगत मिल्कियत को उस सिलसिले में मजबूत करने के लिये इस कानून को बना रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आखिर यह व्यक्तिगत स्वामित्व कब तक कायम रहेगा। एक तरफ आप समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वामित्व की रक्षा करना चाहते हैं और तीसरी तरफ इतनी अधिक गरीबी के अन्दर लोग रहते हैं, यह तीनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं। मेरा निवेदन है कि एक तो बाढ़ पीड़ित लोग स्वयं पीड़ित रहते हैं, सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये। बाढ़ की वजह से उजड़ कर वह एक स्थान से दूसरे स्थान को बसने के लिये जाते हैं तो उनके बसाने के लिये और उनकी सुरक्षा के लिये यह अधिनियम बनाया जा रहा है। उनके लिये आप ज्यादा समय भी देने के लिये तैयार नहीं हैं तो यह सदन सोचे कि आज जब व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर जमीन पर मालिकाना उनको हक रहेगा तो लोग आसानी से गांवों से उजड़ कर दूसरे गांव में कैसे बस सकते हैं।

लेकिन आज के युग में उजड़ कर कहीं बसना साधारण चीज नहीं है, क्योंकि भूमि की मिल्कियत धीरे-धीरे सामूहिक होती जा रही है और उस पर सरकार अपना प्रतिबंध लगाती जा रही है। तो आखिर लोग बसेंगे कहां ? यदि यह कर दिया जाता कि इस तरह की भूमि पर बाढ़ पीड़ित कहीं बसे हुये हों तो सरकार उनको जमीन दिये बगैर उस जमीन से बेदखल नहीं करेगी, तो कुछ ठीक भी था। बाढ़ पीड़ित लोग बाढ़ के पानी से बाहर बसते हैं। यह क्षणिक बसना होता है। यदि माननीय माल मंत्री के दिल में बाढ़ पीड़ितों के लिये दर्द हो तो मैं समझता हूं कि वह इसकी परिधि को बढ़ावेंगे और मैं इस खंड का विरोध करता हूं कि यह निकाल दिया जाय।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड के रखने का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। अगर सरकार की जमीन पर कोई बस गया है तो सरकार क्यों इन्तजार करती है कि बाढ़ आ जावे और घर नष्ट हो जाय ? इस प्रकार जब मनुष्य विपत्ति में आ जावे तब उसकी जमीन वापिस ले ली जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह---कहां इसका यह अर्थ होता है ?

श्री देवीप्रसाद मिश्र---इसका व्यावहारिक अर्थ यही होता है । इसका अर्थ सरकार यही लगायेगी, वर्ना सरकार को इस कानून के लाने की आवश्यकता नहीं थी । मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें एक खंड और जोड़ दे कि उस जमीन पर उनको न बसने का अधिकार देने के पहले कोई दूसरी जमीन सरकार को स्वयं प्राप्त कर लेनी चाहिये और उनको उस जमीन पर बसावे । बिना उनके लिये दूसरी जमीन का प्रबन्ध किये, चाहे वे कायदे से या बेकायदे उस पर बसे हों, उनकी विपत्ति का फायदा उठाना सरकार के लिये उचित नहीं है । इससे हमदर्दी का प्रकाशन मौखिक हो जाता है । अगर वह दिल से होता तो उनके बसाने का प्रबन्ध जरूर होता । विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी केन्द्रीय या स्टेट की सरकार से या लोकल सरकार से लड़ कर अपना अधिकार कायम रख सकता है, लेकिन इस बिल से उसका अधिकार गायब हो जाता है ।

जमींदारी ऐबालीशन शहरों से भी हो चुका है, उसका बिल पास हो गया है, यद्यपि उसे आपरेशन में लाने में देर जरूर हो रही है । इसलिये उनके खिलाफ यह बिल रहे और सरकार अपने लिये आजादी ले ले, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । सरकार की मंशा पर मुझे शक तो नहीं करना चाहिये, लेकिन व्यवहार में वही होगा जिसका हमको शक है ।

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो जानता हूं कि इस सदन में बैठ कर हर तरह की बात सुनने को सब्र एक थ्योरिटिकल बात है और सब्र करने की कोशिश करता हूं ....

श्री गेंदासिंह---मुझे मौका बाद में मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, यह संशोधन नहीं है ।

श्री चरणसिंह---सब्र करना चाहिये । लेकिन जब अमल का सवाल आता है तो उस समय मुझे जितनी कठिनाई होती है वह मैं ही जानता हूं । इस तरह की बातें कही गईं, जिनका बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, हजार बार, दर्जनों बार समझाया कि इसका गांव से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर वही १० लाख मकान ! अगर माननीय दीनदयालु जी शास्त्री कह दें या इधर का कोई आदमी कह दे, तो बात समझ में आती है, लेकिन वह तो हैं विरोधी दल के भूतपूर्व नेता ! मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि हमारे देश में आगे इस राजनीतिक जीवन का क्या होगा । कल मने बतला दिया, उसके बाद भी कह रहे हैं । किसी सड़क चलते आदमी से बिल पढ़वा लिया मालूम होता है और फिर आज वही १० लाख मकानों के गिरने की बात दोहराई जाती है ।

माननीय ब्रजनारायण जी कहते हैं कि बसाने की बात है । इसमें बसाने की बात कहां है ? कहीं नहीं है । एक शब्द है 'मानव', वे पीड़ित तो पहले ही से थे परन्तु जब मानव कहा जाता है तो उसमें पीड़ा और आ जाती है । वह कहा ही इसलिये जा रहा है कि पीड़ित कहने में भावना पूरी नहीं हुई । तो पीड़ित मानव के बसने का कोई सवाल नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि माननीय गौरीशंकर राय जी नहीं मालूम कहां चले गये, उन्होंने कहा था कि रईस आदमी तो म्यूनिसिपैलिटी में जमीन खरीद सकता है, गरीब नहीं खरीद सकता है । इस बिल से इस बात का क्या वास्ता है ? जब मैं समझाने की कोशिश करता हूं और सब्र का प्याला बहुत लबरेज हो जाता है या बीच में कोई सवाल कर बैठता है और कहता है कि राजस्व मंत्री आदमी तो भले हैं लेकिन उन्होंने सारी

अकल की ठेकेदारी ले रखी है, तो मैंने तो ऐसा कर रखा है या नहीं मगर कुछ लोगों ने न समझने की ठेकेदारी जरूर ले रखी है। यह बहुत सीधा सादा विधेयक है और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं फिर दो मिनट में इसकी व्याख्या कर दूं। दो मिनट ही काफी हैं। माननीय पालीवाल जी अगर विरोधी दल वालों के कमरे में चले जावें और उन्हें समझा दें कि कैसे बिल समझा जाता है और बोला जाता है तो मेरी कठिनाई बहुत हल हो जाय। कभी कभी यह होता है कि बात तो इधर की और स्पीच हो गई बाबू राजनारायण की और वह कहते हैं कि सहयोग होना चाहिये। उन्हें खयाल यह है कि मैं बैठा अपोजीशन में हूं, तो गुड़ इधर का लिया और गोबर उधर का लिया। लेकिन पालीवाल जी को यदि अकेले छोड़ दिया जाय तो उनकी ऐसी स्पीच नहीं हो सकती जैसी कि कभी-कभी मेरे परम मित्रों की होती है।

इस बिल का सीधा सा मंशा यह है कि शहरी इलाके में जहां बिल्डिंग लीजेज हैं, जैसे एग्रीकल्चरल लीजेज होती हैं खेती करने के लिये ऐसे ही बिल्डिंग की होती हैं मकान बनाने के लिये, जिनमें तरह-तरह की शर्तें होती हैं। कहीं-कहीं ऐसी शर्तें भी देखने में आई हैं कि अगर मकान गिर जाय तो फिर वह किरायेदार अजसरेनौ उसे नहीं बना सकता है या अगर पहले कच्चा है तो पक्का नहीं बना सकता, कच्चा ही बना सकता है। तो हम इस कानून के जरिये से यह कर रहे हैं कि नहीं, जो भी ऐसी शर्तें हैं वह नाजायज समझी जायंगी। केवल यह, और फिर उसको मौका है कि वह साल भर के अन्दर अपने मकान को बना ले। हम लैण्ड-लार्ड को कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, परकैंच कर रहे हैं, और उस हद तक कर रहे हैं जिस हद तक कांस्टीटचूशन हमको इजाजत देता है। तीन साल से यह सवाल हमारे सामने है, लेकिन कांस्टीटचूशन की वजह से हम मजबूर हैं, नहीं तो हम तो और भी अधिक अधिकार उसको देना चाहते हैं। फिर इस बात का क्या मतलब है कि बीच-बीच में यह कह दिया जाय कि "अगर हम यह चाहते हैं"? मैं पूछता हूं कि क्या माननीय गेंदा सिंह जी ने यह चाहा। सरकार ने चाहा तो वह बिल ले आयी, किसी दोस्त की तरफ से इसकी तहरीक नहीं की गयी। गरीबों की सेवा न करना चाहते तो यहां कैसे होते? लेकिन जैसा माननीय मदन मोहन जी ने कहा कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने ही ठेकेदारी ले रक्खी है। हर आदमी यहां यही समझ कर बैठता है कि वह गरीबों की सेवा करेगा, उनको ऊपर उठाना चाहता है, मुल्क की तरक्की चाहता है। लेकिन कहा जाता है कि माननीय मंत्री जी तो गरीबों को लूटना चाहते हैं। तो मैं यह कह रहा हूं कि इस बिल को न समझने की वजह से दफा ४ का विरोध हो रहा है। दफा ४ में यह है कि अगर कहीं गवर्नमेंट की जमींन हो, राज्य सरकार की हो, केन्द्रीय सरकार की हो, या लोकल बाडीज की हो, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट उन जमींनों पर से लोगों को बेदखल कर देगी, जो उनकी हैं। दफा ४ का मतलब तो यह है कि इस तरह की जमींन अगर पब्लिक प्रापर्टी है, जिस पर मकान बने हुए हैं, अगर उसमें ऐसी शर्तें हों, गोकि ऐसी शर्तें हैं नहीं, यह तो प्राईवेट लैण्ड-लार्ड्स की लीज में ही होता है, उसी में ऐसे क्लाजेज होते हैं कि अगर उसका मकान गिर जायगा तो वह दुबारा न बनवा सकेगा या अगर उस पर कच्चा मकान है तो कच्चा ही बनवा सकेगा। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमींन बहुत कम है। माननीय जगन्नाथ लहरी ने कहा कि कैंपिंग ग्राउन्ड लीज पर लोगों ने ले रक्खी हैं। मुमकिन है एक दो हों, लेकिन कई साल से तो जहां तक मिलिटरी कैंपिंग ग्राउन्ड्स का ताल्लुक है वे उनका आउट राइट सेल करते हैं। लिहाजा लीज का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मुमकिन है कहीं केन्द्रीय सरकार की जमींन हो या राज्य सरकार की जमीन हो और उसने बिल्डिंग लीज पर दे रक्खी हो, उसी के लिये प्रिकाशनरी मेजर के तौर पर यह क्लाज रक्खा गया है। जब भी गवर्नमेंट कोई बिल दो पार्टीज को रेग्युलेट करने के लिये बनाती है तो वह उसमें एक इस प्रकार का क्लाज भी प्रिकाशनरी मेजर के तौर पर रख देती है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई प्राईवेट व्यक्ति तो है नहीं।

[श्री चरणसिंह]

मान लिया कि कोई ऐसी लीज हो भी तो यह गवर्नमेंट जिसकी तरफ से यह बिल लाया गया है उसकी तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती कि कोई पक्का मकान वह न बना सकेगा। ऐसा कहीं नहीं है। हमारे सामने तो है नहीं। पूछा जा सकता है कि क्यों रखा गया है। सिर्फ प्रिकाशन के तौर पर यह रखा गया है कि अगर कहीं हो—मान लो कहीं हो तो क्या हम प्राइवेट लण्ड-लार्ड्स को तो मना करेंगे बेदखल करने से और खुद बेदखल करेंगे? क्या मतलब हुआ इस बात का? चाहे कोई भी आवे, कोई भी मिनिस्टर होगा, पब्लिक का नुमाइन्दा होगा। अगर हम न आये तो जनाब आवेंगे, जनाब का तो ज्यादा ठेका है और कौन आयेंगे? माननीय पब्बर राम आयेंगे, माननीय गोविन्द सिंह आयेंगे। तो क्या मुझे अपने से डर है? मैं तो इस बिल को लाया ही हूं, मुझे तो डर नहीं है।

एक बात और, जैसा कि माननीय मदन मोहन जी ने कहा कि गवर्नमेंट जो होगी वह भी पब्लिक की रेप्रेजेंटेटिव होगी, लोकल बाडीज भी पब्लिक की रेप्रेजेंटेटिव होंगी। मैं फिर दोहराता हूं कि इस तरह का कोई आपरेसिव लीज तो है नहीं पब्लिक लैंड में, और अगर कहीं है तो फिर रेप्रेजेंटेटिव के हाथ में है कि वह उस जमीन का इन्तजाम करे।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिये कि कहीं ऐसी शर्त है और फिर गवर्नमेंट या लोकलबाडी समझती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस जमीन को खाली करा लेना चाहिये, तो क्या नुकसान है? जिनके पास दो-दो एकड़ जमीन खेती करने के लिए है, क्या हम उनकी जमीन स्कूल और सड़कों के लिये एक्वायर नहीं कर लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में? मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि इस तरह की जमीन है नहीं, जहां तक कि प्राइवेट लैण्ड हैं, और अगर कहीं है तो उसका रेप्रेजेंटशन होगा इन बाडीज के सामने और वे इस क्लाज को कैंसिल कर देंगे।

तीसरी बात यह है कि अगर कहीं बावजूद इस बात के बेदखल करने की जरूरत समझी जाय तो वह पब्लिक इंटरेस्ट में होगी, किसी के प्राइवेट इंटरेंस्ट में नहीं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय पालीवाल जी आयेंगे तो सारा दिन लग जायगा, अभी वे आये नहीं हैं, इसलिये आप अपने दोस्तों से पूछ लें कि वे कितने दिन इसमें लगायेंगे। मैंने जो कुछ भी कहा, अपने लिये बेस्ट आफ वर्ड्स समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

*श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ५ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"और उसकी स्वीकृति विधान सभा से लेना आवश्यक होगा।"

शब्दों में चाहे जिस प्रकार से यह लिखा गया हो लेकिन मैं समझता हूं कि अर्थ बहुत साफ है और यह कोई नयी बात नहीं है जिससे विधेयक के उद्देश्य में कोई मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती हो। केवल यह है कि जो नियम बनाया जाय उसके लिये आवश्यक कर दिया जाय कि विधान सभा की स्वीकृति उस पर ली जाय। ली जाती है इसमें सन्देह नहीं है, वह तो टेबिल पर रख दिया जाता है, लेकिन यहां किसी प्रकार की भूल से ये शब्द नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखे गये हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि ये शब्द उसमें बढ़ा दिये जायं और फिर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय खराब करने का काम हम लोग करते जरूर हैं, लेकिन इसका कारण अगर माननीय राजस्व मंत्री जी भी बनें तो उनको सोचना चाहिये कि वे समय खराब करने का कारण क्यों बनते हैं। उन्होंने पिछली मर्तबा जब कि एक संशोधन उपस्थित किया गया था तो उस समय जो कुछ मैंने कहा, उस पर जो बातें उन्होंने ५, ७ भाषण होने के बाद फरमायीं, उनको उस वक्त कहने की तकलीफ गवारा नहीं की और उसका उस वक्त जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और यह समझा कि उतना ही कह देने से काम चल जायगा जो कि पहले कह चुका हूं। फिर उसके बाद उसका लाजिमी नतीजा हुआ कि उस पर बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने फिर इस बात की जरूरत महसूस की कि सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी समय नष्ट करने की जरूरत नहीं समझता हूं। वह क्या सोचते हैं, कैसा करते हैं, यह तो उनके विवेक के ऊपर है। मैं जो सोचता हूं और समझता हूं, उसी रोशनी में उसको रखता हूं और इस समय मैं इसके लिये कोई दलील नहीं देना चाहता हूं, सिर्फ यही कहता हूं कि जो रूल्स ले लिये जाते हैं, तो उनमें इस बात की गुंजाइश कर दी जाती है कि वे सदन के सामने रखे जायं क्योंकि आज ही नहीं बल्कि आज से पहले जितने भी विधेयक उनके सामने आये हैं, उस विधेयक के आने में जो रूल्स बनने की बातें हैं, तो उसके साथ ही साथ यह भी लाजिमी कर दिया जाता है कि वे रूल्स सदन के सामने रखे जायें। सिर्फ इसीलिये मैं कहता हूं कि इसको स्वीकार कर लिया जाय तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है और इसी तरह से काम किया जाय।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकूंगा। एक बात यह है कि यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि किसी अधिनियम में जो नियमावली बनें, वे लेजिस्लेचर के सामने जरूर ही आयें। उनका यह कहना कि यह अनिवार्य है, गलत है।

दूसरी बात यह है कि जहां यह बात है कि लेजिस्लेचर के सामने नियम आयें, तो वहां नियम यह है कि नियम आ जाते हैं और नियमावली रख दी जाती है। जब तक नियमावली यहां न आयें, तब तक वह नाफिज न हो, यह नियम नहीं है। जब तक नियमावली यहां पेश नहीं की जाती, और जब तक उसे विधान सभा की स्वीकृति प्रदान नहीं होती, तब तक उसके बगैर कार्य नहीं हो सकता है, मैं तो इसे हर्गिज मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

तीसरी बात यह है कि विधेयक के पास होने के बाद रूल्स एकदम जब कि लेजिस्लेचर के सामने आ जाने चाहिये, वे नहीं आ पाते, तो रूल्स के लिये यह बात है कि लेजिस्लेचर पहले जो कुछ उसे करना था वह कर चुका है, लेकिन इस तरह से बिना लेजिस्लेचर की स्वीकृति के काम नहीं हो सकता है। यह उचित नहीं है और इसके लिये यह शर्त लगा देना, मैं नहीं समझता हूं कि इससे काम में कोई आसानी होगी।

चौथी बात यह है कि एक नोटिफिकेशन १५ नवम्बर को जारी हो चुका है। कुल तीन रूल्स हैं। एक को मैं आपके द्वारा सुनाना चाहता हूं। ५ साल तक कोई आदमी अपनी बिल्डिंग बना सके। वैसे मकान नया बनाना हो, तो किसी भी सूरत में १० साल से पहले वह बेदखल नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो सुझाव दिये गये कि जब तक वे इस सदन से स्वीकृत न हों, तब तक वह लागू नहीं होना चाहिये, तो इस प्रकार की शर्त लगा देना मैं नहीं समझता हूं कि यह मुनासिब बात होगी। वैसे सदन नियमों में जो उचित संशोधन समझे वह कर सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसकी भावना का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उन शब्दों की भावना का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जो माननीय माल मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किये हैं। मैं यह मानता हूं कि ऐसा होना उचित नहीं है कि जब तक विधान सभा की स्वीकृति न प्राप्त हो जाय तब तक नियम लागू न हों। लेकिन यह मन्शा नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो असली भावना है, वह उन्होंने मान ली है, इसलिये इसमें संशोधन की आवश्यकता है। माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि होना यह चाहिये कि नियम बना कर सदन के सामने लाये जायं और सदन उनमें वे संशोधन कर सके, जो कि वह उचित समझे। इसी भावना का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और अगर माननीय माल मंत्री जी स्वीकार करें तो मैं उचित शब्दों में संशोधन में संशोधन उपस्थित कर दूं। मेरा मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी को मालूम है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी इसी सदन की है और इसी सदन ने उसका निर्माण किया है जिसका काम है कि इस तरह के नियम आदि जो बनाये जायं उनको वह देखे कि वह किसी तरह से किसी कानून की भावना के विरुद्ध तो नहीं हैं, यह सब देखने के लिये वह समिति है।

संसार में जहां-जहां जनतंत्र है, उसको विधान का एक आवश्यक अंग माना जाता है। जब-जब सदन में ऐसे बिल आये हैं तो जिन शब्दों में माननीय माल मंत्री जी ने कहा है, उन्हीं शब्दों में संशोधन उपस्थित किये गये हैं और उनको सदन ने स्वीकार भी किया है। मैं यह मानता हूं, अगर मैं गलती नहीं करता हूं, कि हमारी जो प्रक्रिया है और जिसके लिये अभी हमारी प्रक्रिया नियमावली बनने जा रही है, जो अभी एक दिन पहले सदन में आई थी और फिर विचार के लिये प्रवर समिति में गई है, उसकी भी यही भावना थी कि इस तरह का प्राविजन हो जाय कि किसी बिल में यदि यह शब्द न भी हों तब भी यह हो कि नियम सदन की मेज पर आया करें और यदि सदन उन नियमोंमें संशोधन करना उचित समझे तो करे। इसलिये अगर इन बातों से मंत्री जी का प्याला किसी तरह से लबरेज न हो जाय तो वह इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मैं भी इस विचार का हूं चाहे मेरा विचार गलत हो कि जो वादविवाद हम करते हैं वह उचित और आवश्यकता से बहुधा अधिक हो जाता है और उसमें सदन का समय भी जाता है, लेकिन कभी-कभी मैं ऐसा भी समझता हूं कि शायद यह जनतंत्र प्रणाली का आवश्यक और अनिवार्य परिणाम है और उसको मैं और माननीय माल मंत्री जी दोनों नहीं रोक सकते। अंग्रेजी की जैसे कहावत है कि "ह्वाट कैन नाट बी क्योर्ड, मस्ट बी एन्डयोर्ड (what can not be cured must be endured)", कोई चारा इस चीज को रोकने का नहीं है, लेकिन अगर उधर से वह. . . .

श्री उपाध्यक्ष—माननीय पालीवाल जी को टोकने की जरा मैं धृष्टता करूंगा कि अगर वह मानने को तैयार हों तो कायदे से पहले संशोधन उपस्थित हो जाना चाहिये। जिस तरह से कि और अधिनियमों के साथ नियम रहते हैं, अगर वह नहीं होता तो यह महज एक प्राइवेट अहदनामा-सा हो जायगा। संशोधन ड्राफ्ट होकर तब तक आ जाय तो अच्छा है। अगर माननीय मंत्री जी मानें तो जिस प्रकार से नियमों को सदन में लाने की व्यवस्था है उस स्वरूप का संशोधन उपस्थित हो जाय, चाहे वह किसी पक्ष की ओर से हो और सदन उसे स्वीकार कर ले. . .

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यदि मंत्री जी चाहें तो मैं उन शब्दों को अभी बोल दूं, वह तो रटे रटाये शब्द हैं, वह तो मैं जबानी बता सकता हूं, जो माने हुये शब्द हैं और तमाम ऐक्टों में आये हैं और जिनके बारे में अक्सर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अधिकार अपने हाथ में सदन से ले लिया है कि वह शब्दावली वह ठीक करके रख देंगे। अगर मंत्री जी स्वीकार करें तो वह अधिकार आप को दे दिया जाय।

श्री चरणसिंह---माननीय पालीवाल जी का आग्रह मैं कैसे अस्वीकार करूं। अगर्चे आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन चूंकि मैं उनको उनके दूसरे साथियों से तोड़ना चाहता हूं इसलिये उनकी बात माने लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---तो वह प्रापर फार्म में आ जाना चाहिये।

श्री चरणसिंह---मेरी दिक्कत यह है कि इस वक्त हमारे ला-ऐडवाइजर नहीं हैं, वर्ना मैं जैसे पुराने और ऐक्ट्स में हैं वैसे ही छपवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---मेरी कठिनाई यह है कि जब तक वह निश्चित रूप में नहीं आयेंगे तब तक आगे की कार्यवाही कैसे चल सकती है। आप दो एक मिनट में उसकी भाषा बैठ कर तय कर लें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन में यह संशोधन पेश करता हूं---

"इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्य नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करे।"

श्री चरण सिंह---इसमें "उसी सेशन में" बढ़ा दिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---"उसी सत्र में" यह और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी अधिनियम मेरे पास भेज दें ताकि उसी तरह से इसको रख दिया जाय। जो संशोधन पालीवाल जी का है वह इस प्रकार है :---

"इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करे।"

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों.....

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अभी तो मुझे २ मिनट कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो मान लिया मंत्री जी ने और मैं खड़ा हो गया।

श्री गेंदासिंह---मुझसे तो पूछ लें कि मैं इसको मंजूर कर रहा हूं या नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मुझे तो सबके बारे में कहना है। वैसे तो मैं भी इस राय का हूं कि कभी-कभी सदस्य आवश्यकता से अधिक समय लेते हैं, वे उसे न लें तो अच्छा है। लेकिन एक कारण है जिसकी वजह से अगर बहस बढ़ जाय तो कोई हानि नहीं, अच्छा ही है। और वह यह है कि मंत्री जी ने कहा कि उनको सुन करके उनका सब्र समाप्त हो जाता है। तो उन्हें यह अभ्यास करना पड़े रोज कि अपने सब्र को रोकें, ऐसा करने से उन्हें सब्र करने का अभ्यास हो जायगा। अन्यथा मुझे भय है कि उनमें सब्र की कुछ कमी है और उनका सब्र का प्याला छोटा है, उसे ज्यादा बड़ा कर लें तो उनके लिये ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष, महोदय जब दो नौजवानों में कोई झगड़ा बहुत दूर तक चला जाय तो बुजुर्ग का फर्ज है कि उसको खत्म करा दे और पालीवाल जी ने जो किया और आपने उसके लिये इजाजत दी, मैं उसके लिये शुक्र गुजार हूं। मैं समझता हूं कि हजार कोशिश करता लेकिन राजस्व मंत्री जी उसे स्वीकार न करते, यद्यपि मंशा मेरी भी वही थी, खैर

[श्री गेंदासिंह]

उन्होंने स्वीकार किया, मैं शुक्र गुजार हूं उनका। मैं तो समझता ही था मेरी बदौलत होने वाला नहीं ....

श्री उपाध्यक्ष—आप लोगों की मोहब्बत में कुछ रवानी तो हुई।

श्री गेंदासिंह—लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक किताब मैं उनकी खिदमत में पेश करूंगा इसी विधान सभा से, और वह सारे संसार के कानून बनाने वालों ने जिस तरह से, कानून तो बनाता है लेजिस्लेचर लेकिन उस कानून पर अमल करने के लिये अधिकार देता है सरकार को और यह इतिहास है कि जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है और लेजिस्लेचर ने जहां कहीं भी सरकार को इस तरह के अधिकार दिये हैं वहां कहीं भी किसी मुल्क में ऐसी सरकार नहीं हुई कि जिसने लेजिस्लेचर से मिली हुई पावर्स को ऐक्सीड न किया हो। अब उसका अपवाद अगर चौधरी साहब हो सकते हैं तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। मैं समझता हूं उसके अपवाद वे नहीं हैं और प्रमाण है हमारे सामने जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के सामने मामले गये, सौभाग्य से मैं भी उसका एक सदस्य था और जो उसकी रिपोर्ट आयी है उसको माननीय सदस्य देखें कि सरकार ने बड़े इन्नोसेंट लेजिस्लेशन्स जो हुये थे उनमें भी पावर को ऐक्सीड किया। अगर मैं इसको दुरुपयोग करना कहूं तो नामुनासिब नहीं होगा। तो इसलिये यह चेक लगा देना कि सरकार दुरुपयोग न करे, मैं समझता हूं हमारा कर्त्तव्य है, अगर इसको नहीं करते तो अपने कर्त्तव्य से चूक जायेंगे। मैं समझता हूं कि सदन का समय उसमें ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है कि शासनाधिकारी जो हम अधिकार देते हैं उनका दुरुपयोग करें या उससे आगे बढ़ कर काम करें। हम समझ बूझ कर अधिकार देना चाहते हैं और समझ बूझ कर उसका उपयोग भी कराना चाहते हैं। मैं आपसे अन्त में यही कहूंगा कि दोनों की मंशा में कोई फर्क नहीं था। वह चाहते थे, समझते थे कि इस हाउस में आयेगा और आने के बाद यह अधिकार होगा कि हम उसमें संशोधन कर दें, तो मेरे शब्दों में क्या रक्खा हुआ है? लेकिन उनकी तरफ से कभी इतना उदारता बरती नहीं गई। इन शब्दों में कुछ उलझन पड़ रही है तो शब्दों में हेरफेर कर दीजिये। काम तो करना ही है। इस विधेयक में ही हम थोड़ा परिवर्तन कर दें तो क्या हर्ज है? एक आदमी ने कुछ सुझाव दिया, एक दल ने कुछ सुझाव दिया, उस बात को मान लें तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता था, मैं कोई नीयत पर हमला नहीं करना चाहता .....

श्री उपाध्यक्ष—यह तो मोहब्बत में शिकवा शिकायत का स्थान है ही।

श्री गेंदासिंह—यह तो ठीक है, लेकिन उस मोहब्बत की कोई सीमा होती है।

श्री चरणसिंह—मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मोहब्बत की सीमा होती है। हम जानते हैं कि इस उम्र में उनकी सीमा न हो, लेकिन हमारी सीमा है। जैसे-जैसे आदमी की उम्र नजदीक आती है इस दुनिया से जाने के लिये वैसे-वैसे आदमी, जो उसने जिन्दगी के अरमान बनाये थे, उनको पूरा करना चाहता है। इस विधेयक में बहुत कहा गया कि इस जगह गलती हो जायगी, इसमें आप फंस जायेंगे, लेकिन इतनी जबरदस्ती की बात, इतनी मोह-शक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी जितनी इस वक्त देखी है। मैं मोहब्बत में कहता हूं कि उधर जाने में खतरा है, काम उधर जाने से बिगड़ेगा, उधर न जाइये और कुछ अधिकार हमें दे रखिये ताकि हम आपको रोकें और यह हमारा कर्त्तव्य भी है और कर्त्तव्य समझ कर ही हमने ऐसा किया, लेकिन यह संशोधन जो माननीय पालीवाल जी ने रक्खा है अगर उसी पर माननीय मंत्री रजामन्द हैं तो मैं समझता हूं कि यही उचित है और उसे ही स्वीकार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) संक्षेप में ही आप बोलियेगा, समझौते की बात हो गई है। नियमानुकूल कोई सुझाव देना है तो दे दीजिये, लेकिन कोई भीषण भाषण का समय नहीं है ।

श्री राजनारायण—मेरी बदकिस्मती है कि ठीक समय पर सवा दो बजे नहीं आ पाया क्योंकि लंच के पहले मैं ही बोल रहा था.....

श्री उपाध्यक्ष—आपका नाम पुकारा गया था ।

श्री राजनारायण—मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं आ ही रहा था कि विद्यार्थियों ने आकर पकड़ लिया। पालीवाल जी का यह संशोधन है कि जो नियमावली बने उसे सदन की मेज पर १४ दिन तक रख दिया जाय और उसमें अगर कोई संशोधन हो तो उसी पत्र में विचार कर लिया जाय। मेरे खयाल में, श्रीमन्, माननीय माल मंत्री को इसमें शायद कोई एतराज भी नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं है, इसलिये तो कह रहा हूं कि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण—गेंदा सिंह जी की बात सुनने के बाद कुछ बोलने की मैंने आवश्यकता महसूस की। कुछ डेमोक्रेसी का नाम उन्होंने लिया और जहां डेमोक्रेसी का नाम आया तो हमारा माथा ठनक जाता है। काफी समय हो गया इस चीज को। ५२ से ५७ तक ५ वर्ष हो गये। इधर भी एक साल हो गया। डेमोक्रेसी में ये तीन अंग हैं लेजिस्लेचर, जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव हर दल चाहता है कि हम हावी हों। लेजिस्लेचर चाहता है कि जिस बात को, जिस मकसद को लेकर कानून बनाया जाता है उसको न्यायाधीश माने। न्यायाधीश अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है और उसी के साथ-साथ ऐक्जीक्यूटिव चाहती है कि जिस समय हम हुक्म दे दें उसका पालन हो। जो मंत्री जो की इच्छा हो वह ऐक्जीक्यूटिव कर दे। इसलिये ऐक्जीक्यूटिव, जुडीशियरी और लेजिस्लेचर इन तीनों का अलग-अलग रहना नितांत आवश्यक है। जुडीशियरी का अपना-अपना अलग स्थान है, ऐक्जीक्यूटिव का अपना अलग स्थान है और लेजिस्लेचर का अपना अलग स्थान है। मुझे आशा है कि माननीय चरण सिंह जी को मतभेद नहीं होगा और अगर होगा तो देश का दुर्दिन है ।

श्रीमन्, सदन की आज तक की परम्पराओं की आपको भी जानकारी होगी कि जितने नियम या उपनियम, चाहे वह जमींदारी अबोलिशन के हों या किसी दूसरे ऐक्ट के हों, बने हैं, उनमें ऐक्ट की मर्यादा को तोड़ कर काम किया गया है। इसलिये इस चीज का रखा जाना जरूरी था और इसमें माननीय गेंदा सिंह जी और चरण सिंह जी के लव अफेयर्स की कोई बात नहीं है, शिकवा शिकायत की कोई बात नहीं है और न सदन के समय के दुरुपयोग की बात है। मैं कानून की बारीकी से बहुत घबराता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि फंडामेंटली कहीं वह कुचल न जायं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसी स्टेज पर ऐसी व्यवस्था निकालें कि सरकार की ओर से जो आश्वासन दिये गये हैं और जितनी नियमावली बनी है उनमें मर्यादा भंग हुई है। इसलिये फंडामेंटल तरीके से मैं विरोधी हो गया हूं कि नियमों के बनाने का पूरा-पूरा अधिकार सरकार को दे दिया जाय। हमने एक कहावत पढ़ी थी जब महात्मा गांधी जी राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में जा रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वह न जायं।

"गोल-गोल मेज होगा, गोल मेजपोश होगा।
गोल-गोल होगा, गोल टेबिल का जल्सा ।।
गोल-गोल बुद्धिवाले, गोल गोल गाल वाले।
गोल-गोल करेंगे बात, जमावेंगे अमल सा ।।"

बराबर यह चीज मानी गई है कि जब कभी भी गोल-गोल बातें होती हैं.....

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि....

श्री राजनारायण---क्या कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है आपका ?

श्री उपाध्यक्ष---पहले स्पष्ट नहीं था। अब मैंने उनको बुला लिया है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय राजनारायण जी ने शिकायत की थी तो मैं इस आशा में बैठा रहा कि वह शायद संशोधन के सम्बन्ध में कुछ बोलें। क्या यह उसी के सम्बन्ध में बोल रहे हैं या और कोई बात है ? यदि उससे संबंधित नहीं है तो उनको रोका जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---इसी संशोधन के सम्बन्ध में आपस में कुछ बातचीत हुई थी वह उसी पर और आब्जरवेशन्स कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण---मैं साफ कर दूं, श्रीमन्, अगर समझौता हो गया है तब तो मैं पक्षपाती हूं, वैसे मैं विरोध में हूं। अच्छा हुआ जो आपने मुझे टोक दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये, इस पर समझौता हो गया है । फंडामेंटल रूप से प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ इसलिये मैं ने कह दिया ।

श्री राजनारायण---समझौते के विरुद्ध भी कुछ कहने का हक हमको है । मैं इसके घोर विरोध में हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---सवाल यह है कि आप इसके विरोध में बोल रहे हैं या पक्ष में ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं समर्थनात्मक विरोध में बोल रहा था। फंडामेंटली तो मैं इसके विरोध में हूं लेकिन समर्थन इसलिये कर रहा हूं क्योंकि हमारे दो बुजुर्ग माननीय पालीवाल जी और गेंदा सिंह जी ने इसको मान लिया है। मैं उनको बुजुर्ग मानता हूं। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह गड़बड़ी कहां हुई। गड़बड़ी दूर करने के लिये कुछ न कुछ तो होना चाहिये। मैं आचार्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम कानून को देख लिया जाय, विधान को देख लिया जाय, इतने बड़े-बड़े अहम मसलों पर दो-दो जज डिफर क्यों करते हैं ? इसलिये कि कानून में वेगनेस होती है। इसीलिये गांधी जी कहा करते थे कि डेफिनिट बोलो, चाहे गांधी-इरविन का समझौता हुआ हो चाहे राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस हुई हो।

श्री उपाध्यक्ष---राजनारायण जी, इसमें बिल्कुल निश्चित हो गया है, अब कोई अस्पष्टता नहीं रह गयी है ।

श्री राजनारायण---तो आयन्दा के लिये मैं अपने बुजुर्गों से कहूंगा कि कानून में नियम बनाने का अधिकार सरकार को न दे कर इसी के अन्दर लिख दिया जाया करे और जो गवर्नमेंट पौड़ने की गुन्जायश करना चाहती है वह न करने दिया करे। श्रीमन् मेरा प्वाइन्ट इतना ही है और ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, मुझे अब और कुछ नहीं अर्ज करना है। जो संशोधन आपने पढ़ कर सुनाया था उसमें अल्फाज "इस सत्र में" रह गया है। शायद इनको जोड़ देने से ठीक हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---"इस सत्र में" रखने में असल में कठिनाई होगी, क्योंकि ये नियम विधान मंडल से पास होंगे। मेरे खयाल से "इसी सत्र में" रख दिया जाय ।

श्री चरण सिंह---जी हां। वरना इसका मतलब यह हो जायगा कि हमने रखा और दो साल बाद कुछ परिवर्तन करना चाहें तो यह ठीक नहीं होगा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक शंका रह गयी। सत्र अगर १४ दिन न रहे और ३-४ ही दिन बैठे, हाउस फिर प्रोरोग हो जाय तो ?

श्री उपाध्यक्ष---(माल मंत्री से) हां, इसका जवाब आप दीजिये।

श्री चरणसिंह---मैं समझा नहीं। उसमें यह है कि कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---तो ऐसी हालत में जो मैंने कहा उसके रखने से कोई खास अन्तर नहीं पड़ेगा। विधान मंडल अपने किया करे इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री चरणसिंह---मुझे कोई कठिनाई नहीं है अगर माननीय राजनारायण जी को, जिन्होंने बड़ी नीति की बातें कहीं, कोई कठिनाई न हो।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६---उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन (enactment) रहा हो।

उत्तर प्रदेश, अध्यादेश संख्या ३, १९५७ का निरसन। यू० पी० ऐक्ट १, १९०४।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा उनके गृह-स्थलों के अविरत अध्यासन के निमित व्यवस्था करने का

विधेयक

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में वर्तमान अध्यासियों द्वारा गृह-स्थलों के अविरत अध्यासन (continued occupation) की व्यवस्था करने के निमित्त भारत का संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन गवर्नर ने उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़-पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, १९५७ प्रख्यापित किया था;

उ० प्र० अध्यादेश सं० ३, १९५७।

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल के एक अधिनियम की व्यवस्था की जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ । [U. P. House Sites (Flood Affected Areas) (Temporary Powers) Bill, 1957], जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गृह-स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९५७ [U. P. House Sites. (Flood Affected Areas) (Temporary Powers) Bill, 1957], जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ †

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७ [U. P. Control of Supplies (Continuance of powers) (Amendment) Bill, 1957] पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इस में मुख्य रूप से जो यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाइज ऐक्ट, १९४७ में बना था और उसके बाद में वह दो या तीन बार पुनर्जीवित हुआ, उसी को थोड़े से संशोधनों के सहित दुबारा तीन वर्ष के लिये जीवन प्रदान करने की बात है । आवश्यक सामग्रियों पर कुछ कंट्रोल १९४३ में हमारे यहां डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के द्वारा लगा । युद्ध समाप्त होने के बाद १९५६ में एक विधेयक के जरिये से, पहले उसका एक आर्डिनन्स था, और उसके बाद में १९४६ में टेम्पोरेरी पावर्स विधेयक के जरिये से, उन नियमों को कुछ स्थायित्व प्रदान किया गया और उसमें १५ चीजों के ऊपर कंट्रोल लगाया गया था । धीरे-धीरे सन् १९५३ में दुबारा एक विधेयक आया, फिर १९५५ में आया, जिसकी अवधि २५ जनवरी, १९५८ को समाप्त हो जायगी । यह आवश्यक है कुछ कारणों से कि कुछ चीजों पर अभी भी कंट्रोल रखा जाय ।

जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्य देखेंगे शेड्यूल में, जो कि इस विधेयक के अन्त में है अब केवल ब्रिक्स अदर दैन फायर वुड ब्रिक्स और फायर वुड, यह दो चीजें ही रखी गई हैं। इसके पहले जो सन् १९४७ वाला ऐक्ट था उसमें कई संशोधनों के होते हुये भी अब तक कुछ

† ९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

और सामग्रियां भी सम्मिलित थीं जिसमें कि इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, बांस, बैब घास और राल थी। लेकिन अब इन चीजों को निकाल दिया गया है और अब केवल फायर वुड है और ब्रिक्स हैं। मैं इस सम्बन्ध में इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह सही है कि एक सेंट्रल एसेन्शियल सप्लाइज कंट्रोल ऐक्ट और है और उस के जरिये से भी कुछ चीजों पर कंट्रोल है। लकिन जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है हम लोगों की निश्चित नीति यह रही है कि कम से कम आवश्यक सामग्रियों पर कंट्रोल रखा जाय। कंट्रोल के जरिये से, सही है कि, कुछ कठिनाइयां होती हैं, लेकिन मैं इस सदन में यह कहने में जरा भी नहीं हिचकूंगा कि अब सचमुच कंट्रोल के जरिये से कठिनाई का प्रश्न नहीं है। इसके बिलकुल विपरीत कुछ चीजें उपलब्ध हो सकें इसलिये कुछ चीजों पर कंट्रोल रखना आवश्यक हो गया है। जैसे ईंटों का प्रश्न है। ईंटों की मांग पिछले दिनों में बहुत बढ़ी है और खास तौर से प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और कुछ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो नये कार्य निर्माण के हो रहे हैं उन में भी ईंटों की मांग बहुत बढ़ी है।

एक ओर ईंटों की मांग बढ़ी दूसरी ओर हमारी कठिनाई कोयले की है। जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, कोयले पर इसेंशियल सप्लाईज ऐक्ट के जरिये से नियंत्रण है और उसका भी कारण स्पष्ट है। यदि कोयले पर नियंत्रण न रखा जाय तो जितना कोयला आज उपलब्ध होता है वह भी उपलब्ध होना संभव नहीं होगा। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े मेरे पास हैं और उन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रदेश को जितना कोयला एलाट हुआ था उसके ७० प्रतिशत से अधिक कभी भी मिला हो। और सब से बड़ी कठिनाई कोयले के सम्बन्ध में वैगन मूवमेन्ट की है, क्योंकि गाड़ियां नहीं मिलतीं। कोयला चूंकि नहीं मिल पाता इसलिये ईंटों की जितनी आवश्यकता है वह पूरी नहीं होती। बहुत बार, मेरे खयाल से इस माननीय सदन के सदस्यों के पास भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि ईंटों के सम्बन्ध में प्रदेश में बड़ी कठिनाई है। ईंट उपलब्ध होना कठिन रहा है। और जो नियंत्रण आज हैं उसमें बहुत कुछ नियंत्रण कीमतों तक सीमित हैं। ईंटों पर नियंत्रण हैं किन्तु वह ऐसा नहीं है कि किसी को वह परमिट द्वारा दी जायं बल्कि खुले बाजार में ईंट मिल सकती हैं और मिलती हैं। तो ठीक भाव पर एक प्रकार से यह उपलब्ध हो सकें, समय पर मिल सके और कुछ उचित मूल्य पर मिल सकें, केवल इसी उद्देश्य से यह ईंटों पर नियंत्रण है अन्यथा ईंटों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

जहां तक ईंधन का सम्बन्ध है सन् १९४३ से उस पर नियंत्रण लगाया गया डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के द्वारा और उसके बाद सन् १९५४–५५ में उस नियंत्रण को बहुत समाप्त किया गया और नियंत्रण केवल इस प्रकार का लगाया गया कि जंगल की चीजें जिन स्थानों पर उपलब्ध हैं उन सब को पूल किया गया और ऐसे-ऐसे स्थानों को उनको भेजने की व्यवस्था की गयी जहां उनकी आवश्यकता थी। सब स्थानों पर वह जा सकें और उन सब को ईंधन मिल सके। पहले ईंधन की बड़ी कठिनाई रही।

आज आप देखें कि ईंधन के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सदस्य परिचित हैं इस पर नाममात्र को नियंत्रण हैं और वह केवल लखनऊ और कानपुर में है। हमारे प्रदेश के यही दो बड़े नगर हैं और इन शहरों में ईंधन के सम्बन्ध में केवल इतना नियंत्रण है कि नियंत्रित भाव पर प्राप्त हो जाय। खुले बाजार में भी ईंधन मिलता है लेकिन जो नियंत्रण लगा हुआ है उससे केवल इतना ही लाभ होता है कि वह उचित मूल्य पर मिल जाय। यदि वह नियंत्रण न लगाया जाता तो यह भाव बहुत ऊंचे चला जाता। केवल इसी चीज को दृष्टि में रखकर लखनऊ और कानपुर में यह नियंत्रण हैं। अन्य किसी स्थान पर नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

माननीय पालीवाल जी का संशोधन है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय जो ३१ मार्च तक अपनी रिपोर्ट दे। जाहिर बात है कि इसकी अवधि २५ जनवरी को समाप्त हो जाती है। इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। दूसरे

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

इस विधेयक का जो उद्देश्य है कि मियाद के अन्दर पास हो जाय और उससे लाभ हो वह भी समाप्त हो जाता है ।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये से, जो आज यह सदन के समक्ष उपस्थित है, केवल इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कि जो कंट्रोल आज हैं वह नाममात्र के हैं और उनकी अवधि थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है, कुछ वर्षों के लिये बढ़ाई जा रही है । जैसा कि इससे जाहिर होगा वह ३ वर्ष के लिये बढ़ाई जा रही है । इसके अलावा यह विधेयक कंट्रोल को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में भी है । जिन आवश्यक सामग्रियों पर अभी तक कंट्रोल था उनको अब हटाया जा रहा है और इससे उनको निकाला जा रहा है । यह बहुत छोटा सा विधेयक है, इसलिये मुझे विश्वास है कि यह सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा और अपनी अनुमति प्रदान करेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जनमत जानने के लिये ३१ मार्च सन् १९५८ तक के लिये वितरित किया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने यह कहा कि यह विधेयक बहुत छोटा है । जिस समय उन्होंने यह कहा कि यह छोटा सा विधेयक है उस समय तुरन्त ही मुझे एक बात याद आयी । पहली बात यह है कि जनता में कहावत है कि 'छोटा सो खोटा'। छोटा अवश्य ह परन्तु मैं समझता हूं कि विधेयक बहुत खोटा है । मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ सूक्तियां याद आगईं :---

मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरिहर सुर सर्व ।
महामत्त गजराज कह वशकर अंकुश खर्व ।।
रवि मंडल देखति लघु लागा । उदय जासु त्रिभुवन तम भागा ।।

छोटी होने से ही किसी चीज की अच्छाई या बुराई पर असर नहीं पड़ता है । जहर जरा सा होता है लेकिन किसी के भी जीवन को समाप्त कर सकता है । मुझे दुःख इस बात का है कि मैं सिद्धांततः इस बिल को ऐसा ही समझता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के शब्दों पर ध्यान दिया जाय तो बिल में यह पहले ही कहा गया है कि "यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को आगे जारी रखने का"; इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि टेम्पोरेरी पावर्स नाम का यह एक छोटा सा बिल है । टेम्पोरेरी समय के लिये यह अधिकार सन् ४७ में लिये गये थे और वह टेम्पोरेरी पावर्स आज सन् ५७ में भी जारी हैं और अब सन् ६१ तक उसकी जिन्दगी को और बढ़ाया जा रहा है । इस प्रकार इसकी अवस्था १४ वर्ष की हो जायगी ।

अभी माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कहा कि ईंटों की समस्या पंचवर्षीय निर्माण काल होने की वजह से बड़ी भारी है और उसमें कंट्रोल की आवश्यकता है । मैं आपकी आज्ञा से माननीय लक्ष्मीरमण जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश में मकानों की बहुत भारी कमी है, शहरों में भी और गांवों में भी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह कहना है कि लाखों ही मकान बनाये जाने की जरूरत है अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस स्थल के एक कोने को भी नहीं छुआ है, अभी तो सेर में पौनी भी नहीं कती है । इन निर्माण कार्यों को देखते हुये हमें यह नजर नहीं आता कि कब हमारी यह ईंट की कमी पूरी होगी । इस आधार पर इस टेम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट की मियाद बढ़ायी जाती रहेगी । १४ साल तो अभी हो गये जितना कि भगवान राम को बनवास हुआ था । १४ वर्ष का बनवास तो जनता को आप दे चुके और संभावना है १४० वर्ष तक उसके जारी रहने की । इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

आगे इसमें कहा गया है कि "और उक्त ऐक्ट को जारी रखने की व्यवस्था करना इष्टकर है"। मैं समझता हूं वह इष्टकर नहीं अनिष्टकर ह। इसके कारण हैं। मैं सिद्धांततः कन्ट्रोलों का विरोधी हूं, इसीलिये इस ऐक्ट का विरोधी हूं। मेरा सिद्धांत जिसके कारण मैं कन्ट्रोलों का विरोधी हूं वह यह है कि व्यक्ति और जनता की पूर्ण स्वाधीनता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये। इसी सिद्धांत को पाश्चात्य पोलीटिकल साइन्स के फिलोसफर्स और आचार्यों ने भी माना है जिनमें प्रिंस क्रोपटकिन, प्रोढम और बाकनिन मुख्य हैं। इन सब की यह राय रही है कि "दैट गवर्नमेन्ट इज दि बेस्ट ह्विच गवर्न्स दि लीस्ट (That Government is the best which governs the least), वह गवर्नमेन्ट जो सब से कम शासन करती है, वह सबसे अच्छी है। लेकिन इन कंट्रोलों की वजह से जनता के जीवन के हर अंग पर असर पड़ता है। अब यह सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसको केवल पाश्चात्य राजनीतिज्ञों ने ही माना हो। हमारे राष्ट्र के बापू महात्मा गांधी स्वयं इसी सिद्धांत को मानते थे। उनके आध्यात्मिक अनुयायी संत विनोबा भी इस बात को मानते हैं कि शासनहीन और शोषणहीन सर्वोदय समाज हो। गांधीवाद के साथ-साथ जो मार्क्सवाद को मानते हैं, उनके लिये महर्षि मार्क्स का यह सिद्धांत है कि "स्टेट बिल अल्टिमेटली विदर अवे" यानी राज्य पतझड़ की तरह से मुरझा कर खत्म हो जायगा। तो महात्मा गांधी के साथ साथ पश्चिम के जितने राजनीतिक आचार्य हैं वे सभी इस सिद्धांत को मानते हैं कि शासनहीन पूर्ण स्वतंत्र समाज हो, जिसमें व्यक्तियों और समाज को पूरी स्वाधीनता हो। यह कंट्रोल इस सिद्धान्त के विरुद्ध है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूं कि मैं इस कंट्रोल का सदैव विरोधी रहा हूं। जब मैं मंत्रिमंडल में था तब भी विरोधी था और उसके बाद सन् १९५१-५२ में जब इसकी अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव लेजिस्लेटिव कौंसिल में आया था तो मैंने इसका विरोध वहां भी किया था और वही विरोध मैं आज भी कर रहा हूं। मेरे लिये कोई नयी बात नहीं है, मैंने जीवन भर कंट्रोल के सिद्धांत का विरोध किया है। मेरा सिद्धांत तो शुरू से ही है। मैं जानता हूं और मानता हूं कि बहुत से मेरे साथी ऐसे होंगे जो मेरे इस विरोध के सिद्धांत से सहमत न होंगे लेकिन बहुत थोड़े ऐसे होंगे जो कंट्रोल के कार्यान्वित होने के ढंग के विरोध से सहमत न हों। तो इस मामले में हमारा उनका मतभेद हो सकता है, लेकिन अमल में इस कंट्रोल की वजह से जो बुराई है, जो इम्पलीमेंटेशन की खराबियां हैं, उन खराबियों के सम्बन्ध में मेरे खयाल से इधर के लोगों को तो कोई मतभेद होगा नहीं और मेरा खयाल है कि उधर के भी बहुत से लोग होंगे, जिनका मतभेद कम से कम इन बुराइयों के सम्बन्ध में न होगा।

उधर की बात जब मैं कहता हूं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्वर्गीय सरदार पटेल के वे शब्द याद आ जाते हैं, जब उन्होंने यह कहा था कि कंट्रोल तथा भ्रष्टाचार और चोरबाजारी का चोली दामन का साथ है। स्वर्गीय सरदार पटेल के ये विचार थे जो एक महान् प्रशासक और कांग्रेस पार्टी के नेता थे। और आज भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो गांधी जी के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, इसलिये मैं ऐसी आशा रखता हूं कि उधर भी काफी लोग इस विचार के होंगे कि कंट्रोल के इम्प्लीमेन्टेशन में काफी खराबियां होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस इम्प्लीमेन्टेशन की इतनी बात तो जाहिर ही है, जैसा कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने कहा था कि जहां कंट्रोल होगा वहां चोरबाजारी होगी, जहां कंट्रोल होगा, वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कंट्रोल होगा वहां राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास होगा और मेरी राय में कंट्रोल के जरिये से जो थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है उसका मूल्य उतना नहीं है जितना कि राष्ट्रीय चरित्र के पतन से हानि होती है। मुझे शेक्सपियर के वे शब्द याद आ जाते हैं, शेक्सपियर का कहना है "इफ वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट" यानी अगर धन का नाश हो जाता है तो कुछ नहीं नष्ट होता है, "इफ हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट" यानी अगर स्वास्थ्य को कुछ हानि पहुंचती है तो कुछ नष्ट होता है "बट इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरी थिंग इज लास्ट" यानी अगर चरित्र का ह्रास होता है तो सब कुछ चला जाता है। और इस कंट्रोल की वजह से राष्ट्रीय

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

चरित्र की हानि होती है तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और यह सभी मानते हैं कि जिस चीज का कंट्रोल होता है वह चीज आमतौर पर बाजार से गायब हो जाती है ।

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने एक बात कही कि ईंट की कीमत पर नियंत्रण है, उनको लेने के लिये, उनकी खरीदारी पर कोई नियंत्रण नहीं है । यह मैं अपने अनुभव से बतलाता हूं । मुझे ऐसा करना नहीं पड़ा लेकिन न करने की वजह से मुझे मिली भी नहीं । ईंट कंट्रोल रेट पर किसी को नहीं मिलती, तभी मिलती है जब कि चोरबाजारी में ज्यादा दाम दिये जायं । तो जो छूट कंट्रोल होने से चीजों के मिलने की सुविधा के बारे में है वह इल्यूजरी है, भ्रमात्मक है, वह सही सुविधा नहीं है । इसमें होता यह है कि नाम तो यह होता है कि ईंट मिल सकती है, लेकिन वह मिलती तभी है जब चोरबाजारी की कीमत दी जाय । आचार्य लक्ष्मीरमण जी जानते होंगे, इस बात की जांच करा लीजिये कि जिन के पास ईंट के भट्ठे हैं और जिन को उनके लिये कोयले के परमिट दिये गये हैं उनकी माली दशा पहले क्या थी और अब क्या है, इतने सालों में वह मालामाल हो गये हैं, कैसे हो गये, कौन सा ईमानदारी का तरीका है ? कौन कह सकता है कि जब कंट्रोल होता है तो राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास नहीं होता ? लोग मजबूर हो जाते हैं और चोरबाजारी करते हैं और लोग चोरबाजारी से माल खरीदते हैं ।

अभी जो बिल माननीय मंत्री जी ने पेश किया था और जो अभी पास हो गया है उस के मुताबिक लोगों को १–२ साल के अन्दर मकान बनाना जरूरी है, अगर उन्हें उस बिल से या ऐक्ट से लाभ उठाना है और उन को ईंट नहीं मिलती है तो वह क्या करेंगे, वह मजबूर होंगे चोरबाजारी से ईंट खरीदने के लिये और बेईमानी करने के लिये । इन कंट्रोल के होते हुये ईमानदार आदमियों को भी चोर बाजारी से चीजें खरीदने के लिये मजबूर होना पड़ता है । और इस तरह से कंट्रोल राष्ट्रीय चरित्र को बिगाड़ते हैं । अगर किसी को अपने बीमार बच्चे के लिये दवा की जरूरत है तो कौन आदमी आज ऐसा युधिष्ठिर या हरिश्चन्द्र की तरह सत्यवादी होगा कि जो बच्चे को मर जाने देगा और चोरबाजारी से दवा नहीं खरीदेगा, वह बच्चे को बचाने के लिये मजबूर होकर ३ रुपये की दवा के १५ रुपये देगा और बच्चे की जान बचायेगा । आदर्श और उपदेश की बात कहां रह जाती है ? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कपड़े के कंट्रोल के जमाने में यह होता था कि कपड़े के परमिट दिये जाते थे और दुकानदारों से कहा जाता था कि तुम ६ रुपया सैकड़े का मुनाफा लो और तुम्हें ६०० रुपये का कपड़ा एक मासमें बेचने को मिलेगा । मैंने उसी समय खाद्य मंत्री जी से विधान परिषद् में यह बात कही थी कि आप स्वयं विचार करें कि लखनऊ की म्युनिसिपैलिटी में आप एक मेहतर को तो ४५ रुपया मासिक वेतन देते हैं और अपनी बिरादरी के एक दूकानदार से आप आशा करते हैं कि वह ३६ रुपया माहवार में आज के जमाने में अपने परिवार का पालनपोषण कर ले और आप किस तरह से यह आशा कर सकते हैं कि वह ईमानदार बना रहे । किसी आदर्श आदमी को छोड़कर जो संसार से विरक्त हो गया हो कोई ऐसी हालत में ईमानदारी से नहीं चल सकता । इन कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय लक्ष्मीरमण जी ने भी सिद्धांततः यह बात मानी, उनको मैं बधाई देता हूं लेकिन अगर अमल में भी यह बात होती तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता, उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य तो कंट्रोल को समाप्त करने का है लेकिन कहने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होता । इसलिये मैं उन्हीं के उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं इसका विरोध करता हूं और अगर कंट्रोल्स को समाप्त करना है तो उनकी समाप्ति इस विधेयक को वापिस कर के ही हो सकती है ।

एक बात इस सम्बन्ध में मैं और कहूंगा कि माननीय लक्ष्मीरमण जी ने कहा कि सेंट्रल ऐक्ट के आधार पर यह कंट्रोल लगे हुये हैं, जब पहले हम विधान परिषद् में कंट्रोल्स का विरोध करते थे तो एक सरकारी सदस्य ने यह कहा था कि यह कंट्रोल सेंटर के मिनिस्टरों के लगाये हुये हैं । तब मैंने उन्हें याद दिलायी थी कि यह कंट्रोल हमारे सूबे की मिनिस्टरी के ही लगाये हुये

हैं, व सेंट्रल ऐक्ट के मुताबिक नहीं हैं, सेंट्रल ऐक्ट के मुताबिक उन को रखना लाजमी नहीं है, यह तो हमारे प्रदेश की सरकार के हाथ की बात है, इसलिये अगर मंत्री जी का उद्देश्य कंट्रोलों को वाकई समाप्त करने का है, जैसा कि उन्होंने कहा, तो वह इसको वापस लेकर अपने उद्देश्य को पूरा करें और इसलिये जैसा कि मैंने निवेदन किया अभी इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मैं जानता हूं कि २५ मार्च के बाद इसकी मियाद खत्म हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---२५ मार्च नहीं, २५ जनवरी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जी हां। मैं तो चाहता हूं कि इसकी मियाद खत्म हो जाय। अगर २५ जनवरी को यह मर जाय, तो राष्ट्रीय दिवस मनाने में हमें ज्यादा खुशी होगी। मुझे इस बात का रंज नहीं है कि मेरा संशोधन स्वीकार हो, अगर २५ जनवरी निकल जायगी, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। यह दूसरी बात है कि माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य यह समझें कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, वे इसे स्वीकार कर लें और २५ जनवरी से पहले उसे ले आयें। मैं, मुमकिन है, तब भी उसे वापस ले लूं। अगर प्रवर समिति की बात तय हो जाती है, तो मेरी तजवीज पूरी हो जाती है और तब मैं अपने संशोधन को वापस ले सकता हूं, लेकिन जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करते, तब तक मैं यह चाहता हूं कि इसे जनमत जानने के लिये वितरित किया जाय। मैं जानता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस बात की मियाद से बिलकुल सहमत नहीं हूं कि इन कन्ट्रोलों को इन्क्रीज किया जाय, क्योंकि इसका जो अनुभव मुझे है या आम जनता को हो, शायद माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी को नहीं है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि जनमत जानने के लिये इसे वितरित किया जाय और तभी यह पता चलेगा कि इन कन्ट्रोलों के सम्बन्ध में जनमत की क्या राय है इसे समाप्त किया जाय या नहीं। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव किया कि जनमत जानने के लिये इसे वितरित किया जाय। जैसा मेरा स्वभाव है, मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन इस सुझाव के द्वारा मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जनमत के लिये यह वितरित किया जाय, क्योंकि आज लक्ष्मी रमण आचार्य जी कहीं भी जायें या किसी भी न्यायालय में जांय, तो उनको पता चलेगा कि इन कन्ट्रोलों के सिलसिले में एक आदमी को तीन-तीन, चार और पांच कन्ट्रोलों के परमिट मिले हुये हैं, जिससे वे मालामाल हो रहे हैं। जमींदारियां कायम हो गई हैं, वेस्टेड इन्टरेस्ट हो रहे हैं। कंट्रोल के रहने से परमिट भी उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं, जिनसे उनको काम निकालना होता है। एक को अगर चार कंट्रोल दिये जाते हैं, तो इससे उसकी जमींदारियां कायम हो गई हैं। वह वेस्टेड इन्टरेस्ट में है। यह भी मेरा कटु अनुभव है और यह भी कहा जाता है कि परमिट लेना हो, तो इस तरह से वोट दो। तो आज कंट्रोल से वोट भी लिये जा सकते हैं। इस में राजनीतिक संस्था का इन्ट्रेस्ट भी आ जाता है। इसलिये मैं अपना यह प्रस्ताव पेश करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा और इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---श्री पालीवाल जी के संशोधन में एक संशोधन श्री राजेन्द्रसिंह जी का है, वे उसे रखें।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---माननीय पालीवाल जी का संशोधन है.....

श्री उपाध्यक्ष---पहले आप अपना संशोधन पेश कर दीजिये।

*श्री राजेन्द्र सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि "३१ मार्च, १९५८" के स्थान पर "२१ जनवरी, १९५८" रख दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय आचार्य जी ने यह कहा कि अगर पालीवाल जी का संशोधन मान लिया जायगा, तो उसकी अवधि समाप्त हो जायगी, क्योंकि २५ जनवरी, १९५८ को इस ऐक्ट की अवधि समाप्त हो रही है, इसलिये वे पालीवाल जी का संशोधन मानने में असमर्थ हैं। माननीय पालीवाल जी का जो संशोधन है कि इसे जनमत जानने के लिये वितरित कर दिया जाय, तो उसमें ३१ मार्च के स्थान पर मैं चाहता हूं २१ जनवरी कर दिया जाय। अगर हम लोग २१ जनवरी तक जनमत ग्रहण कर लें और फिर इस बात पर विचार करें कि कन्ट्रोल के इस ऐक्ट को बने रहना चाहिये या नहीं, तो यह उचित होगा।

मेरा अपना विचार है कि जनमत इस पक्ष में होगा कि कंट्रोल न बना रहे क्योंकि जनता नहीं चाहती कि कंट्रोल से फिर परेशान हो जब कि देश कोई ऐसी इमर्जेंसी से नहीं गुजर रहा है। ईंटों का या कोई और कंट्रोल जनता नहीं चाहती ऐसी स्थिति में कंट्रोल ऐक्ट के द्वारा जबर्दस्ती कंट्रोल लगाना अनुचित होगा, जब कि जनमत हमारे पक्ष में यह कह रहा है कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अतएव मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

*श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ पालीवाल जी का जो प्रस्ताव है उसका विरोध कर रहा हूं। इस छोटे से बिल पर हमारे माननीय पालीवाल जी ने इतना बड़ा लेक्चर दिया और उसके अन्दर उसूलों पर इतनी लम्बी बहस की। मैं समझता हूं कि वह उनकी सारी मेहनत यहां गैरजरूरी सी मालूम होती है। जैसा उनका खयाल है वह इस बात को मानते हैं कि आचार्य जी ने किस उसूल को मानते हुए इस बिल को पेश किया है। वह नहीं चाहते हैं कि हम कंट्रोल पर चिपकें, कंट्रोल को लागू रखें। वह खुद चाहते हैं कि जैसे मौका मिले और जिस तरह हो कंट्रोल खत्म हो। अगर इस बिल को गौर से पढ़ा जाय तो यह मंशा भी जाहिर होती है। बिल के उद्देश्य में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि यह कोशिश की गयी और इन शब्दों से यह साफ प्रगट है कि सरकार की यह मंशा है कि कंट्रोल कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जहां पर भी इस ताकत को लेने का सवाल है इस बिल के जरिये से वहां पर यह लिखा हुआ है कि "राज्य के विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ते हुए भवन निर्माण के कारण ईंटों की मांग बढ़ रही है। अतएव उचित मूल्य पर ईंटों के सम्भरण का विनियमन आवश्यक है।"

तीसरे में यह है, "बड़े नगरों में जनता की ईंधन संबंधी आवश्यक मांग की पूर्ति के लिए तथा वृहत्तर लोक-हित में वन संरक्षण के दृष्टिकोण से एवं सौफ्ट कोक के अपर्याप्त सम्भरण के कारण, यह भी आवश्यक है कि जहां आवश्यक हो ..." "जहां" पर मेरा जोर है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार यह नहीं चाहती है कि हम हर एक बात पर कंट्रोल की पावर लेते रहें। लेकिन इसके पढ़ने से साफ जाहिर हो जाता है कि सरकार विवश है, सार्वजनिक हित में उसके लिए जरूरी है कि वह इस पावर को ले और पालीवाल जी और इस सदन के माननीय सदस्य, सभी, समाज में जो होता है देखते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि ईंटों की जरूरत इतनी बढ़ गयी है और कुछ विकास कार्य इतने बढ़ गये हैं कि भट्ठे इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाते हैं। पालीवाल जी ने कहा कि ब्लैक होता है। ब्लैक तो मजबूरन होता है। सरकार थोड़े ही ब्लैक कराने जाती है। सरकार किसी से कहने नहीं जाती है कि तुम ब्लैक करो। लेकिन चूंकि जरूरत इतनी ज्यादा है कि वह अपनी जरूरत पूरी करने के लिए गलत सलत रास्ता अख्तियार करता है। सरकार इसी लिए उचित मूल्य पर ईंटें दिलाने के लिए कंट्रोल रखना चाहती है। मैंने स्वयं देखा कि जब लोगों की ईंटों की जरूरत बढ़ती है और नहीं मिल पाती तो २८ रुपया या ३० रुपया कंट्रोल रेट है, लेकिन मैंने स्वयं देखा है कि ५० या ५५ रुपया तक ब्लैक में लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ईंटा खरीदते हैं । तो ऐसी दशा में अगर यह कहा जाय कि इस बिल का ऐक्सटेंशन करना गैर जरूरी है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती । मैं तो समझता हूं यह जनहित में बहुत जरूरी है ।

साथ ही साथ लकड़ी की बात है, ईंधन वाली लकड़ी पर कंट्रोल करने की बात है, और वह भी सब जगह नहीं । मंत्री जी ने बताया कि हमारे यहां दो ही नगर ऐसे हैं लखनऊ और कानपुर जहां पर इस तरह से कंट्रोल पर लकड़ी दी जाती है । तो समस्या भी ऐसी है, एक तो तमाम जंगल कट गये जमींदारी खत्म होने के बाद, तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि जब तक हम सब मिल कर जैसे वन-महोत्सव के जरिये से ईंधन बढ़ाने की कोशिश में हैं, वह न बढ़ जाय तब तक यह जरूरी है कि जनता को कष्ट न होने पाये, उसे सहूलियत मिले । इसके लिये पावर ली जा रही है । कोई इसमें ऐसा खतरा भी नहीं है, न कोई सरकार का मोटिव है जैसा विरोधी भाइयों ने कहा कि कोई राज की बात है । जैसा पालीवाल जी ने कहा, मैं भी समझता हूं कि कन्ट्रोल अच्छी चीज नहीं है । लेकिन इस वक्त को देखते हुए जब शार्टेज चल रही है, जनहित में यह जरूरी है कि अगर सरकार इसकी मियाद को नहीं बढ़ाती है तो अच्छी बात नहीं होगी । इसलिये सरकार के हित में भी और जनहित के लिए भी यही अच्छा है ।

एक बात और कहता हूं, कल अगर ईंट की सप्लाई से कन्ट्रोल हटा लिया जाय तो आप देखेंगे कि कितनी प्राइस बढ़ जाती है, तजुर्बा भी यही बताता है । सरकार कोई कन्ट्रोल से चिपकना नहीं चाहती । आपने देखा कपड़े पर, गल्ले पर, मिट्टी के तेल पर कन्ट्रोल था, लेकिन ज्यों ही उनकी सप्लाई अधिक हो गई सरकार को कोई शौक नहीं रहा कि कन्ट्रोल रहे । जिन परिस्थितियों में सरकार इसकी मियाद बढ़ाना चाहती है, मैं समझता हूं पालीवाल जी भी इससे डिसऐग्री नहीं कर सकते । मैं आशा करता हूं कि यह बिल पास हो जायगा, क्योंकि यह बहुत ही छोटा बिल है । पालीवाल जी ने तमाम मिसालें दे डालीं, तुलसीदास जी को भी असेम्बली में ला करके चरितार्थ कर दिया, वह मेरी समझ में बात आई नहीं कि छोटे से बिल के पीछे इतने बड़े उदाहरण दे डाले । मैं आशा करता हूं कि यह जो बिल है हमारे सभी माननीय सदस्य इसे इसी निगाह से देखेंगे कि यह जनहित में जायगा और इससे जनता को फायदा होगा जिसके लिये हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं । आपको धन्यवाद है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर से जो बातें अभी तक कही गई इस बिल के सम्बन्ध में उनमें तीन बातें मुझे बड़ी स्पष्ट दिखाई दीं । बिल मान लो, बड़ा छोटा है । छोटा है तो क्या यह आवश्यक है कि इससे जनहित होगा ही । दाऊ शेल डाई, यह कह देना बड़ा छोटा है, लेकिन क्या कोई मानने को तैयार होगा ? यह कोई तर्क नहीं है कि बिल बड़ा छोटा है ।

दूसरे, श्रीमन्, कहा गया कि हम भी चाहते हैं कि कन्ट्रोल न रहे । बड़ा अच्छा है । अपनी सफाई की घोषणा भी की, परन्तु दुख का विषय है कि रिजल्ट उसके विपरीत होता है । एक फ्रेन्च उपन्यासकार का उपन्यास पढ़ रहा था । उसमें एक डाक्टर का वर्णन है । एक मरीज बड़ा असाध्य था । डाक्टर ने यह निर्णय किया कि इस मरीज को मरना होगा और यही इसके लिये बड़ा भारी आराम होगा । लेकिन मरना कोई नहीं चाहता । सीरेंज में इंजेक्शन भर कर डाक्टर लाता है । मरीज से कहता है मैं केवल मार्फिया दे रहा हूं । तुम्हारा दुख, दर्द दूर हो जायगा । मरने वालों को जरा शक अधिक हो जाता है । वह मरीज कहता है कि इसके अन्दर मार्फिया नहीं, पोटेशियम साइनाइड भरा हुआ है । लेकिन डाक्टर बड़े प्रेम से कहता है कि घबराइये नहीं, नीडिल बड़ी छोटी है, छोटा ही प्रिक होगा, यह बिल भी उसी तरह से बहुत छोटा है, लेकिन प्रिक बहुत बड़ा होगा, १० वर्षों से यह बिल चल रहा है । उसका अनुभव क्या है यह मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन जिन चीजों पर कंट्रोल लगाया गया उन सबमें ब्लैक मार्केट हुआ । यह कोई नहीं कहता कि सरकार

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

ब्लैक मार्केट करती है, लेकिन ब्लैक मार्केट का परिणाम होता है और १० वर्ष से हम यह परिणाम भुगत रहे हैं ।

श्रीमन् कोयले के परमिट का बड़ा ही दुरुपयोग हुआ । इंटें कंट्रोल के अन्दर हैं, इच्छा भी न रही हो दुरुपयोग करने की, किन्तु इलेक्शन के जमाने में कोयले के परमिट का बड़ा ही दुरुपयोग हुआ । व्यक्तिगत अनुभव पर मैं यह बात कह रहा हूं । मेरे क्षेत्र में इलेक्शन के दौरान में कोयले और भट्ठे के कोयले के पर्मिट ऐसे बांटे गये जैसे पतझड़ में पत्तियां गिर रही हों । लेकिन इलेक्शन के बाद जब लोगों ने भट्ठे के कोयले के लिये पर्मिट मांगी तो जवाब मिला कि यह दरख्वास्त तो हाउसिंग कमेटी के सामने आई नहीं । मजा यह कि जौनपुर में हाउसिंग कमेटी है भी नहीं । मैंने पूछा कि इलेक्शन में जो परमिट दिये गये उस समय उन दरख्वास्तोंके लिये हाउसिंग कमेटी कहां थी? उत्तर दिया जाता है "दी मिस्टेक वंस कमिटेड इज नाट टु बी रिपीटेड अगेन"। मैंने सोचा ठीक है, लेकिन हुजूर वाला, एक सज्जन जो ब्लैक मार्केट के लिये प्रसिद्ध हैं उनकी दरख्वास्त बिना हाउसिंग कमेटी में रक्खे हुए फिर से मंजूर हो गई तो यह क्या है ? यह न्याय का दुरुपयोग है । शक्ति हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन हमको एश्योरेंस क्या है ? वर्बल एश्योरेंस नहीं, एक्टिव एश्योरेंस चाहिये । आप इन पावर्स का उपयोग जनहित में करें ।

दूसरे, श्रीमन्, जब कोई संकट होता है तब कंट्रोल की आवश्यकता होती है । आज कौन सी भीषणता है, क्या देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वार क्राइसिस से गुजर रहा है, देश के अन्दर सिविल सप्लाई का क्राइसिस है ?

मैं रोज-रोज अखबार में बड़ी बड़ी योजना देखता हूं । मेज पर अखबार रखा रहता है, इसलिये सबेरे-सबेरे ही देखना पड़ता है । उसमें रोज रहता है कि हमारी आर्थिक उन्नति हो रही है और जब हमारी आर्थिक उन्नति हो रही है तो क्राइसिस कहां से आई ? फिर इस बिल के लाने का आपका क्या आधार है ?

दूसरे श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि जिन पदार्थों पर सरकार कंट्रोल लगाती है वह बाजार से लुप्त हो जाया करते हैं और बेचारे गरीब कंज्यूमर्स को जो भी दाम हो देकर लेने पड़ते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से हर चीज में ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो जाता है । श्रीमन्, मुझे याद है कि इस सरकार ने मरीजों के हित में विचार करते हुये यह तय किया कि असेंशियल सप्लाईज में माइसीन्स पर कंट्रोल किया जाय । जैसे ही यह चीज अखबार में निकली तो साधारण पैनीसिलिन जो ६ रुपये की मिलती थी वह १८ रुपये में मिलने लगी । पर लोगों को लेनी पड़ती थी, क्योंकि मान लीजिये किसी को ब्लड प्वाइजनिंग हो गया और वह उससे मर रहा है । डाक्टर ने उसको पैनीसिलिन का इंजेक्शन बताया । अब बताइये वह क्या करेगा ? जो भी दाम होंगे वह देकर लायेगा, क्योंकि रुपये से ज्यादा कीमती जीवन है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप माइक से परे खड़े होकर बोलें तो ज्यादा अच्छा हो । माइक पर ज्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, इसका इतना फलक्चुअल वोल्टेज है कि कभी आवाज एक दम धीमी हो जाती है और कभी एक दम तेज हो जाती है । यदि पावर के मिनिस्टर होते तो मैं उनसे निवेदन करता । हमारा अनुभव बड़ा कटु है । मूवमेंट पर कंट्रोल करने की जरूरत है । प्रसंग से जरा मैं अलग हो जाऊंगा, यदि मैं आपको याद दिला दूं कि जिस समय हमारे रफी साहब खाद्य मन्त्री थे उस समय उन्होंने खाद्यान्नों पर से कंट्रोल हटा लिया और मूवमेंट पर कंट्रोल लगा दिया । उस समय हर विद्वान् की राय थी कि इससे गजब हो जायगा । इससे गजब तो नहीं हुआ, बल्कि जन कल्याण हुआ । अगर जन-कल्याण होना ही गजब है तब तो मैं

इसको मानने के लिये तैयार हूं। यह बिल सिद्धान्तों में सही हो सकता है, लेकिन व्यवहार में यह गलत ही साबित होगा।

हमारे सिद्धान्त सही हैं इसलिये यह बिल भी सही होगा, ऐसी बात नहीं है। सिद्धान्त तो आदमियों के होते हैं और आदमी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं और मनुष्य का स्वार्थ इतना प्रबल होता है कि उसके सिद्धान्त उसके स्वार्थ के साथ चले जाते हैं और वह स्वार्थ के वश में हो जाता है। अनुभव व्यवहार हुआ करता है। केवल पुडिंग बनाकर रख दिया और खाली चिल्लाने से कि वह मीठी है, वह मीठी है वह मीठी नहीं हो सकती है। "The taste of the pudding lies in the eating of it" इस कंट्रोल का परिणाम जनकल्याण में नहीं है, बल्कि जन अकल्याण में है। वास्तविकता यह है श्रीमन्, यह हो सकता है कि माननीय सदस्यों को इसका ज्यादा अनुभव न हो, लेकिन जिन लोगों को इसका अनुभव है उनसे पूछा जाय कि क्या इसकी जरूरत है या नहीं? इसीलिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। जो संशोधन आया है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय तो यह बिलकुल उचित ही है और इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और अगर सरकार को इसमें आपत्ति होती है तो यह बात मेरी समझ में आती नहीं है। मैं क्या कहूं यह तो बड़ी सीधी सादी बात है कि जिनको कंट्रोल का दैनिक जीवन में अनुभव है उनकी राय क्यों नहीं ली जाती कि यह तुम्हारे हित में है या नहीं? उनकी राय को हम सब मानेंगे।

यह बिल कोई राजनीतिक सिद्धान्त के आधार पर नहीं है और न इसके पीछे कोई अ इडियोलोजी का ही प्रश्न है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि जिन लोगों को दस साल का अनुभव है उनसे राय ली जाय कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। आप क्यों इस कानून को अपने इंटलैक्चुअल एब्सट्रेक्शन्स के आधार पर पब्लिक के ऊपर लादना चाहते हैं। इससे तो भलाई की जगह बुराई होगी। यह तो ऐसी ही चीज होगी जैसे किसी को सन्निपात हुआ हो और उसको किसी अच्छे डाक्टर को न दिखाकर किसी नये डाक्टर को दिखा दिया और उसने यह कहा कि तुम्हें तो मलेरिया है और कुनैन खिला दे तो उसकी क्या हालत होगी? जो हालत उसकी होगी वही इसकी होगी। इसलिए क्यों न Consumers से राय ले लें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी अनुभूति के आधार पर स्वीकार करें।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को अत्यावश्यक समझता हूं। माननीय सदस्यों ने ईंटों की महंगाई के बारे में अधिक बातें कहीं। जहां तक ईंटों की महंगाई का प्रश्न है, केवल वे ईंटें महंगी मिलती हैं जो फायर वुड या जलाने वाली लकड़ी के द्वारा पकायी जाती हैं, क्योंकि उनकी कीमत अधिक पड़ती है और जो कोयले द्वारा पकायी जाती हैं उनकी कीमत उतनी महंगी नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि कोयले के यातायात पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि जिस जिले को जितने कोयले का कोटा मिले, उतना वहां अवश्य पहुंचे। अगर कोयले पर सरकार नियन्त्रण नहीं रख सकती तो ईंटों पर भी नियन्त्रण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सा कोयला लोग ब्लैक से लेते हैं, जिसके कारण ईंटों की कीमत महंगी पड़ती है। अगर कन्ट्रोल रेटा पर कोयला मिले, तो कीमत महंगी न पड़े। मुझे अपने जिले का ज्ञान है। वहां जितन कोयला जाता है वह नियन्त्रित रेट पर ही बिकता है, इसलिए ईंटें महंगी नहीं बिकतीं। वैसे तो मैं भी कन्ट्रोल का विरोधी हूं, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार सरकार को नियन्त्रण रखना अत्यावश्यक है। इतना मैं सरकार से अवश्य प्रार्थना करूंगा कि रेलवे वैगनों का उसे अवश्य प्रबन्ध करना चाहिए ताकि समय पर ही माल मिल जाय तो किसी किस्म की बेईमानी नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसे शीघ्र पारित करे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आपने मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा दी इस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रस्ताव है कि :

"उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५७, को प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जिस को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट ३ मास के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे"।

श्री उपाध्यक्ष---एक संशोधन सदन के सामने था, यह दूसरा पेश कर रहे हैं। पहले भी आम तौर से ऐसा हुआ है समय बचाने के लिए, इसलिए ऐसा किया गया है। मैं समझता हूं कि इस में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर किसी को एतराज हो तो . . .

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं, ठीक है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इस बिल को विचार के लिए रखते हुए यह कहा था कि छोटा सा बिल है, पास कर देना चाहिए। मैं जहां तक विधेयक की नीति का प्रश्न है इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और किसी सरकार के लिए यह बहुत महत्व का प्रश्न तब और भी होता है कि जब वह अपने को समाजवादी व्यवस्था लाने वाली सरकार कहे। श्रीमन्, इस तरह से दो बातें मैंने इस में कहीं। एक तो यह कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और दूसरे यह कि उसको इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार भी रहे।

श्रीमन्, इस विधेयक में अपने देश में तथा खास तौर से प्रदेश में दो चीजों की कमी को ध्यान में रख कर इसकी अवधि बढ़ाने की बात कही जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में तो अपने विचार बाद में प्रकट करूंगा, लेकिन पहले मैं मूल नीति के सम्बन्ध में जिसके आधार पर यह बिल पेश किया गया है, कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, यह अवधि बढ़ाने की बात साधारण स्थिति में नहीं होनी चाहिए। नीति की बात है। जब कोई विशेष परिस्थिति हो, जैसे कि युद्ध की स्थिति हो, तो उस समय ऐसे नियंत्रण लागू किये जाते हैं और उनकी आवश्यकता होती है ताकि लड़ाई के लिए आवश्यक सामान जुटाये जा सकें। श्रीमन्, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई स्थिति प्रदेश में नहीं है जिससे यह महसूस किया जाय कि ईंटों पर और लकड़ी पर कोई नियंत्रण लगाया जाय और देश की आवश्यकताओं के लिए भी यह जरूरी नहीं है। सचमुच किसी सरकार की कसौटी उसकी मूल्य नीति हुआ करती है। हमारे प्रदेश का हाल यह है कि सरकार की कोई मूल्य नीति नहीं है। नियंत्रण तो एक वस्तु का है। एक चीज का मूल्य तय कर दिया गया लेकिन प्रदेश की जो अन्य सामग्रियां हैं उनका आपस में परस्पर सम्बन्ध तो रहा ही करता है। यह क्या कि लकड़हारा लकड़ी बेचे तो उस की लकड़ी के लिए तो नियम बना दिया जाय और जब वह अनाज के लिए जाय तो उसको वह इतने तेज मूल्य पर मिले कि जिसका कोई अन्दाज नहीं या वह जब कपड़ा लेने जाय तो बेचने वाले चाहे जिस भाव से उसको कपड़ा दें? इस तरह की नीति से काम नहीं चलेगा? मूल्य का नियंत्रण समाज की तमाम आवश्यक चीजों पर होना चाहिए और जैसा मैंने कहा, सरकार की यही कसौटी होनी चाहिए। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष एक घटना रखना चाहता हूं जो स्टाकहोम में घटी और जिस से यह महसूस होता है कि किसी देश की सरकार को कितना सतर्क इन सब बातों में होना चाहिए। जब आप कभी नियंत्रण ढीला कर देते हैं तो देश में एक वर्ग शोषित होता है और एक दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है। तो इस सरकार के शोषण से लोगों को बचाने के लिए सरकार की एक विस्तृत मूल्य नीति होनी चाहिए। श्रीमन्, एक बार ऐसा हुआ कि वहां के ग्वालों ने यह कहा कि उनका दूध ६ आने सेर सस्ता पड़ता है। वह दूध सवा ६ आने सेर बेचेंगे। लेकिन वहां के लोगों ने शोर मचाया कि सवा छै आने भाव होने पर उन को पीने के लिए दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पैसा उनको अपनी निश्चित आमदनी में से अधिक देना पड़ेगा। दूध कम मिलेगा तो उन के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इस प्रकार

वहां उन का झगड़ा ३, ४ महीने चलता रहा। सरकार ने बिचवइये का काम किया और यह तय किया कि सवा छै आने ग्वालों को मिलेगा। और लोग छै ही आने देंगे, लेकिन एक पैसा सरकार बरदाश्त करेगी। मुझे बड़ी खुशी होती अगर यह सरकार भी इसी प्रकार से कुछ करती और खास तौर से वह सरकार जो समाजवादी ढांचे पर समाज का निर्माण करना चाहती हो। इस कारण इस बिल में यह एक बहुत बड़ी कमी है।

आज लोगों को कपड़ा, लोहा, सीमेंट और तमाम जरूरी चीजें जो मिलों से पैदा होती हैं, भोजन की सामग्री, ईंधन किस कीमत पर मिले और उनका किस तरह से वितरण हो यह बड़ा भारी प्रश्न आज देश और प्रदेश के सामने खड़ा है। इस बिल के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं है। इस वजह से मैंने यह सुझाव रखा कि इसकी परिधि को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ दो चीजों के लिए ही कहता है। आज प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है कि इन तमाम चीजों के बारे में निश्चित नीति निर्धारित करने की जरूरत है कि कौन सी चीज किस भाव पर, किस हिसाब से और किस मूल्य पर बिकनी चाहिए। उस के ऊपर नियन्त्रण हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी ने प्रदेश में सत्याग्रह छेड़ा और सरकार से यह मांग की कि वह मूल्य नीति तय करे, कारखाने में बनने वाली चीजें और खेत में पैदा होने वाली चीजों में तमाम समान अनुपात कायम हो कि कौन चीज किस कीमत पर बिकनी चाहिए, परन्तु इस मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अगर सरकार यह कहती कि किसी मूल्य के नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं है और वह कन्ट्रोल के कानून को रद कर देती तो मैं यह महसूस करता कि सरकार इस सिद्धान्त को नहीं मानती और सरकार यह कह सकती थी कि सोशलिस्ट पार्टी की यह मांग जायज नहीं है। लेकिन जब सरकार उसको खुद करने जा रही है और वह उसको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार मूल्य के बारे में ज्यादा उपेक्षा नहीं कर सकती। कोई भी सरकार जनता को असुरक्षित नहीं छोड़ सकती है और अगर वह असुरक्षित छोड़ देती है तो उसका परिणाम यह होगा कि शोषण बढ़ेगा और समाज के अन्दर गड़बड़ी फैलेगी। कुछ लोग ज्यादा खायेंगे और इकट्ठा करेंगे और कुछ लोग बिलकुल महरूम रह जायंगे।

मैं बहुत अदब के साथ माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह मेरी एक बात को मान लेते और प्रदेश में इस मूल्य नीति को लागू कर देते तो अपने प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो भुखमरी और बेकारी बढ़ती जा रही है उसका हल निकल आता। मेरा विश्वास है कि इसमें जो आज बढ़ोत्तरी होती जा रही है उसमें निश्चित रूप से कमी आती, लेकिन आज उस दृष्टि से विचार नहीं किया जा रहा है और सरकार का रवैया कुछ ऐसा हो गया है कि सिवाय इसके कि सुन्दर मनुष्य के चित्र की बात जब वह सोचती है तो उसके चित्र में अंगुली बना देती है, अंगूठा बना देती है लेकिन मनुष्य का जो चेहरा है जिससे वह पहिचाना जा सकता है और जो आवश्यक चीज है उसको नहीं बनाती है। आखिर आप कन्ट्रोल लगाते हैं वस्तुओं पर तो ऐसा होना चाहिए कि सब चीजें लोगों को उचित मूल्य पर मिलें। क्यों सरकार ईंधन और ईंटों को ही जीवन के लिए आवश्यक समझती है। इन दो चीजों की आप को बहुत जरूरत है और प्रदेश के जितने आदमी हैं उनके लिए और कोई जरूरत नहीं है और बहुत सी इन से ज्यादा जरूरी चीजें हैं जिन पर नियंत्रण और मूल्य तय होना चाहिए, जैसे खाद्य सामग्री है। कन्ट्रोल से कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। सच पूछो तो यह ऐसा अनियंत्रित नियंत्रण है जिससे तमाम समाज में विरोधाभाव पैदा हो गया है। कन्ट्रोल से चीज गायब हो जाती है और आदमी बेईमान हो जाता है। इससे भ्रष्टाचार और घूसखोरी बढ़ती है। १० वर्ष के तजुर्बे से सरकार को यह समझ में नहीं आया कि इससे कहां तक प्रशासन ठीक हो सकता है। चीज में कमी होने का कारण स्पष्ट है कि जब १ या २, ४ चीजों पर नियंत्रण होगा और बाकी चीजें ज्यों की त्यों चलेंगी तो काम ठीक नहीं चल सकता है। नीति एक होनी चाहिए। या तो सभी नियंत्रण में हों या किसी पर भी नियंत्रण न हो। या पूंजीवाद ही हो या समाजवाद हो, एक नीति होनी चाहिए। जनता इसी चक्कर में है कि यह सरकार पंजीवादियों की है या गरीबों की है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

एक मोटी सी शिकायत आम तौर से आप हर जगह देखेंगे। चीनी पर जब कन्ट्रोल था तो वह बाजार में दिखायी नहीं देती थी और कभी-कभी मंत्रियों की वाणी से भी यह निकलता था कि शक्कर की कमी है। सैकड़ों विवाहों, कथाओं और धार्मिक कार्यों के लिए शक्कर नहीं मिलती थी। अब जब उस पर से कन्ट्रोल हट गया तो कहा जाता है कि ९ लाख टन ज्यादा हमारा सूबा पैदा करने लगा है और बाजार में चीनी ही चीनी दिखायी देती है। इस तरह के आंकड़ों से भ्रम फैलता है। राष्ट्र की उन्नति की पृष्ठ भूमि में हमें सोचना चाहिए कि आखिर यह बात है क्या सीमेंट के बारे में इसी सदन में एक सदस्य ने शिकायत की थी कि सीमेंट का अभाव है और यह भी कहा कि वह ब्लैक से सीमेंट ला सकते हैं। तो फिर किस लिये सरकार इस नियंत्रण को लगाये हुये है। उसके होते हुये भी नियंत्रण से इतना अफसोस नहीं है, अधिक अफसोस तो उस समय होता है जब मनुष्य का चरित्र भी गिर जाता है। महात्माजी ने मृत्यु के पूर्व कंट्रोल के संबंध में अपने विचार प्रकट किये और यह कहा था, मुझे याद है कि हम अपने देश को भूखों मरते देख सकते हैं, लेकिन देश का चारित्रिक पतन नहीं देख सकते। श्रीमन्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूं कि आज चरित्र के पतन की जिम्मेदारी बहुत कुछ कंट्रोल के सिस्टम के उपर है। क्योंकि कन्ट्रोल सिस्टम के दो निश्चित ऐब हैं---एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा वस्तु का छिपाव। जो चीज कंट्रोल में आ जाती है वह निश्चित रूप से दबाई जाती है। कानून के जरिये से उसको नियंत्रित किया जाता है, लेकिन वह अनियंत्रित ढंग से चलती है। मैंने पिछली बार एक मीटिंग में कहा था कि यह गांवों का कौन सा अपराध है कि सब जगह सीमेंट मिलती है लेकिन गांवों में सीमेंट नहीं मिलती। क्या यह पंचवर्षीय योजना केवल शहरों के लिये ही है, देहातों के लिये नहीं है ? आपका यह वितरण ऐसा है कि शहरों में तो हजारों मकान बन गये हैं और बनते जा रहे हैं, लेकिन अगर गांवों में किसी को अपना नाबदान ही बनाना है या अपनी दीवार को ऊपर से गिरने वाले पानी से बचाना है तो उसके लिये भी सीमेंट नहीं मिलती है। जबकि शहरों में बराबर मकान बनते चले जा रहे हैं, गांव के लिये एक बोरी सीमेंट मिलना भी मुश्किल है। वहां अगर किसी को सीमेंट मिलती भी है तो सुरक्षित रखने के लिये ही मिलती है और वह अगर सीमेंट का दाम ६-७ रुपया बोरी है तो वह उसको ११-१२ रुपया फी बोरी बेचता है और इस प्रकार से गरीब किसानों का खून चूसता है।

तीन साल पहले यह विज्ञप्ति सरकार की ओर से निकली थी कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री खोली जा रही है, जिसके बाद देश में ४१ लाख टन सीमेंट पैदा होने लगेगा और कोई कमी उसकी नहीं रह जायगी। इसी संबंध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हिन्दोस्तान में सीमेंट काफी मात्रा में है। काफी इसलिये कि देश के पास पैसा नहीं है और लाखों आदमी भूख से पीड़ित हैं और बाढ़ों में तबाह हैं। हमारे यहां इसलिये निर्माण कार्य इतना नहीं है जितना कि होना चाहिये। निर्माण-कार्य की दृष्टि से हिन्दोस्तान सबसे नीचे मुल्कों में से है। अमेरिका में सीमेंट का उत्पादन ६०० सेर प्रति व्यक्ति है, इंगलैंड में ५०० सेर और टर्की में ३२ सेर प्रति आदमी है जब कि हिन्दोस्तान में १६ सेर प्रति आदमी है, लेकिन श्रीमन् हिन्दोस्तान में हजारों लाखों आदमियों में बहुत थोड़े आदमी ऐसे हैं जो सीमेंट का उपयोग कर पाते हैं या करने में समर्थ हैं। तो इस दृष्टिकोण से आज नियन्त्रण करना क्या है ? इसमें दो तरह की खराबियां हैं, एक तो यह कि चीज कम दिखलाई पड़ती है, इसलिये कि उसका उपयोग करने में जो कानूनी पाबन्दियां हैं, उस विधि के चक्कर में पड़ना बहुत लोग पसन्द नहीं करते। ऐसे आदमी जो कानून के माहिर नहीं हैं, या कुछ लेन-देन में माहिर नहीं हैं, या उनका चरित्र इतना गिरा हुआ नहीं है कि वे डिपार्टमेंट के क्लर्क से या और कर्मचारियों को कुछ दे सकें, उनको तो सीमेंट का मिलना बहुत ही मुश्किल है। डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं, प्रायः सभी अब इस काम को करने लगे हैं और ऐसे साधारण आदमी जिसको सचमुच जरूरत है उसे सीमेंट नहीं मिल पाती है। जब तक पूंजीपतियों की गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के लिये सीमेंट देना बन्द नहीं होगा तब तक साधारण जनता को सीमेंट नहीं मिल सकेगी। जब तक कंट्रोल की चीजों का उचित वितरण नहीं होगा तब तक आप समाजवाद को कैसे ला सकते हैं ? इसलिये इस बात की जरूरत है कि इनका समाजीकरण किया जाय।

यह कहां का सिद्धान्त है कि कानपुर और लखनऊ जैसे शहर के लिये गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के लिये तो हजारों बोरी सीमेंट का कोटा हो और देहाती क्षेत्र के लिये जहां किसी को नाबदान मरम्मत के लिये या घर गिरने पर उसकी मरम्मत के लिये सीमेंट की जरूरत हो तो ८० गांवों के बीच में कुल ६० बोरी सीमेंट का कोटा दिया जाय ? अगर वहां का जनप्रतिनिधि इसके लिये देहात से आता है और अपने यहां जाता है तो वह उस चक्कर में पड़ जाता है कि ८० गांवों के बीच में ६० बोरी तो सीमेंट मिली है, फिर इसका बटवारा किस तरह से किया जाय। इसलिये सरकार को चाहिये कि सीमेंट आदि आवश्यक सामग्री के समुचित वितरण का प्रबन्ध करे तभी वास्तव में समता हमारे यहां आ सकती है। कहने के लिये तो सीमेंट पर नियंत्रण है लेकिन देखा जाय तो यह अनियंत्रण ही है।

श्री उपाध्यक्ष—वर्मा जी, आप बहुत विस्तार में जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं एक-एक बात को ले रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको एकांगी बना दिया गया है। तो इसे सर्वांगीण होना चाहिये। सर्वांगीण का तात्पर्य यह है कि जो चीजें मिलों में पैदा हों और जो चीजें खेतों में पैदा हों, उन दोनों के मूल्य का निर्धारण सरकार करे और एक निश्चित नियम बनावे तो मेरा खयाल है कि उपभोक्ताओं को चीजों का अधिक दाम नहीं देना पड़ेगा। उदाहरण के लिये गल्ले के मूल्य में एक आना यानी चार नये पैसे से अधिक का फर्क उत्पादक और उपभोक्ता के बीच नहीं होना चाहिये।

एक बात, श्रीमन् और संक्षेप में निवेदन कर दूं कि कितनी गजब की लूट है कि कुछ हम किसानों के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं और देहातों से आते हैं। श्रीमन् हम तो देखते हैं कि इस भयंकर लूट का एक बड़ा कारण है यह कि जब फसल तैयार होती है तो शुरू के दो महीनों तक गल्ला सस्ता बिकता है और उसके बाद जब गल्ला संग्रह करने वाले उसे अपने पास जमा कर लेते हैं तो बाद में वे ही चीजें काफी महंगी बिकती हैं। श्रीमन्, १०० में से ८६ काश्तकार तो ऐसे हैं जो अलाभकर जोत वाले हैं और उनके घर में गल्ला तो एक दो महीने के लिये भी नहीं टिकता। जैसे ही गल्ला किसान के घर आता है तो १०० में से ८६ किसान उसी वक्त उसे बाजार में बिकने के लिये ले जाते हैं और वह गल्ला संग्रह करने वाले सस्ते भाव में अपने घरों में भर लेते हैं। जब साल के अन्त में उपभोक्ता को उसकी जरूरत हुई तो उसे तेज मिलता है। आंकड़े अगर देखे जायं तो कभी भी ढाई आने सेर से कम का उपभोक्ता और उत्पादक के घर में भाव का अन्तर नहीं पड़ता। इतनी बड़ी लूट हो रही है और इस लूट से ४ करोड़ किसान यहां के प्रभावित हैं और ४ करोड़ ही क्यों—मुश्किल से हजार दो हजार आदमी लाभ उठाने वाले हैं, बाकी सूबे की सारी जनता, चाहे वह वकील हों, डाक्टर हों, दूकानादर हों या यहां के मजदूर या मजदूर किसान हों जो खरीद कर पेट भरते हैं या वह किसान जो अलाभकर जोत वाले हैं या जो बड़े-बड़े खाते वालों के यहां मजदूरी करके खाते हैं यह सब लूटे जाते हैं। सिवा उन मुनाफाखोर होर्डर्स के सभी नुकसान में रहते हैं और यह हजार दो हजार आदमी मौज करते हैं। इतना बड़ा विरोधाभास चल रहा है कि फसल पर ४ आना सेर चना बिकता है और वही ४ आने सेर का चना उन मुनाफाखोरों के घर से ६ आना सेर में बिकता है, यह दो ढाई आना प्रति सेर का लाभ यह ब्लैक करने वाले आदमी उठा रहे हैं और सरकार ने आज तक इसको रोकने के लिये अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया।

एक और भारी विरोधाभास इस बात का है कि जब किसान के पास गल्ला रहता है तो आवाज उठती है कि गल्ला मंहगा है, सस्ता होना चाहिये और उसी वक्त सरकार भी अपने लिये और दूसरे प्रदेशों के लिये गल्ला खरीदती है और उसी वक्त जब किसान के घर में गल्ला होता है तो सस्ता करने की तमाम बातें होती हैं, लेकिन जब वही गल्ला किसान के घर से निकल जाता है और उन चन्द होर्डर्स के यहां पहुंच जाता है तब सस्ता गल्ला खरीदने की बात कभी नहीं उठाई जाती। इस गम्भीर स्थिति पर विचार करने की जरूरत है कि जो उत्पादनकर्ता हैं उसके लिये तो तमाम कानून हैं लेकिन जो नफाखोरी करते हैं उनके लिये छूट है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

मैं चाहता हूंकि सदन में सरकार कोई ऐसा बिल लाये जिसमें इन तमाम विरोधाभासों का अन्त हो और न्यायपूर्ण नियंत्रण हो। सन् १९४७ से जब यह सरकार आई है उस ने बराबर गल्ले के विषय में नियंत्रण रखा है और हमेशा कोशिश की है कि गल्ले के भाव सस्ते रहें और एक बार अभी सन् १९५५ में जब गल्ले के भाव एक दम से सस्ते हो गये थे और एक रुपया का ८ सेर तक चावल बिक गया था, उस वक्त यहां के किसानों की हालत ऐसी खराब हो गई थी कि सरकार को महसूस हुआ कि अगर भाव और गिरे तो यहां के किसानों की हालत और अधिक खराब हो जायेगी उसके बाद सरकार की कोशिश से कुछ मूल्य घटे । जब गल्ला जरा मंहगा होता है तो मजदूरों की तरफ से या सरकारी नौकरों की तरफ से आवाज उठ जाती है कि बहुत मंहगाई है, सस्ता होना चाहिये और सरकार के सामने भी मंहगाई भत्ता आदि बढ़ाने के सवाल आ जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो आप भाषण जारी रखेंगे । अब आप इस समय समाप्त कर दें, मुझे अभी सदन को कुछ आवश्यक सूचना देनी है ।

विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मुझे माननीय सदन को एक आवश्यक सूचना देना है । मेरे कार्यालय से एक सूचना इस प्रकार माननीय सदस्यों को भेजी गई थी "उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के १५ स्थानों के निर्वाचन के सम्बन्ध में आप से मुझे यह निवेदन करना है कि आप मतदान के समय अपना आइडेंटिटी कार्ड अवश्य साथ लावें ।" अभी मतदान के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं हैं । क्या बिना इसके वोट नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है । अगर उनकी पहचान अच्छी तरह से हो जाय तो ठीक है क्योंकि यह पता चल जाना चाहिये कि अमुक माननीय सदस्य वही हैं । जो लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाये हैं, उनके भी वोट पड़ेंगे, आप लोग दूसरे माननीय सदस्यों को भी यह बात बतला दें ।

कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष—१४ दिसम्बर, १९५७ से कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है, मैं उसको बतलाना चाहता हूं । वह निम्न क्रम में होंगे :

(१) उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) संशोधन, विधेयक, १९५७ ।

(२) लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

(३) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

(४) उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेन्डर्स (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

(५) इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

(६) उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७ ।

(७) उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

(८) प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित होगा ।

(९) उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित होगा ।

(१०) राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ ।

(११) उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ ।

यह कार्यक्रम माननीय सदस्यों के पास भेज दिया जायगा, मैंने यहां इसलिये घोषणा कर दी है कि इससे सभी को आसानी हो ।

(इसके बाद सदन, ५ बजे, अगले दिन के ११ बजे दिन के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकोनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१२ दिसम्बर, १९५७ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नन्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३२ पर)

संलग्न सूची—१

हानि का विवरण

क्षति का विवरण	१३६२ फसली	१३६३ फसली	१३६४ फसली	प्राकृतिक आपदायें	रेवेन्यू मैन्यूअल के अनुसार श्रेणी
ग्रामों की संख्या जो प्रभावित हुए	१४,२४४	३७,९८३	५६,०८५	बाढ़ तथा पानी का जमाव आग, ओला, वृष्टि, सूखा।	२
कुल प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में) ..	४७,५८,३६८	८७,९५,४४१	१,१६,८३,३७२		
उपजाऊ प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में) ..	१९,५७,७८९	६६,५०,३०९	७५,०१,७९७		
प्रभावित जन-संख्या	५०,१०,३२४	१,०५,१३,५५६	१,६८,३८,२५९		
ध्वस्त हुए तथा क्षति-ग्रस्त मकानों की संख्या ..	७७,६९७	५,५०,३८४	४,४८,२०८		
जीव हानि—					
(१) मनुष्य	१२४	२६६	३१२		
(२) पशु	८३५	५,५२५	४,१७९		
कृषि हानि—					
फसलों की हुई क्षति का अनुमान (करोड़ रुपयों में)	८.२५ करोड़	३६.५९ करोड़	३४.७६ करोड़		
एकड़ भूमि जो प्रभावित हुई	४९,६७६	८७,३०८	९१,७६४	नदियों के कटाव के तथा बालू रेत आदि के एकत्र होने के कारण।	श्रेणी १

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न संख्या ६ से संलग्न सूची--२

सहायता तथा पुनर्वासित करने में व्यय का विवरण

१--अहेतुक सहायता :--					
(१) नकद	२,९१,१७०	१४,३१,११५	२४,४०,९९९	..	..
(२) किस्म में	९८,८६५	६,९१,४१७	७,१७,८३६	..	..
(३) अन्य प्रकार से	८,७०३	६,१७,८४८	१,३२,८९७	..	..
२--पुनर्वासित करने में व्यय धन ..	५,७६२	४,४१,१४१	२,५४,८२९	श्रेणी २ की आपदाओं के लिये।	
३--एक्ट १२ के अधीन दी गई तकावी ..	४४,६०,४८३	१,४०,५६,३६१	१,९०,६९,२८७		..
४--ऐक्ट १९ के अधीन दी गई तकावी ..	११,१६,५१२	१९,६७,५११	७,९४,७२४	..	..
५--मालगुजारी में सहायता--					
(१) छूट द्वारा	४२,५१,४२०	१,२१,९३,०९५	१,५९,३१,२८३	..	..
(२) स्थगन द्वारा	८,७३,६४७	३६,२१,७४४	७३,३८,५५२	..	..
(३) स्थगन	१४,८७,६५४	३३,७१,१६५	४०,८३,८५९	..	..
मालगुजारी में कमी	३,१४,८५३	४,७३,१२९	४,७८,५५७	श्रेणी १ की आपदाओं के लिये।	
मालगुजारी में छूट	४८,६४२	१,००,६२३	४९,६१३	...	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

सामान्य खण्ड मरदह, जिला गाजीपुर, में खण्ड स्थापित होने की तिथि (२ अक्तूबर, १९५६ से ३१ जुलाई, १९५७) तक किये गये निर्माण-कार्य

१—कच्ची सड़क का निर्माण	१८ मील ७ फ०
२—कच्ची सड़क की मरम्मत	१०५ मील
३—पक्की सड़क का निर्माण	४ फ० २०८ गज
४—निर्मित पुलियों की संख्या	२९
५—पानी पीने के जो कुयें बनाए गए उनकी संख्या	१४
६—पानी पीने के जिन कुओं की मरम्मत हुई उनकी संख्या ..	८६
७—लगाये गए हैन्ड पम्पों की संख्या	३
८—स्नान करने के चबूतरों की संख्या	९१
९—पक्की नाली	१,३६९ गज
१०—खड़ंजा	७०८ गज
११—सोख्ते	१७९
१२—पाखाने	२०
१३—रोशनदान	२०
१४—कंकड़ (जो विभिन्न सड़कों पर एकत्रित किये गए) ..	९१,००० घनफुट

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर)

सन् १९५७ में ग्राम सेवक पद के लिये वाराणसी डिवीजन के प्रत्येक जिले से चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चुने गये व्यक्तियों की संख्या	इन में से परिगणित जाति के व्यक्तियों की संख्या
१	वाराणसी	४४	७
२	मिर्जापुर	४०	७
३	जौनपुर	४५	८
४	गाजीपुर	३०	६
५	बलिया	३४	
	योग ..	१९३	३२४

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड खंसराहा जिला बस्ती में (जो २ अक्तूबर, १९५६ को खुला था) ३१ जुलाई, १९५७ तक किये गये विकास कार्यों की तालिका

१—प्रदर्शन हेतु वितरित किये गये यंत्र ..	(सं०)	..	१३९
२—कुयें बनाये गये (आर्टीजियन कुएं) ..	(सं०)	..	५
३—नस्ल सुधारने वाले पशुओं का वितरण	(सं०)	..	३
४—प्रौढ़ शिक्षा	(सं०)	..	३५१
५—सामूहिक (कम्यूनिटी) रेडियो ..	(सं०)	..	२
६—भजन मंडलियां	(सं०)	..	३७
७—ड्रामा	(सं०)	..	२
८—ग्रामीण नेताओं का कैम्प ..	(सं०)	..	२
९—प्रौढ़ अध्यापकों का कैम्प ..	(सं०)	..	१
१०—क्रीड़ा के लिये क्लब	(सं०)	..	१०
११—कुयें जिनका जीर्णोद्धार हुआ ..	(सं०)	..	५
१२—कच्ची सड़कों की मरम्मत ..		..	८०,६०० गज
१३—नाले को गहरा किया गया ..		..	१,७६० गज
१४—मिट्टी का काम हुआ			१४,९९,४८२ घन फुट
१५—प्राइमरी स्कूल	(सं०)	..	१
१६—राजकीय सिंचाई कार्य ..	एक नलकूप की बोरिंग की जा चुकी है। इस बोरिंग में पाइप डालने और मशीन लगाने का कार्य हस्तगत है।		
१७—भवन निर्माण कार्य (ब्लाक—आफिस तथा स्टाफ क्वार्टर्स)	कार्य हो रहा है।		
१८—औषधि-पेटिका वितरित की गईं ..	(सं०)	..	९
१९—प्राथमिक चिकित्सा-पेटिका ..	(सं०)	..	१०
२०—वेक्सीनेशन आउट फिट ..	(सं०)	..	१०

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

विधान सभा, उत्तर प्रदेश के दूसरे सत्र (१९५७) के गुरुवार के लिये श्री केशव पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० २८ के उत्तर में प्रस्तुत विवरण

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड चरगांवा, जिला गोरखपुर में खुलने की तिथि (२६ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५७) तक जन-हितकारी निर्माण-कार्यों पर किये गये प्राविधान तथा व्यय का विवरण:

क्रम-संख्या	कार्य	स्वीकृत १९५४–५५ रुपया	स्वीकृत धन १९५५–५६ रुपया	स्वीकृत धन १९५६–५७ रुपया	स्वीकृत धन १९५७–५८ रुपया	योग स्वीकृत धन रुपया
१	२	३	४	५	६	७
	निम्नांकित प्रथम १५ मदोंके लिए ..	१०,०००	५०,०००	९०,०००	..	१,५०,०००
१	पंचायत एवं बीज गोदाम ..	..	..	..	..	..
२	घडौची एवं आंगन ..	..	..	..	..	..
३	फुटपाथ ..	..	..	..	..	..
४	बाल-क्रीड़ा-स्थल ..	..	..	..	..	.
५	हरिजन भवन निर्माण ..	..	..	..	..	..
६	पक्का कम्पोस्ट पिट ..	..	..	..	..	..
७	स्कूल निर्माण ..	..	..	..	..	..
८	चिकित्सालय ..	..	..	..	..	..
९	खड़ंजा ..	..	..	..	..	..
१०	सड़कें ..	..	..	..	..	..
११	पक्की नाली ..	..	..	..	..	..
१२	पुल तथा पुलियां ..	..	..	..	..	..
१३	नये कूप निर्माण ..	..	..	..	..	..
१४	नलकूप हैंडपम्प ..	..	..	..	..	..
१५	पुराने कुओं की मरम्मत ..	..	..	..	..	..
	इन पन्द्रह मदों का योग	१०,०००	५०,०००	९०,०००	..	१,५०,०००
१६	*कार्यालय भवन तथा जल-वितरण टंकी ..	..	४०,०००	१२,०००	..	५२,०००
१७	राजकीय सिंचाई कार्य तथा ऋण ..	१,१००	१,०५,६००	११,५५०	..	१,१८,२५०
	कुल योग ..	११,१००	१,९५,६००	१,१३,५५०	..	३,२०,२५०

*(इसमें निवास-स्थान बनाने का प्राविधान भी शामिल है) किन्तु खर्च में निवास स्थान बनाने का खर्च शामिल नहीं है।

क्रम-संख्या	कार्य	व्यय १९५४–५५ रुपया	व्यय १९५५–५६ रुपया	व्यय १९५६–५७ रुपया	व्यय १९५७–५८ रुपया	योग व्यय रुपया
१	२	८	९	१०	११	१२
१	पंचायत एवं बीज गोदाम ..	५,१५०	४,७५७	२,२९१	१५०	१२,३४८
२	घडौची एवं आंगन	..	७४	८०	४०	१९४
३	फुटपाथ ..	..	..	१०७	..	१०७
४	बाल-क्रीड़ा-स्थल ..	..	९१३	..	..	९१३
५	हरिजन भवन निर्माण	..	१,१५०	..	..	१,१५०
६	पक्का कमपोस्ट पिट	..	..	१८०	८०	२६०
७	स्कूल निर्माण ..	२५०	३,४४०	४,०९६	९५६	८,७४२
८	चिकित्सालय ..	..	४,०००	५,५००	२,५००	१२,०००
९	खड़ंजा ..	..	..	५००	४,०४३	४,५४३
१०	सड़कें ..	..	१,०००	२,०००	..	३,०००
११	पक्की नाली ..	३३०	३०६	८६१	२८८	१,७८५
१२	पुल तथा पुलियां	२,४५०	५,९८७	१२,५८४	१,८५०	२२,८७१
१३	नयेकूप निर्माण ..	..	३,९३९	५,६९३	२,३४८	११,९८०
१४	नलकूप हैंड पम्प ..	५२०	३,२६६	२,५१७	१,६२२	७,९२५
१५	पुराने कुओं की मरम्मत	६००	३,२०८	३,३४७	१,४३४	८,५८९
	इन पन्द्रह मदों का योग	९,३००	३२,०४०	३९,७५६	१५,३११	९६,४०७
१६	कार्यालय भवन तथा जल-वितरण टंकी *	..	..	१४,५०८	३,४७०	१७,९७८
१७	राजकीय सिंचाई कार्य तथा ऋण ..	१,१००	९२,१६५	३०,३२२	..	१,२३,५८७
	कुल योग ..	१०,४००	१,२४,२०५	८४,५८६	१८,७८१	२,३७,९७२

* (इसमें निवास-स्थान बनाने का प्राविधान भी शामिल है) किन्तु खर्चे में निवास-स्थान बनाने का खर्च शामिल नहीं है ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

प्रस्तावित कार्य जो दोहरी घाट टाउन एरिया व ब्लाक के अन्य गांवों में किये जायंगे

(१) १३० कुओं का निर्माण।
(२) ७६ कुओं की बोरिंग।
(३) ८० रहट का निर्माण।
(४) ६५ पानी पीने के कुओं का निर्माण।
(५) १२ स्कूलों का निर्माण।
(६) १६ पंचायतघरों का निर्माण।
(७) १२० हैन्ड पम्पों का लगाया जाना।
(८) ३,५०० गज लम्बी नालियों का निर्माण।
(९) अतिरिक्त खडंजों का बनाया जाना।
(१०) ३६ पुलियों का निर्माण।"

संसद भवन

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर)

सीतापुर जिले में ३० जुलाई, १९५७ तक खोले गये राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों और प्रगाढ़ विकास खंडों को उनके खुलने की तिथि से ३१ मार्च, १९५७ तक वार्षिक प्राविधान का विवरण :—

क्रम-सं०	क्षेत्र का नाम	वर्ष	प्राविधान		
१	प्रगाढ़ विकास क्षेत्र हरगांव ..	१९५३–५४	२९,९५२	०	०
		१९५४–५५	२,१९,८७३	०	०
		१९५५–५६	२,१३,२१९	०	०
		१९५६–५७	१,६४,२२६	०	०
		योग ..	६,२७,२७०	०	०
२	प्रगाढ़ विकास क्षेत्र, बेहटा ..	१९५४–५५	४०,६६२	०	०
		१९५५–५६	२,३४,८६०	०	०
		१९५६–५७	१,३३,७४६	०	०
		योग ..	४,०९,२६८	०	०
३	राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र, सिधौली ..	१९५५–५६	१,६७,७१०	०	०
		१९५६–५७	१,३५,५६५	०	०
		योग ..	३,०३,२७५	०	०
४	राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र, मिसरिख ..	१९५६–५७	८४,५३८	०	०
५	राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र, बिस्वां ..	यह क्षेत्र ३१ मार्च, १९५७ के बाद खोला गया था अतः इसके विवरण का प्रश्न नहीं उठता।			
		कुल योग ..	१४,२४,३५१	०	०

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४७ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कतिपय मुख्य कार्यों की तालिका

क्र० सं०	कार्य विवरण	योजना लक्ष्य	खंड (ब्लाक) जहां कार्य किया जायेगा
१	**सिंचाई**—		
	(१) पक्के कुओं का निर्माण (संख्या)	१,०५३	सभी खंडों में
	(२) पुराने कुओं का जीर्णोद्धार ,,	१,४३१	,,
	(३) कुओं में नल गलाना ,,	७८८	,,
	(४) रहट ,,	४६१	खीरी को छोड़ कर सभी खंडों में
	(५) पंम्पिंग सेट्स ,,	११८	सभी खंडों में
	(६) नवीन जल प्रणालियों का निर्माण तथा प्रसार (मीलों में)	२५०	,,
२	**कृषि**—		
	(१) खोले जाने वाले बीज-भंडार—		
	(क) कृषि	१२	राही, सलोन, महाराजगंज तथा डलमऊ को छोड़कर प्रत्येक खंड में एक-एक
	(ख) सहकारी	६	मऊ २, तिलोई १, सिंहपुर १ सरेनी १ तथा खीरी १
	(२) खोले जाने वाले राजकीय बीज फार्म (संख्या)	१६	प्रत्येक खंड में एक-एक
	(३) स्थापित की जाने वाली राजकीय नर्सरियां (संख्या)	४	हरचन्दपुर १, नसीराबाद १, महाराजगंज १ तथा डलमऊ १
	*(४) उन्नत बीजों का वितरण (टनों में)—		
	(क) खरीफ	१४,४००	सभी खंडों में
	(ख) रबी	२६,४००	,,
	*(५) खादों का वितरण (टनों में)—		
	(क) अमोनियम सल्फेट	५,१५६	,,
	(ख) यूरिया	८६०	,,
	(ग) अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट्स	१३६	,,
	(घ) सुपरफास्फेट	६६०	,,
	(ङ) बोनमील	६६०	,,
	(च) खली	६६०	,,

*ये लक्ष्य संशोधित हैं।

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना लक्ष्य	खंड (ब्लाक) जहां कार्य किया जायेगा
३	पशुपालन—		
	(१) नस्ल सुधार पशुओं का प्रदाय (संख्या)		
	(क) गायें	७५६	सभी खंडों में
	(ख) सांड़	१२५	,,
	(ग) भैंसें	५७३	,,
	(घ) भैंसा सांड़	८९	,,
	(२) नये पशु औषधालय (संख्या)	३	हचन्दपुर १, नसीराबाद १, तथा सरेनी १
	(३) कृत्रिम गर्भाधान केंद्र ,,	१	सलोन के प्रथम वर्ष में
	(४) कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र ,,	२	मऊ (तृतीय वर्ष) १, डलमऊ (चतुर्थ वर्ष) १
	(५) प्रजनन प्रसार केंद्र ,,	१	हरचन्दपुर (द्वितीय वर्ष)
४	सहकारिता—		
	(१) प्रारम्भिक सहकारी समितियों के अन्तर्गत लिये जाने वाले गांवों की संख्या	९४५	सभी खंडों में
	(२) सहकारी संघों की संख्या	३७	सलोन को छोड़कर सभी खंडों में
	(३) कृषि विपणन कार्य करने वाले संघों की संख्या	५	राही १, सलोन १, नसीराबाद १, बछरावां १ तथा लालगंज १
	(४) सहकारी समितियों द्वारा ऋण कार्य— (लाख रुपयों में)		
	(क) अल्पकालीन	९४	सभी खंडों में
	(ख) मध्यकालीन	५५	,,
	(ग) दीर्घकालीन	७	,,
५	शिक्षा—		
	(१) नये खोले जाने वाले स्कूल (संख्या)		
	(क) प्रारम्भिक	१४०	सभी खंडों में
	(ख) जूनियर	१०	हरचन्दपुर १, राही १, सलोन १, नसीराबाद १, मऊ १, सिंहपुर १, डलमऊ १, सरेनी १ तथा जगतपुर २
	(२) स्थापित किये जाने वाले पंचायतघर सहित अध्ययन केंद्र व पुस्तकालय संख्या	४६७	सभी खंडों में
	(३) खोले जाने वाले सूचना हेडक्वार्टरों पर (संख्या)	१५	सलोन को छोड़कर प्रत्येक खंड म एक-एक

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	योजना लक्ष्य	खंड (ब्लाक) जहां कार्य किया जायेगा
६	**यातायात--**		
	(१) पक्की सड़कें (मीलों में)	१५६	सभी खंडों में
	(२) कच्ची (टूटी सड़क सहित) (मीलों में)	६५०	,,
	(३) कच्ची सड़कों का सुधार (मीलों में)	१,९३०	,,
	(४) पुलों का निर्माण (संख्या)	१२	नसीराबाद ४, ऊंचाहार १, महाराजगंज ४, बछरावां १, डलमऊ २
	(५) पुलियों की निर्माण संख्या	१,२३४	सभी खंडों में
	इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे:--		
	(क) सड़कों का पुनर्निर्माण--		
	(अ) पक्की सड़कें (लालगंज-समरपहार)	१ मील ४ फ०	
	(ब) आधुनिकीकरण एवं सुधार	८ मील	
	(ख) नव निर्माण--		
	(अ) नई पक्की सड़कें (एम० डी० आर०) लालगंज- रालपुर	८ मील ४ फ०	
	(ग) चालू योजनायें--		
	सड़कों का आधुनिकीकरण एवं सुधार	२५ मील	
७	**चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य--**		
	(१) नये खोले जाने वाले अस्पताल (संख्या)	१	नसीराबाद (द्वितीय वर्ष)
	(२) नये औषधालय (संख्या)		
	(क) ऐलोपैथिक	१	हरचन्दपुर (प्रथम वर्ष)
	(ख) यूनानी एवं आयुर्वेदिक	१	सरेनी (पंचम वर्ष)
	(३) मेटरनिटी एवं बाल स्वास्थ्य केंद्र (सं०)	१८	हरचन्दपुर ३, सतांव १, सलौन ३, नसीराबाद ३, ऊंचाहार १, महाराजगंज ३, डलमऊ ३, जगतपुर १,
	(४) नये आरोग्यकारी कुयें	९२८	सभी खंडों में
	(५) स्थापित किये जाने वाले हैन्डमम्प	१३६	सतांव, तिलोई तथा जगतपुर को छोड़कर सभी खंडों में

क्रम-संख्या	कार्य विवरण	योजना लक्ष्य	खंड (ब्लाक) जहां कार्य जायेगा
८	परिगणित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा भूतपूर्व अपराधशील जातियों का कल्याण—		
	(१) निर्माण किये जाने वाले भवन (सं०)	७८	सीरों को छोड़कर सभी खंडों में
	(२) पीने के निमित्त कुओं का निर्माण (सं०)	१११	सभी खंडों में
	(३) कुओं की मरम्मत (सं०)	१११	सलोन २०, ऊंचाहार ५, तिलोई ३, सिंहपुर २८, डलमऊ २५, खीरों २०, तथा जगतपुर १०
९	उद्योग—		
	(१) वितरण किये जाने वाले उन्नत गन्ना पेरने की मशीनें (संख्या)	२६	सभी खंडों में
	(२) निर्माण की जाने वाली उन्नत गुड़ भट्ठियों की संख्या	१८	सलोन तथा डलमऊ में २–२ तथा तथा अन्य सभी खंडों में एक-एक।
	(३) प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र (सं०)	१९	
	(४) खोले जाने वाले ईंट के भट्ठे (सं०)	४०	लालगंज को छोड़कर सभी खंडों में

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५० पर)

१९५६–५७ में राज्य आयोजना से भिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता का विवरण

योजनायें	ऋण	अनुदान
१––जनवरी से मार्च, १९५६ की तिमाही के लिये उवर्रकों की खरीद ..	रु० ७५,६०,०००	रु० —
२––रेशम के हथकरघों का विकास (जो कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ को कर्जे के रूप में दिया जायगा)	१,००,०००	—
३––सहकारी समितियों के पूंजी हिस्से खरीदने के लिये वित्तीय सहायता ..	१०,५०,०००	—
४––बुनकरों के पूंजी हिस्से खरीदने के लिये ..	५४,३७५	—
५––वाराणसी में (बी) श्रेणी के दियासलाई के कारखाने की स्थापना	८७,८५०	—
६––इलाहाबाद में (डी) श्रेणी के दियासलाई के कारखाने की स्थापना	२२,०००	—
७––सहारनपुर में तम्बाकू के कारखाना में काम करने वालों के लिये सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना	१४,४७०	—
८––१९५६–५७ में बाढ़ सहायता खेतिहरों को ऋण	९९,८८,०००	—
९––गुड़ और खांड़सारी का विकास ..	१,४७,२००	—
१०––बाढ़ नियंत्रण योजनायें ..	३,१०,००,०००	—
११––फासफेटिक उवर्रकों का वितरण	६,३०,०००	—
१२––विस्थापित व्यक्तियों को सहायता और पुनर्वासन की योजनायें ..	५,४५,३८०	१३,२७,१३४
१३––दियासलाई की लकड़ी के पेड़ लगाने की योजना ..	—	४२,५००
१४––हथ करघा उद्योग के विकास के लिये (सेस फंड) से सहायता:—	२५,४६,६००	२६,६३,३१२
कुल योग ..	५,३७,४५,८७५	६०,३२,९४६

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५८ पर)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन (विधेयक), १९५७

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ ।

यह इष्टकर है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को यहां आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहालायेगा ।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २ का संशोधन ।

२—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट ,१९२१ (जिसे एतत्पश्चात् "मूल अधिनियम "कहा गया है) की धारा २ के खंड (एच)के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*h*) 'Teacher means a person employed by the University, a college, an associated College or a hostel, for giving instrucions or guiding or conducting research in any subject of the Courses of study taught therein."

यू० पी० ऐक्ट३, १९२१ की धारा ५ का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ के खंड(८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(8) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts. "

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १२ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा १२ में :—

(१) उपधारायें (५) और (६) निकाल दी जायं ; तथा

(२) उपधारा (८) में अंक तथा शब्द "(5) (a) or" निकाल दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २० का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :

"Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (viii) or (ix) shall not be eligible for election or nomination, for the third term in succession."

६— मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (२) निकाल दी जाय । — यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २२ का संशोधन ।

७—मूल अधिनियम की धारा २४ में:— — यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २४ का संशोधन ।

(१) उपधारा (६) में शब्द "The seniormost" तथा शब्द "Department" के बीच में आने वाले शब्द "Professor of a" के स्थान पर शब्द "teacher of the University in the" रख दिये जायं और तत्पश्चात् कामा (Commas) तथा शब्द "and where there is no Professor in a Department, the seniormost Reader thereof shall be the Head" निकाल दिये जायं, तथा

(२) उपधारा (८) में शब्द "Committees of courses and" के स्थान पर शब्द "Boards of" रख दिये जायं, तथा शब्द "Committees" के स्थान पर शब्द "Board" रख दिया जाय ।

८—धारा ३३ की उपधारा (१) के खंड (बी) में शब्द "proposal of the" और "Faculty or Faculties" के बीच में शब्द "Board of the" रख दिये जायं । — यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३३ का संशोधन ।

९—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ के उपबन्धों को सामान्यतया कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कोई भी काम करना, जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम (Statute) का निर्माण अथवा संशोधन तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रभावी होने के दिनांकों का निश्चित करना भी है, विधिपूर्ण होगा । — यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ ।

(२) उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकार राज्य सरकार उतनी बार प्रयुक्त कर सकती है जितनी बार अपेक्षित हो, किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से बारह महीनों के पश्चात् प्रयुक्त नहीं कर सकती है ।

१०—(१) राज्य सरकार किन्हीं भी कठिनाइयों के, विशेषत: मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के संबंध में (कठिनाइयों के), निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसा अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिसे वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक के बारह महीने पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसके निवारण की कोई भी अपेक्षा नहीं थी ।

११—उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ की धारा १, ३ तथा ४ के उपबन्ध जहां तक कि उनका संबंध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ से है, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इसी प्रकार वृत्तजै होंगे मानों कि वह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित विधायन रहा हो । — निरसन तथा अपवाद । उत्तर प्रदेश अध्यादेश, ४, १९५७ ।

उद्देश्य और कारण

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, लेक्चरार तथा रीडरों के वेतन-क्रमों को एक करने की अनवरत रूप से मांग करते रहे थे। इसके परिणामस्वरूप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट की कतिपय धाराओं में संशोधन करना आवश्यक पाया गया था। तदनुसार उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५७, दिनांक ६ नवम्बर, १९५७ को प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध उपबन्धों को इस विधेयक द्वारा अनुस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अवसर का उपयोग अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिये भी किया गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही आरम्भ करने के वाइस चांसलर के विशिष्ट अधिकार से संबंधित उपबन्धों का निष्कासन है। शिक्षकों ने इस उपबन्ध के विरुद्ध भी असंतोष प्रकट किया था।

अतएव यह विधेयक सदन के समक्ष पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा-मंत्री।

विधान परिषद

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५८ पर)

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० ।

यह इष्टकर है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० को यहां आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय :

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० ।

अतएव भारतीय गणतन्त्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे ।

२—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० (जिसे एतत्पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा जायगा) की धारा २ के खंड (जी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २ का संशोधन ।

"(*g*) 'Teacher' means a person, employed by the University, a constituent college, an associated college or a Hall for giving instructions or guiding or conducting research in any subject of the courses of study taught therein."

३—मूल अधिनियम की धारा ४ के खंड (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४ का संशोधन ।

"(6) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts."

४—मूल अधिनियम की धारा ११ में :—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ११ का संशोधन ।

(१) उपधाराएं (५) और (६) निकाल दी जायं; तथा

(२) उपधारा (८) में शब्द "Clause (*a*) of sub-section (5) or" निकाल दिये जायं ।

५—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) की मद (१७) में शब्द "Registered Graduates to be elected" और शब्द "by Registered Graduates" के बीच में शब्द "according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १६ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा १९ में :—

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १९ का संशोधन ।

(१) उपधारा (१) की मद (८) में शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" के स्थान पर शब्द "according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote" रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :—

"Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (viii) or (ix) of sub-section (i) shall not be eligible for election or nomination for the third term in succession."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २१ का संशोधन ।

७— मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (२) निकाल दी जाय ।

यू० पी० ऐक्ट५, १९२० की धारा २३ का संशोधन ।

८— मूल अधिनियम की धारा २३ में :—

(१) उपधारा (६) में शब्द "The senior most" तथा शब्द "Department" के बीच में आने वाले शब्द "Professor of a" के स्थान पर शब्द "teacher of the University in the" रख दिये जायं और तत्पश्चात् कामा (Commas) तथा शब्द "and where there is no Professror in a Department, the senior most Reader thereof shall be the Head" निकाल दिये जायं ।

(२) उपधारा (८) में शब्द "Committees of Courses and" के स्थान पर शब्द "Boards of" रख दिये जायं; तथा शब्द "Committees" के स्थान पर शब्द "Boards" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २६–ए का संशोधन ।

९—मूल अधिनियम की धारा २६-ए की उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप मे बढा दिया जायं :—

"(3) Where provision is made in this Act for an election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where such provision is made in a statute, it shall be held in the manner prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३० का संशोधन ।

१०— धारा ३० की उपधारा (१) के खंड (बी) में शब्द "proposal of the" और "Faculty or Faculties" के बीच में शब्द "Board of the" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० ।

११—(१) इस अधिनियम प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० के उपबन्धों को सामान्यतया कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कोई भी काम करना, जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम (statute) का निर्माण अथवा संशोधन तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रभावी होने के दिनांकों का निश्चित करना भी है, विधिपूर्ण होगा ।

(२) उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकार राज्य सरकार उतनी बार प्रयुक्त कर सकती है जितनी बार अपेक्षित हो, किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से बारह महीनों के पश्चात प्रयुक्त नहीं कर सकती है ।

१२—(१) राज्य सरकार किन्हीं भी कठिनाइयों के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में (कठिनाइयों के), निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसा अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिसे वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक के बारह महीने पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा पर किसी विधि-न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसके निवारण की कोई अपेक्षा नहीं थी।

निरसन तथा अपवाद ।

१३— उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ की धारा १, २ तथा ४ के उपबन्ध जहां तक कि उनका सम्बन्ध लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० से है, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित विधायन रहा हो ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश ४, १९५७ ।
यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० ।
यू० पी० ऐक्ट १, १९०४ ।

उद्देश्य और कारण

लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक-गण, लेक्चरार तथा रीडरों के वेतन-क्रमों को एक करने की अनवरत रूप से मांग करते रहे थे। कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि महा विभागों (Faculties) के शिक्षकों का जहां तक सम्बन्ध है, वहां तक सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट की कतिपय धाराओं में संशोधन करना आवश्यक पाया गया था। तदनुसार उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९५७, दिनांक ६ नवम्बर, १९५७ को प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश के लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उपबन्धों को इस विधेयक द्वारा अनुस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अवसर का उपयोग अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिये भी किया गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं —

(१) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा वेतन-भोगी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ करने के वाइस -चांसलर के विशिष्ट अधिकार से सम्बन्धित उपबन्धों का निष्कासन; तथा

(२) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के निर्वाचन के निमित्त एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति(System of proportional representation)का समावेश।

अतएव यह विधेयक सदन के समक्ष पुरःस्थापित किया जाता है ।

कमलापति त्रिपाठी,
शिक्षा मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२१४ एल० ए०—१९५८—७९६ ।